



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे

2021-2022



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2021-2022

मध्यप्रदेश सरकार

विषय-सूची

विषय सूची	पृष्ठ i-iii
प्रस्तावना	iv-v
विनियोग लेखे का सार	vi-xviii
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xx-xxi
अनुदान/विनियोग संख्या एवं नाम	
भारित विनियोग-लोक ऋण	1-4
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	5-10
01. सामान्य प्रशासन	11-16
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	17-18
03. पुलिस	19-27
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	28-29
05. जेल	30-31
06. वित्त	32-40
07. वाणिज्यिक कर	41-44
08. भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	45-50
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	51-52
10. वन	53-60
11. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	61-62
12. ऊर्जा	63-66
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	67-68
14. पशुपालन एवं डेयरी	69-75
15. विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण	76-78
16. मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	79-81
17. सहकारिता	82-84
18. श्रम	85
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	86-95
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	96-106
21. लोक सेवा प्रबंधन	107-109
22. नगरीय विकास एवं आवास	110-115
23. जल संसाधन	116-133

	पृष्ठ
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	134-142
25. खनिज साधन	143-145
26. संस्कृति	146-149
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	150-155
28. राज्य विधान मंडल	156-158
29. विधि और विधायी कार्य	159-168
30. ग्रामीण विकास	169-178
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	179-180
32. जनसंपर्क	181-183
33. जनजातीय कार्य	184-193
34. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण	194-196
35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	197-199
36. परिवहन	200-202
37. पर्यटन	203
38. आयुष	204-208
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	209-213
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	214-220
41. प्रवासी भारतीय	221
42. भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास	222-224
43. खेल और युवक कल्याण	225-228
44. उच्च शिक्षा	229-235
45. लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	236-237
46. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	238-241
47. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार	242-247
48. नर्मदा घाटी विकास	248-263
49. अनुसूचित जाति कल्याण	264-269
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	270-272
51. अध्यात्म	273-275
52. चिकित्सा शिक्षा	276-283
53. लोक निर्माण कार्य-भवन	284-287
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	288
55. महिला एवं बाल विकास	289-299

	पृष्ठ
56. कुटीर एवं ग्रामोद्योग	300-302
57. पर्यावरण	303-304
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	305-311
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	312
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	313-314
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	315-316
62. पंचायत	317-320
63. अल्प संख्यक कल्याण	321-323
64. पिछड़ा वर्ग कल्याण	324-326
65. विमानन	327-328

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I	अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	330-332
परिशिष्ट-II	शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	333

प्रस्तावना

वर्ष 2021-22 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखों में :-

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

मध्यप्रदेश लोक लेखा समिति द्वारा दिनांक 14.09.2004 को अनुमोदित निम्नलिखित पुनरीक्षित मापदण्ड विनियोग लेखे पर टिप्पणियों हेतु मान्य किये गए हैं।

बचत के प्रकरणों में टिप्पणी दी जावे यदि:

1. किसी अनुदान में कुल प्रावधान पांच प्रतिशत या इससे अधिक बचत हो।
2. किसी उप शीर्ष में कुल प्रावधान का दस प्रतिशत या अधिक की कुल बचत उप शीर्ष में होने पर टिप्पणी दी जावे यदि बचत की राशि:-
 - क. बचत की राशि ₹ 40 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक हो।
 - ख. बचत की राशि ₹ 20 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य हो।
 - ग. बचत की राशि ₹ 10 लाख से कम नहीं हो और कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम हो।
3. अनुदान में भारित व्यय के अन्तर्गत कुल बचत ₹ 10 लाख से कम नहीं हो।

आधिक्य के प्रकरणों में विनियोग लेखे पर टिप्पणी दी जावे यदि:-

1. उन सभी प्रकरणों में जहाँ किसी अनुदान या विनियोग में समग्र आधिक्य हो।
2. किसी उप शीर्ष के कुल प्रावधान में उप शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹ 10 लाख और दस प्रतिशत से अधिक हो।
3. ऐसे सभी प्रकरणों में जहाँ किसी उप शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य उस उप शीर्ष के कुल प्रावधान के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है टिप्पणी दी जावे यदि:-
 - क. एक उप शीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 30 करोड़ से अधिक है और आधिक्य ₹ 40 लाख से अधिक है।
 - ख. एक उप शीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के मध्य है और आधिक्य ₹ 20 लाख से अधिक है।
 - ग. एक उप शीर्ष के अन्तर्गत जहाँ कुल प्रावधान ₹ 10 करोड़ से कम है और आधिक्य ₹ 10 लाख से अधिक है।

विनियोग लेखे का सार

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिक्य (हजार ₹ में)
भारित विनियोग- लोक ऋण			
पूँजीगत-			
<i>प्रभारित</i>	1,77,94,39,17	1,51,62,44,21	26,31,94,96
भारित विनियोग- ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व-			
<i>प्रभारित</i>	2,34,54,14,31	1,84,45,91,25	50,08,23,06
01 सामान्य प्रशासन			
राजस्व-			
दत्तमत	7,56,88,85	4,70,34,52	2,86,54,33
<i>प्रभारित</i>	79,34,55	43,39,08	35,95,47
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,17,24,80	77,65,47	39,59,33
02 सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व-			
दत्तमत	1,33,50,43	77,44,15	56,06,28
03 पुलिस			
राजस्व-			
दत्तमत	78,33,73,61	66,73,66,32	11,60,07,29
<i>प्रभारित</i>	1,52,50	27,47	1,25,03
पूँजीगत-			
दत्तमत	8,41,85,51	6,37,50,09	2,04,35,42
04 गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व-			
दत्तमत	56,01,31	38,62,43	17,38,88
<i>प्रभारित</i>	2,00	0	2,00
पूँजीगत-			
दत्तमत	1	0	1
05 जेल			
राजस्व-			
दत्तमत	4,62,39,05	4,15,56,84	46,82,21
पूँजीगत-			
दत्तमत	70,50,00	31,57,01	38,92,99
06 वित्त			
राजस्व-			
दत्तमत	1,89,70,61,25	1,72,63,65,30	17,06,95,95
<i>प्रभारित</i>	1,31,16,02	6,52,74	1,24,63,28
पूँजीगत-			
दत्तमत	19,63,84,03	8,72,39,24	10,91,44,79
<i>प्रभारित</i>	1	0	1

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम		अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिक्य (हजार ₹ में)
07	वाणिज्यिक कर राजस्व-			
	दत्तमत	20,67,55,29	16,85,31,11	3,82,24,18
	प्रभारित	11,01	0	11,01
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	11,72,02	13,85	11,58,17
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व-			
	दत्तमत	20,58,91,70	17,37,80,83	3,21,10,87
	प्रभारित	13,85,54	10,80,23	3,05,31
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1,71,40,02	1,24,03,00	47,37,02
09	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राजस्व-			
	दत्तमत	39,66,78	33,76,24	5,90,54
	प्रभारित	1	0	1
10	वन राजस्व-			
	दत्तमत	18,17,93,81	15,24,73,57	2,93,20,24
	प्रभारित	80,00	52,90	27,10
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	11,15,46,85	9,81,44,71	1,34,02,14
11	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राजस्व-			
	दत्तमत	14,20,97,75	14,18,57,55	2,40,20
	प्रभारित	25	0	25
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	8,26,00,02	5,33,22,00	2,92,78,02
12	ऊर्जा राजस्व-			
	दत्तमत	1,86,48,05,92	1,86,38,80,79	9,25,13
	प्रभारित	1,00	0	1,00
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	32,84,43,02	19,87,80,78	12,96,62,24
13	किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व-			
	दत्तमत	1,59,90,45,24	1,53,88,84,58	6,01,60,66
	प्रभारित	45,00	8,42	36,58
	पूँजीगत-			
	दत्तमत	1	0	1

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
14 पशुपालन एवं डेयरी राजस्व-				
दत्तमत	10,99,99,89	9,07,31,65	1,92,68,24	
प्रभारित	13,88	9,65	4,23	
पूजीगत-				
दत्तमत	10,17,65	6,62,02	3,55,63	
15 विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	29,39,40	15,32,43	14,06,97	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूजीगत-				
दत्तमत	6,16,07	3,11,32	3,04,75	
16 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास राजस्व-				
दत्तमत	1,95,60,94	1,56,17,61	39,43,33	
प्रभारित	10,00	0	10,00	
पूजीगत-				
दत्तमत	1,44	0	1,44	
17 सहकारिता राजस्व-				
दत्तमत	13,48,14,65	12,03,58,15	1,44,56,50	
प्रभारित	12,00	0	12,00	
पूजीगत-				
दत्तमत	5,26,66,56	5,07,65,00	19,01,56	
18 श्रम राजस्व-				
दत्तमत	16,51,52,04	16,01,76,62	49,75,42	
प्रभारित	6,50	0	6,50	
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	1,00,28,78,73	93,65,39,10	6,63,39,63	
प्रभारित	40,50	10,73	29,77	
पूजीगत-				
दत्तमत	6,51,48,06	3,53,62,22	2,97,85,84	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	8,58,40,85	7,83,93,88	74,46,97	
प्रभारित	3,25,00	11,82	3,13,18	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,00,79,28,85	89,19,58,37	11,59,70,48	
21 लोक सेवा प्रबंधन				
राजस्व-				
दत्तमत	55,26,02	47,46,67	7,79,35	
प्रभारित	20	0	20	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,00,00	2,36	97,64	
22 नगरीय विकास एवं आवास				
राजस्व-				
दत्तमत	1,01,12,45,64	99,39,77,80	1,72,67,84	
प्रभारित	8,90,02,02	8,90,00,00	2,02	
पूँजीगत-				
दत्तमत	42,35,49,69	32,46,61,05	9,88,88,64	
प्रभारित	2,10,00,00	2,00,00,00	10,00,00	
23 जल संसाधन				
राजस्व-				
दत्तमत	12,59,25,65	10,13,34,70	2,45,90,95	
प्रभारित	20,25	0	20,25	
पूँजीगत-				
दत्तमत	63,34,89,40	55,89,13,95	7,45,75,45	
प्रभारित	1,20,00	1,12,39	7,61	
24 लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल				
राजस्व-				
दत्तमत	16,52,49,54	13,89,93,53	2,62,56,01	
पूँजीगत-				
दत्तमत	74,58,33,18	69,54,82,05	5,03,51,13	
प्रभारित	5,04,60,00	1,37,43,46	3,67,16,54	
25 खनिज साधन				
राजस्व-				
दत्तमत	59,24,37	37,37,64	21,86,73	
प्रभारित	7,38,48,63	7,38,43,63	5,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,50,07	0	8,50,07	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)					
26	संस्कृति				
	राजस्व-				
	दत्तमत	2,09,31,64	1,58,76,53	50,55,11	
	प्रभारित	51	0	51	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	1,04,85,08	9,33,69	95,51,39	
27	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,99,35,07,17	1,83,91,67,90	15,43,39,27	
	प्रभारित	5,00	0	5,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	3,85,89,00	3,69,10,10	16,78,90	
28	राज्य विधान मंडल				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,00,23,37	78,18,77	22,04,60	
	प्रभारित	65,94	28,03	37,91	
29	विधि और विधायी कार्य				
	राजस्व-				
	दत्तमत	16,57,52,73	12,21,74,39	4,35,78,34	
	प्रभारित	1,91,32,75	1,41,12,78	50,19,97	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	2,37,50,01	1,41,76,48	95,73,53	
30	ग्रामीण विकास				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,42,00,91,03	1,27,26,17,73	14,74,73,30	
	प्रभारित	6,81	0	6,81	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	36,32,00,07	32,26,96,40	4,05,03,67	
31	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,43,86,35	1,17,54,16	26,32,19	
	प्रभारित	1,00	0	1,00	
32	जनसंपर्क				
	राजस्व-				
	दत्तमत	3,96,83,84	3,69,65,43	27,18,41	
	प्रभारित	1,00	0	1,00	
	पूँजीगत-				
	दत्तमत	5,00,00	22,14	4,77,86	

विनियोग लेखे का सार—जारी

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
				बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
33	जनजातीय कार्य राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	81,55,22,15 5,00	68,65,76,56 1,09	12,89,45,59 3,91	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	17,51,16,50	4,98,90,10	12,52,26,40	
34	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	38,56,70,70 1,20	37,81,25,06 0	75,45,64 1,20	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	7,06,00	5,90,39	1,15,61	
35	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	6,83,56,71 10,28	6,54,75,76 10,26	28,80,95 2	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,34,50,03	1,27,02,66	7,47,37	
36	परिवहन राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	1,05,45,25 4,00	57,06,95 0	48,38,30 4,00	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	15,60,01	99,67	14,60,34	
37	पर्यटन राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	1,04,52,33 1	1,04,13,94 0	38,39 1	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,07,14,03	1,07,14,00	3	
38	आयुष राजस्व-				
	दत्तमत प्रभारित	6,15,72,78 8,00	5,60,63,16 0	55,09,62 8,00	
	पूजीगत-				
	दत्तमत	19,00,00	17,10,34	1,89,66	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण राजस्व-				
दत्तमत	10,56,83,86	7,97,47,23	2,59,36,63	
प्रभारित	86	0	86	
पूँजीगत-				
दत्तमत	5,61,33,37	4,93,76,75	67,56,62	
40 स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) राजस्व-				
दत्तमत	43,32,44,25	31,80,57,22	11,51,87,03	
प्रभारित	30,00	7,10	22,90	
पूँजीगत-				
दत्तमत	13,24,13,27	3,45,47,10	9,78,66,17	
41 प्रवासी भारतीय राजस्व-				
दत्तमत	90,93	1	90,92	
42 भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास राजस्व-				
दत्तमत	1,25,23,96	1,14,49,25	10,74,71	
प्रभारित	10,01	0	10,01	
पूँजीगत-				
दत्तमत	6,50,03	2,94,80	3,55,23	
43 खेल और युवक कल्याण राजस्व-				
दत्तमत	1,65,47,73	1,27,37,27	38,10,46	
पूँजीगत-				
दत्तमत	77,53,58	72,23,74	5,29,84	
44 उच्च शिक्षा राजस्व-				
दत्तमत	28,09,34,45	22,36,36,99	5,72,97,46	
प्रभारित	10,00	2,84	7,16	
पूँजीगत-				
दत्तमत	8,27,63,02	5,00,57,46	3,27,05,56	
45 लोक परिसंपत्ति प्रबंधन राजस्व-				
दत्तमत	22,82,08	17,77,21	5,04,87	
पूँजीगत-				
दत्तमत	10,00,00	6,08,19	3,91,81	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत (हजार ₹ में)	आधिक्य
46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी				
राजस्व-				
दत्तमत	1,38,91,23	1,27,33,38	11,57,85	
पूँजीगत-				
दत्तमत	1,01,65,00	83,70,00	17,95,00	
47 तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार				
राजस्व-				
दत्तमत	11,22,04,40	9,08,09,72	2,13,94,68	
प्रभारित	5,00	76	4,24	
पूँजीगत-				
दत्तमत	3,35,06,28	2,19,78,10	1,15,28,18	
48 नर्मदा घाटी विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	14,92,41	12,74,37	2,18,04	
पूँजीगत-				
दत्तमत	68,50,60,91	47,63,00,74	20,87,60,17	
प्रभारित	1,00,00	46,26	53,74	
49 अनुसूचित जाति कल्याण				
राजस्व-				
दत्तमत	15,88,45,36	13,84,32,52	2,04,12,84	
प्रभारित	10,00	0	10,00	
पूँजीगत-				
दत्तमत	2,12,20,04	1,03,73,45	1,08,46,59	
50 उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
राजस्व-				
दत्तमत	7,60,92,76	4,55,16,56	3,05,76,20	
प्रभारित	50	26	24	
पूँजीगत-				
दत्तमत	35,00,03	7,96,55	27,03,48	
51 अध्यात्म				
राजस्व-				
दत्तमत	1,05,29,69	46,19,09	59,10,60	
प्रभारित	1,50	0	1,50	
पूँजीगत-				
दत्तमत	18,00,00	0	18,00,00	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
52 चिकित्सा शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	15,46,37,54	14,47,79,81	98,57,73	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूजीगत-				
दत्तमत	12,70,52,65	5,86,13,04	6,84,39,61	
53 लोक निर्माण कार्य—भवन				
राजस्व-				
दत्तमत	3,53,85,29	3,42,84,96	11,00,33	
प्रभारित	2,10,00	51,90	1,58,10	
पूजीगत-				
दत्तमत	97,21,00	26,82,95	70,38,05	
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा				
राजस्व-				
दत्तमत	1,64,42,21	1,64,42,20	1	
55 महिला एवं बाल विकास				
राजस्व-				
दत्तमत	52,78,92,10	46,81,73,19	5,97,18,91	
प्रभारित	5,00	80	4,20	
पूजीगत-				
दत्तमत	1,06,76,07	93,11,07	13,65,00	
56 कुटीर एवं ग्रामोद्योग				
राजस्व-				
दत्तमत	1,11,56,29	89,01,41	22,54,88	
प्रभारित	1,00	0	1,00	
पूजीगत-				
दत्तमत	1,37,08	4,87	1,32,21	
57 पर्यावरण				
राजस्व-				
दत्तमत	25,00,01	24,77,99	22,02	
पूजीगत-				
दत्तमत	25,00	25,00	0	
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
राजस्व-				
दत्तमत	53,21,98,92	50,28,16,83	2,93,82,09	
प्रभारित	10	0	10	
पूजीगत-				
दत्तमत	5,93,90,01	3,86,41,20	2,07,48,81	

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(हजार ₹ में)				
59	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं पूंजीगत- दत्तमत	6,02,00,00	6,02,00,00	0
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय राजस्व- दत्तमत पूंजीगत- दत्तमत	94,65,00 4,53,10,00	88,38,57 4,03,37,69	6,26,43 49,72,31
61	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय राजस्व- दत्तमत पूंजीगत- दत्तमत	44,84,42 1,01,51,05	22,44,38 72,31,14	22,40,04 29,19,91
62	पंचायत राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> 50 पूंजीगत- दत्तमत	52,67,01,78 1	34,41,77,80 0	18,25,23,98 50 1
63	अल्प संख्यक कल्याण राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> 10 पूंजीगत- दत्तमत	16,96,26 1,79,15,61	8,71,10 19,73,16	8,25,16 1,59,42,45
64	पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व- दत्तमत <i>प्रभारित</i> 6,70 पूंजीगत- दत्तमत	15,51,78,39 17,70,02	13,68,77,23 2,74,77	1,83,01,16 14,95,25
65	विमानन राजस्व- दत्तमत पूंजीगत- दत्तमत	67,27,86 1,00,02	56,80,27 36,00	10,47,59 64,02

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना बचत आधिक्य (हजार ₹ में)
योग	28,27,79,61,16	24,29,93,35,20	3,97,86,25,96
राजस्व-			
दत्तमत	18,08,60,53,95	16,30,89,46,90	1,77,71,07,05
प्रभारित	2,55,09,55,95	2,02,78,43,76	52,31,12,19
पूँजीगत-			
दत्तमत	5,78,98,32,08	4,41,23,98,22	1,37,74,33,86
प्रभारित	1,85,11,19,18	1,55,01,46,32	30,09,72,86
महायोग			
राजस्व-	20,63,70,09,90	18,33,67,90,66	2,30,02,19,24
पूँजीगत-	7,64,09,51,26	5,96,25,44,54	1,67,84,06,72

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदानों और प्रभारित विनियोगों पर कोई आधिक्य नहीं है।

विनियोग लेखे के सार में दर्शित व्यय 31 मार्च 2022 को आहरित कर शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा नहीं की गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट-II** में दर्शाया गया है।

प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम द्वारा प्रदाय किए गए ई-डाटा के द्वारा, संचालक, कोष एवं लेखा द्वारा 94.72 प्रतिशत अंक मिलान किया गया।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	16,30,89,46,90	2,02,78,43,76	4,41,23,98,22	1,55,01,46,32
घटाइये-वसूलियों का जोड़	23,06,60,79	0	0	0
वित्त लेखे की विवरण संख्या-11 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	16,07,82,86,11	2,02,78,43,76	4,41,23,98,22	1,55,01,46,32

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट-I** में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:-

[क] दत्तमत अनुदान

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| (i) | राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65 |
| (ii) | पूंजीगत-अनुदान संख्या | 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | | |
|------|-----------------------|---|
| (i) | राजस्व-अनुदान संख्या | 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 62, 63, 64, CH-II |
| (ii) | पूंजीगत-अनुदान संख्या | 06, 24, 48, CH-I |

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही मध्यप्रदेश सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे मध्यप्रदेश सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी)-प्रथम के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत मध्यप्रदेश के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और मध्यप्रदेश सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-द्वितीय) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी)-प्रथम के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

मामले का महत्व

मैं,

1. राज्य विधान सभा द्वारा 12 अनुदानों तथा 07 विनियोगों के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2020-21 की अवधि में प्राधिकृत राशि से किये गये अधिक संवितरण ₹1,678.00 करोड़ का राज्य विधान सभा द्वारा नियमितिकरण होना अभी शेष है। यह संविधान के अनुच्छेद 204 एवं 205 का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि संचित निधि से कोई धन राज्य विधान सभा के विधि द्वारा बनाये गये विनियोग के बिना नहीं निकाला जायेगा। (संदर्भ-विगत वर्षों के विनियोग लेखे)
2. बजट के निगरानी इस प्रकार की जानी चाहिए कि किसी अनुदान/विनियोग के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य का आकलन किसी भी समय एक नजर में किया जा सके। अनुदानों/विनियोगों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि ₹263.25 करोड़ की राशि उपलब्ध बचत से अधिक अभ्यर्पित की गई थी जो कि अव्यावहारिक और अवास्तविक है (08 अनुदानों के अंतर्गत ₹4,533.84 करोड़ की बचत एवं उनके अंतर्गत ₹4,797.09 करोड़ समर्पित है)। जो कि निधियों का अभ्यर्पण तथा बजट की निगरानी में कमी को दर्शाता है। (संदर्भ-अनुदान 12, 27, 29, 33, 35, 49, 60 एवं 65)

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

‘मामले के महत्व’ खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 06/12/2022

स्थान: नई दिल्ली

भारित विनियोग—लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष—6003—राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूँजीगत:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,77,94,39,17			
पूरक	0	1,77,94,39,17	1,51,62,44,21	(-) 26,31,94,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				8,49,02

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत:

- (1) ₹ 2,63,194.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान केवल ₹ 849.02 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-101.0716- विविध ऋण भुगतान	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 2,966.40	7,033.60	0.00	(-) 7,033.60	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,966.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.5436- 7.13 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
6003-101.6054- 8.31 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारित विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-101.6055-8.32 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2019	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.6056-8.31 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.6237-8.54 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-101.6444-8.41 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6003-101.6876-8.36 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6003-101.6880-8.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6003-101.6881-8.33 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6003-104.3093-भारतीय सामान्य बीमा निगम से कर्ज	मूल	90.04	90.04	67.66	(-) 22.38	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-108.3751-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	मूल पुनर्वि.	3,447.00 (-) 849.02	2,597.98	2,597.98	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 849.02 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक गणना से भुगतान के कारण हुई हैं।

भारत विनियोग-लोक ऋण जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-110.0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	मूल पुनर्वि.	2,00,000.00 (-) 31,500.00	1,68,500.00	0.00	(-)1,68,500.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 31,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6003-110.0779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	मूल	2,00,000.00	2,00,000.00	0.00	(-)2,00,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-01.201.0489-आवास गृह अग्रिम (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अग्रिम)	मूल	6.01	6.01	0.00	(-) 6.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-02.101.3052-लोक ऋण	मूल	30,000.00	30,000.00	26,874.78	(-) 3,125.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-02.105.6983-12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार समकित ऋण	मूल	48,600.00	48,600.00	36,305.97	(-) 12,294.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6004-04.102.3128-भू एवं जल संरक्षण के लिये उधार	मूल	187.11	187.11	0.00	(-) 187.11	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

भारित विनियोग-लोक ऋण समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6003-109.1216- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से कर्जे	मूल	3,400.00	3,400.00	4,293.86	+893.86	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
6003-111.6835- केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधी को जारी विशेष प्रतिभूतियां	मूल	2,20,000.01	2,20,000.01	3,31,908.34	+ 1,11,908.33	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी आधिक्य हुई थी।
6004-02.101.9086- बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	मूल पुनर्वि.	67,500.00 31,500.00	99,000.00	1,15,046.62	+ 16,046.62	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 31,500.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुई थी।
6003-101-64- 8.75 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2000	मूल	0.00	0.00	0.02	+0.02	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

(मुख्य शीर्ष- 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049-ब्याज अदायगियां)
राजस्व:

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,09,42,81,51			
पूरक	25,11,32,80	2,34,54,14,31	1,84,45,91,25	(-) 50,08,23,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				11,41,59

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- चूंकि वास्तविक व्यय ₹ 18,44,591.25 लाख मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 2,51,132.80 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- ₹ 5,00,823.06 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 1,141.59 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.5436- 7.13 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	0.99	0.99	0.00	(-) 0.99	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.6444- 8.41 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2020	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.6763- नया बाजार ऋण	मूल पुनर्वि.	2,00,000.00 (-) 4,241.83	1,95,758.17	1,34,080.11	(-) 61,678.06	₹ 4,241.83 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन से आंशिक रूप से नया बाजार के ऋण के लिये पूरक बजट प्रावधान के कारण हुई। शेष बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.6876-8.36 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.6880-8.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.6881-8.33 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.9320-8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2033	मूल	3,212.27	3,212.27	0.00	(-) 3,212.27 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.101.9321-8.63 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	मूल	4,327.08	4,327.08	0.00	(-) 4,327.08 सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9925-6.61 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2037	पूरक	46,270.00	46,270.00	4,500.00	(-) 41,770.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9926-7.03 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2031	पूरक	42,180.00	42,180.00	4,100.00	(-) 38,080.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9927-4.94 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण 2023	पूरक	494.00	494.00	247.00	(-) 247.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9928-5.52 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	पूरक	16,560.00	16,560.00	8,280.00	(-) 8,280.00 बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.9931-7.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2031	पूरक	14,000.00	14,000.00	0.00	(-)14,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9933-6.85 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2031	पूरक	54,800.00	54,800.00	27,400.00	(-) 27,400.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.200.3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज	मूल	65,000.00	65,000.00	49,310.35	(-) 15,689.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.200.6343-विशेष जमा खाते पर ब्याज	मूल	20.01	20.01	0.00	(-) 20.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.200.6848-निगम/मंडल के.पी.डी. खातों पर ब्याज	मूल	20.01	20.01	0.00	(-) 20.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.200.6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	मूल	1,000.00	1,000.00	250.00	(-) 750.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.305.2205-नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय	मूल पूरक	2,000.00 23,600.00	25,600.00	286.00	(-) 25,314.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-01.305.2624-पुराने ऋणों का प्रबंध	मूल	10,000.00	10,000.00	2,502.76	(-) 7,497.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2049-03.104.0083-अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	1.00	1.00	0.00	(-) 1.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-03.104.0095-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	मूल	1,300.00	1,300.00	969.28	(-) 330.72	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-03.104.4033-विभागीय भविष्य निधियों पर ब्याज	मूल	8,000.00	8,000.00	12,439.28	+ 4,439.28	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-04.101.3707-राज्य/संघराज्य क्षेत्रों की योजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	मूल	80,000.00	80,000.00	45,832.52	(-) 34,167.48	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-60.701.0716-विविध ऋण भुगतान	मूल	1,67,900.00	1,67,900.00	0.00	(-)1,67,900.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.3588-मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान की राशि के भुगतान में विलम्ब होने पर ब्याज	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2049-60.701.6587-अन्य दायित्वों पर ब्याज	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-) 8,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

भारत विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-60.701.6971- शासकीय कर्मचारी सह समूह बीमा योजना	मूल	10,000.00	10,000.00	6,520.47	(-) 3,479.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-60.701.6972- शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना-1985 (बचत निधि पर ब्याज)	मूल	8,000.00	8,000.00	5,102.32	(-) 2,897.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9326- 8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	मूल	8,370.00	8,370.00	5,017.00	(-) 3,353.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9829- 6.69 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल	6,690.00	6,690.00	3,345.00	(-) 3,345.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9835- 6.69 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2030	मूल	6,690.00	6,690.00	3,345.00	(-) 3,345.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9930- 4.77 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2023	पूरक	21,178.80	21,178.80	14,227.98	(-) 6,950.82	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2049-01.101.9932- 5.99 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2026	पूरक	11,980.00	11,980.00	5,990.00	(-) 5,990.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.7584- 8.95 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2024	मूल	9,397.50	9,397.50	13,872.50	+ 4,475.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2049-01.101.9318-8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2033	मूल	8,640.00	8,640.00	11,845.44	+ 3,205.44	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.9319-8.64 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	मूल पुनर्वि.	2,810.51 749.37	3,559.88	3,559.88	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 749.37 लाख की आवर्धन ऋण को पुनः जारी करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-01.101.9325-8.37 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण 2028	मूल पुनर्वि.	8,461.54 3,256.46	11,718.00	11,718.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,256.46 लाख की आवर्धन लोन को पुनः जारी करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2049-04.104.0471-आयोजनेतर योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	पुनर्वि.	236.00	236.00	235.82	(-) 0.18	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 236.00 लाख की आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013-मंत्री परिषद्, 2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,46,63,34			
पूरक	10,25,51	7,56,88,85	4,70,34,52	(-) 2,86,54,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 फरवरी 2022, 29 एवं 31 मार्च 2022)				2,40,77,61

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	45,43,44			
पूरक	33,91,11	79,34,55	43,39,08	(-) 35,95,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 फरवरी 2022, 29 एवं 31 मार्च 2022)				32,03,57

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	90,48,30			
पूरक	26,76,50	1,17,24,80	77,65,47	(-) 39,59,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 फरवरी 2022, 29 एवं 31 मार्च 2022)				35,46,15

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, ₹ 1,025.51 लाख (दिसम्बर 2021 में ₹ 25.50 लाख एवं मार्च 2022 में ₹ 1,000.00 लाख) का प्राप्त किया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 28,654.32 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 फरवरी 2022, 29 एवं 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 24,077.61 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2013-101.3282- मंत्रियों के वेतन	मूल पुनर्वि.	284.20 (-) 59.48	224.72	224.72	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 59.48 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2013-102.1922- पूर्व मुख्यमंत्रियों को मानदेय तथा भत्ते	मूल पूरक पुनर्वि.	128.55 सांकेतिक (-) 72.62	55.93	55.93	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 72.62 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2013-105.9064- मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,400.00 (-) 680.28	2,719.72	2,719.72	0.00	₹ 680.28 लाख (₹ 680.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में + ₹ 0.25 लाख समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2015-101.6262- राज्य निर्वाचन आयोग	मूल पुनर्वि.	2,064.35 (-) 707.57	1,356.78	1,339.64	(-) 17.14	₹ 707.57 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 708.07 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.50 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 707.57 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनाव निरस्त होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2015-101.6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	22,099.50 (-) 15,909.53	6,189.97	2,272.00	(-) 3,917.97	समर्पण के रूप में ₹ 15,909.53 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत, नगरीय निकाय एवं पंचायत के चुनाव निरस्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-090.4327-सचिवालय	मूल पुनर्वि.	14,488.87 (-) 4,028.42	10,460.45	10,544.40	+ 83.95	₹ 4,028.42 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 155.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4,183.42 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 272.60 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 3,710.82 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः रिक्त पदों के कारण हुई। जबकि वृद्धि आगामी वेतन एवं भत्तों का भुगतान, चिकित्सा देयकों एवं कोविड19 के लिये बजट प्रावधान के कारण हुई। अंतिम वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2059-80.001.3541-मुख्य तकनीकी परीक्षक का कार्यालय	मूल	588.20	588.20	364.37	(-) 223.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2070-003.2716-प्रशासन अकादमी	मूल पुनर्वि.	1,227.75 (-) 441.63	786.12	780.25	(-) 5.87	₹ 441.63 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.60 लाख की वृद्धि एवं ₹ 454.23 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12.60 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 441.63 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः रिक्त पदों के वेतन निकासी न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि अंशतः प्रशासनिक अकादमी का वेतन एवं भत्तों का भुगतान करने के लिये हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2062-103.3844- लोक आयुक्त	मूल पूरक	4,268.66 2.50	4,271.16	3,671.04	(-) 600.12	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72.07 लाख की समान वृद्धि एवं कमी हुई है। कमी वास्तविक व्यय के कारण हुई है। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

प्रभारित

- (4) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, ₹ 3,391.11 लाख (अगस्त 2021 में ₹ 3,360.00 लाख एवं दिसम्बर 2021 में ₹ 31.11 लाख) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 3,595.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 फरवरी 2022, 29 एवं 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 3,203.57 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2012-03.090.4330- राज्यपाल सचिवालय (भारित)	मूल पूरक	804.92 31.11	836.03	631.08	(-) 204.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2012-03.101.3708- राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते (भारित)	मूल	106.50	106.50	41.42	(-) 65.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2012-03.103.9059- घरेलू कर्मचारी (भारित)	मूल	556.77	556.77	477.90	(-) 78.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015.101.6757- स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 10.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2051.102.3689- राज्य लोक सेवा आयोग	मूल	3,019.93	3,189.36	3,183.80	(-) 5.56	₹ 3,190.57 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.40 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,255.97 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 65.40 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 3,190.57 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः वास्तविक बचत के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	3,360.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,190.57				
2070-003.2716- प्रशासन अकादमी	मूल	36.00	36.00	0.00	(-) 36.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 2,676.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 3,959.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 28 फरवरी 2022, 29 एवं 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 3,546.15 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01-051.0101.1341- मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली का पुर्ननिर्माण	मूल	5,600.00	3,501.50	3,501.50	0.00	₹ 2,098.50 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,848.50 लाख) संभावित बचत एवं निर्माण एजेंसी एनबीसीसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।
	पुनर्वि.	(-) 2,098.50				

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1343- नई दिल्ली में प्रस्तावित कार्यालयों की स्थापना हेतु अधोसंरचना का विकास	मूल पुनर्वि.	165.00 (-) 165.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रत्याशित बचत ₹165.00 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.2363- राजभवन में लघु मूल कार्य	मूल	453.48	453.48	306.37	(-) 147.11	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4059-01.051.6925- नई दिल्ली में प्रस्तावित मध्यांचल भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7212- राजभवन में आडिटोरियम का निर्माण	मूल	347.13	347.13	98.76	(-) 248.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.7213- मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	मूल पुनर्वि.	500.00 250.00	750.00	748.59	(-) 1.41	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 250.00 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण कार्य के लिये हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) ₹ 4,76,54,158/- की समर्पण स्वीकृति क्रमांक F-56 B/Lekha/S.I.C./2022/5689 दिनांक 31.05.2022 एवं ₹ 6,02,34,577/- की समर्पण स्वीकृति क्रमांक 36/Lekha/Budget/2021-22 दिनांक 07.04.2022 को नियत तिथि 31.03.2022 के उपरांत क्रमशः दिनांक 13.05.2022 एवं 07.04.2022 को जारी किये जाने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,33,33,43			
पूरक	17,00	1,33,50,43	77,44,15	(-) 56,06,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,78,23

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में ₹ 17.00 लाख प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,606.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 578.23 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-105.4079-विशेष जाँच आयोग	मूल पुनर्वि.	82.35 (-) 82.35	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 82.35 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-800.4678-स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय	मूल पुनर्वि.	617.28 (-) 364.16	253.12	252.61	(-) 0.51	₹ 364.16 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 365.16 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 364.16 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी आवश्यकतानुसार खर्च के कारण हुई। जबकि वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-800.6910-राज्य सूचना आयोग की स्थापना	मूल	1,044.08	1,044.08	569.83	(-) 474.25	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 27.49 लाख का समान राशि की वृद्धि एवं कमी की गई। कमी संभावित बचत के कारण हुई। जबकि ₹ 9.48 लाख वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई हैं। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.107.4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन	मूल	2,400.00	2,400.00	1,622.14	(-) 777.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.200.5710-लोकनायक जय प्रकाश सम्मान निधि	मूल	8,000.00	8,000.00	4,222.85	(-) 3,777.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03-पुलिस

(मुख्य शीर्ष-2055-पुलिस, 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2216-आवास, 4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	78,32,23,55			
पूरक	1,50,06	78,33,73,61	66,73,66,32	(-) 11,60,07,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				10,52,95,20

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,52,50			
पूरक	0	1,52,50	27,47	(-) 1,25,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,25,03

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,41,85,51			
पूरक	1,00,00,00	8,41,85,51	6,37,50,09	(-) 2,04,35,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,04,35,42

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, ₹ 150.06 लाख का अनुपूरक अनुदान, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 100.06 लाख एवं दिसम्बर 2021 में ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,16,007.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,05,295.20 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई है:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-001.1011- क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,691.64 (-) 816.76	1,874.88	1,866.36	(-) 8.52	₹ 816.76 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 21.25 लाख की वृद्धि एवं ₹ 838.01 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11.25 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 826.76 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत एवं स्थानांतरण ग्रांट में कम बजट प्रावधान के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-001.7189- केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	1,250.00 (-) 1,022.35	227.65	227.65	0.00	₹ 1,022.35 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 470.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 552.35 लाख) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-104.4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पुनर्वि.	1,48,481.12 (-) 21,693.50	1,26,787.62	1,25,833.71	(-) 953.91	₹ 21,693.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 531.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 20,866.35 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 531.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 20,335.35 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2055.109.4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल पुनर्वि.	4,33,645.60 (-) 51,188.38	3,82,457.22	3,81,603.61	(-) 853.61	₹ 51,188.38 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,576.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 4.38 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,083.33 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 55,681.05 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2055.109.7822-मध्यप्रदेश पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 2,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 2,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
2055-115.0101.7348-अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र और व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	3,085.00 (-) 2,570.89	514.11	514.11	0.00	₹ 2,570.89 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,309.65 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 261.24 लाख) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-116.3593-मेडीको लीगल इन्स्टीट्यूट	मूल पुनर्वि.	556.55 (-) 231.97	324.58	325.98	+1.40	₹ 231.97 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.35 लाख की वृद्धि एवं ₹ 232.32 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.35 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 231.97 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-116.0801.5430-फोरेन्सिक साईंस लेबोरेटरी का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	140.02 (-) 110.02	30.00	30.00	0.00	₹ 110.02 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 140.02 (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ ₹ 110.02 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-800.6329-नवीन भर्ती प्रक्रिया पर व्यय	मूल पुनर्वि.	1,110.35 (-) 1,110.35	0.00	0.00	0.00	समर्पण में रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 1,110.35 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-800.8333-सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	2,002.00 (-) 1,296.06	705.94	705.96	+0.02	₹ 1,296.06 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,197.06 लाख) की कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-800.0701.7347- नारकोटिक्स शाखा का पुनर्गठन	मूल पुनर्वि.	42.62 (-) 42.62	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 42.62 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
2055-800.0101.1418- आंतरिक सुरक्षा का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	300.02 (-) 252.27	47.75	47.75	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 252.27 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
2070-107.0492- आव्हान पर होने वाला व्यय	मूल पूरक पुनर्वि	38,584.00 25.00 (-) 1,818.39	36,791.41	28,410.27	(-) 8,381.14	₹ 1,818.39 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 0.11 लाख + ₹ 1,818.28 समर्पण के रूप में) की कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2070-107.4670- स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	172.56 (-) 65.20	107.36	107.21	(-) 0.15	₹ 65.20 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 0.04 लाख + ₹ 65.16 लाख समर्पण के रूप में) की कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2070-107.0701.7867- नगर सेना का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 150.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत शासन द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-107.0101.7327-राज्य आपदा आपातकालीन मोचन बल का गठन	मूल पूरक पुनर्वि	3,650.29 सांकेतिक (-) 1,209.48	2,440.81	2,440.77	(-) 0.04	₹ 1,209.48 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,211.48 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,209.48 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी मितव्ययता, प्रतिनियुक्ति के कर्मचारियों को H.R.A. न दिये जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के लिये हुई अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-108.0101.7185-राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि	4,682.90 सांकेतिक 1,167.90	5,850.80	5,809.38	(-) 41.42	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,167.90 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,563.75 लाख की वृद्धि एवं ₹ 395.85 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 113.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 282.85 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। जबकि वृद्धि लंबित वेतन देयको, स्थानांतरण ग्रांट, मंहगाई भत्ता इत्यादि कि के भुगतान के लिये हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-109.0101.5555- बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	322.01 118.00	440.01	440.01	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 118.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि पूर्व वर्ष के लंबित सी.सी.टी.वी., विद्युत बिल देयको के भुगतान के लिये हुई एवं ₹ 182.00 लाख समर्पण के रूप में कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2055-115.0704.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	पूरक पुनर्वि.	0.01 438.31	438.32	467.11	+ 28.79	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 438.31 लाख का आवर्धन कम बजट की कमी के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता सेगमेंट कोड 704 के लिये किया गया, अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित

- (5) ₹ 125.03 लाख की संपूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
 (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055.109.4491- सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 122.53	27.47	27.47	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 122.53 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त ₹ 10,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
 (8) ₹ 20,435.42 लाख की संपूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 03—पुलिस जारी

(9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055.109.6065- थाने का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 640.44	359.56	359.56	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 640.44 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
4055-207.0270- अपराध अनुसंधान विभाग	मूल पुनर्वि.	3,600.01 (-) 985.71	2,614.30	2,614.30	0.00	₹ 985.71 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 156.27 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 829.44 लाख) की प्रत्याशित बचत प्रावधान में संभावित बचत के कारण हुई।
4055.207.3680- पुलिस मुख्यालय	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 123.23	376.77	376.77	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 123.23 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
4055-207.4155- वायरलेस कार्यालय भोपाल एवं ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 3,792.95	1,207.05	1,207.05	0.00	₹ 3,792.95 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,266.69 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,526.26 लाख) की प्रत्याशित बचत प्रावधान में संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4055.207.7823- पुलिस चिकित्सालय का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
4055-800.8333- सड़क सुरक्षा निधि से व्यय	मूल पुनर्वि.	2,100.00 (-) 1,344.00	756.00	756.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,344.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
4055.211.0102. 3059- मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि	9,200.00 2,300.00 (-) 2,300.00	9,200.00	7,683.84	(-) 1,516.16	समर्पण के रूप में ₹ 2,300.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4055.211.0101. 3059- मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि	24,899.99 6,000.00 (-) 6,000.00	24,899.00	27,470.87	+ 2,570.88	समर्पण के रूप में ₹ 6,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—पुलिस समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055.800.0801.1948- नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉस सिस्टम	मूल पुनर्वि.	390.00 (-) 244.68	145.32	145.32	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 244.68 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
4055-800.0703.5172- अनुसूचित जाति जनजाति के थानों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 300.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 300.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।
4055-800.0101.7346- केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	मूल पुनर्वि.	3,010.00 (-) 2,993.48	16.52	16.52	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,993.48 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4055.207.0801.5430- फोरेन्सिक साईंस लेबोरेटरी का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	294.85 139.19	434.04	434.04	0.00	₹ 139.19 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 139.20 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पी डी खातों में जमा के कारण हुई। जबकि कमी संभावित बचत के कारण हुई।
4055-207.0704.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,862.95	1,862.95	1,862.95	0.00	₹ 1,862.95 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,863.69 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.74 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4055-207.0701.2643- पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	2,200.00 403.00	2,603.00	2,603.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 403.00 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद्, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2216-आवास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	56,01,31			
पूरक	0	56,01,31	38,62,43	(-) 17,38,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				8,24,17

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,00			
पूरक	0	2,00	0	(-) 2,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,738.88 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 824.17 लाख राशि को अभ्यर्पित किया गया।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070-114.3598-मोटर गैरेज	मूल पुनर्वि.	927.99 (-) 214.65	713.34	710.96	(-) 2.38	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 214.65 लाख की प्रत्याशित बचत मंहगाई भत्ते की घोषणा न होना तथा वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई।
2216-80.001.5347-संपदा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	160.66 (-) 54.23	106.43	106.43	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 54.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-60.200.1338-म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015	मूल पुनर्वि.	1,500.02 (-) 209.38	1,500.02	866.02	(-) 634.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-60.200.3700-राज्य सैनिक बोर्ड	मूल पुनर्वि.	261.97 (-) 43.76	218.21	220.70	+ 2.49	समर्पण के रूप में ₹ 43.76 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-60.200.9262-जिला सैनिक बोर्ड	मूल पुनर्वि.	1,341.06 (-) 209.38	1,131.68	1,142.87	+ 11.19	समर्पण के रूप में ₹ 209.38 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-60.200.0101.7329-राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सचिवालय	मूल पुनर्वि.	295.29 (-) 142.40	152.89	79.90	(-) 72.99	समर्पण के रूप में ₹ 142.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-60.200.0101.7331-आपदा प्रबंधन क्षमता विकास	मूल पुनर्वि.	135.46 (-) 94.14	41.32	17.83	(-) 23.49	समर्पण के रूप में ₹ 94.14 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—जेल

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष— 2056-जेल, 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत व्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,58,04,05			
पूरक	4,35,00	4,62,39,05	4,15,56,84	(-) 46,82,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				46,32,11

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	70,50,00			
पूरक		70,50,00	31,57,01	(-) 38,92,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				38,92,99

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त ₹ 435.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,682.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 4,632.11 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-001.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	1,197.08 (-) 253.81	943.27	940.27	(-) 3.00	समर्पण के रूप में ₹ 253.81 लाख की प्रत्याशित बचत मांग न होने के कारण, वास्तविक व्यय एवं संभावित बचत के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—जेल समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2056-101.0101.5044-जेल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	580.00 (-) 205.73	374.27	375.60	+ 1.33	समर्पण के रूप में ₹ 205.73 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय, संभावित बचत, मांग न होने एवं आईएफएमआईएस में त्रुटिपूर्ण राशि दर्शित होने के कारण हुई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2056-101.0101.5048-बंदियों के लिये औद्योगिक प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	146.00 (-) 79.48	66.52	66.52	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 79.48 लाख की प्रत्याशित बचत मांग न होने एवं तिमाही खर्च सीमा में होने के कारण हुई।
2056-102.7817-बंदियों द्वारा सामग्री निर्माण हेतु एकमुश्त सहायता	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 456.00	144.00	144.00	0.00	₹ 456.00 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 256.00 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 200.00 लाख) की प्रत्याशित बचत तिमाही खर्च सीमा में होने के कारण एवं वास्तविक व्यय के कारण हुई।

पूँजीगत:

- (4) संपूर्ण बचत राशि ₹ 3,892.99 लाख 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.0849-जेलों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,200.00 (-) 993.02	206.98	206.98	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 993.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.6405-जेल भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 2,555.83	2,444.17	2,444.17	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,555.83 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी। .

अनुदान संख्या 06-वित्त

(मुख्य शीर्ष- 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं, 2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय, 6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि, 7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,82,27,78,25			
पूरक	7,24,83,00	1,89,70,61,25	1,72,63,65,30	(-) 17,06,95,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				31,37,28

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,31,16,02			
पूरक	0	1,31,16,02	6,52,74	(-) 1,24,63,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,10

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	18,73,84,03			
पूरक	90,00,00	19,63,84,03	8,72,39,24	(-) 10,91,44,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 72,483.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,70,695.95 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 3,137.28 लाख की राशि समर्पित की गई।
- (3) बचत मुख्यतः निम्न प्रावधानों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी	
2052-091.1349- उच्च शिक्षा ऋण का एक मुश्त भुगतान	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।	
2052-091.4295- संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली	मूल	421.28	421.28	152.09	(-) 269.19	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि ₹ 3.00 लाख की कमी और वृद्धि हुई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2052-091.4296- संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	812.99 (-) 502.78	310.21	309.54	(-) 0.67	समर्पण के रूप में ₹ 502.78 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-091.6357- पी.पी.पी. प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	1,529.85 (-) 1,430.98	98.87	98.87	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,430.98 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.9508- कर्मचारी आयोग	मूल	234.51	234.51	10.80	(-) 223.71	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2052-091.0101.5652- म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 75.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-003.3843- लेखा प्रशिक्षण शालाए आंतरिक लेखा परीक्षण का सुदृढीकरण	मूल	254.18	254.18	213.90	(-) 40.28	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि ₹ 16.00 लाख की कमी और वृद्धि हुई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2054-095.5329- लंबित देयकों के भुगतान	मूल पुनर्वि.	90,000.00 (-) 1,159.03	88,840.97	0.00	(-) 88,840.97	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 1,159.03 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2054-095.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	4,565.00 (-) 24.52	4,540.48	25,85.68	(-) 1,954.80	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 24.52 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-097.1026- खजाना स्थापना	मूल पुनर्वि.	8,946.45 (-) 9.00	8,937.45	6,813.08	(-) 2,124.37	₹ 9.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन में ₹ 26.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2054-098.4361- बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा	मूल	5,453.55	5,453.55	4,025.36	(-) 1,428.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2070-800.0101.0224- अन्य व्यय	मूल	10,000.03	10,000.03	0.00	10,000.03	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 10,000.03 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2070-800.9135- म.प्र.पी.आई. कंपनी को संधारण अनुदान	मूल	1,000.00	1,000.00	50.63	(-) 949.37	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2071-01.101.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	8,98,144.00 (-) 3,96,500.00	5,01,644.00	4,13,946.85	(-) 87,697.15	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 3,96,500.00 लाख की बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.102.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	350.00 (-) 10,000.00	25,000.00	24,232.18	(-) 767.82	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 10,000.00 लाख की बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई
2071-01.102.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 7,500.00	2,500.00	1,527.77	(-) 972.23	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 7,500.00 लाख की बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई
2071-01.104.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	15,000.00 (-) 10,000.00	5,000.00	2,868.55	(-) 2,131.45	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 10,000.00 लाख की बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई
2071-01.105.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	1,97,364.00 (-) 43,000.00	1,54,364.00	1,19,174.72	(-) 35,189.28	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 43,000.00 लाख की बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2071-01.111.9999- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	3,400.56 (-) 905.00	2,495.56	1,561.77	(-) 933.79	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 905.00 लाख की बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3475-797.8094- रिजर्व फण्ड में हस्तांतरण तथा जमा लेखे	मूल	95.00	95.00	0.00	(-) 95.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01.101.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	1,756.92 3,00,000.00	3,01,756.92	3,69,923.60	+ 68,166.68	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 3,00,000.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2071-01.104.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	2,05,198.00 85,000.00	2,90,198.00	2,93,859.50	+ 3,661.50	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 85,000.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई।
2071-01.105.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	55,000.00 42,500.00	97,500.00	1,24,970.66	+ 27,470.66	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 42,500.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2071-01.111.9998- मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	600.00 400.00	1,000.00	1,242.27	+ 242.27	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 400.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2071-01.115. 9998- एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल पुनर्वि.	37,300.00 40,000.00	77,300.00	76,401.56	(-) 898.44	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 40,000.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2075-797.6857- प्रतिपूर्ति रिडमशन निधि में स्थानान्तरण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 1,159.03	2,659.03	2,659.03	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 1,159.03 लाख की प्रावधान में आवर्धन, प्रतिपूर्ति रिडमशन निधि में स्थानान्तरण के कारण की गई।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

प्रभारित

- (5) ₹ 12,463.28 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 4.10 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-095.5329-लंबित देयकों के भुगतान	मूल	10,000.00	10,000.00	0.00	(-) 10,000.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 10,000.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.5158-सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	मूल	301.92	301.92	0.00	(-) 301.92	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 301.92 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.101.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	1,000.00	1,000.00	141.50	(-) 858.50	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.102.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	500.00	500.00	20.41	(-) 479.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2071-01.103.9999-एकीकृत मध्यप्रदेश पेंशन	मूल	50.00	50.00	0.05	(-) 49.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06-वित्त जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 9,000.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 1,09,144.79 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 0.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6075.800.6787- गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	मूल पुनर्वि.	79,314.00 (-) 19,223.00	60,091.00	0.00	(-) 60,091.00	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 19,223.00 लाख की बचत के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075.800.6788- राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस. एल.आर. बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 1,000.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
6075-800.6842- राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	मूल पुनर्वि.	55,000.00 9,000.00	64,000.00	15,896.00	(-) 48,104.00	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 9,000.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन, के कारण एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
7610-201.9084- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऋण	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 50.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 06-वित्त समाप्त

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-107.0101.1005- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंश पूंजी में धनवेष्टन	मूल पुनर्वि.	2,000.00 19,223.00	21,223.00	21,223.0	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष में ₹ 19,223.00 लाख की प्रावधान में आवर्धन के बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर

(मुख्य शीर्ष- 2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण, 2030-स्टाम्प और पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043—राज्य माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रह प्रभार, 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,98,58,29			
पूरक	68,97,00	20,67,55,29	16,85,31,11	(-) 3,82,24,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				76,90,84

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,01			
पूरक	0	11,01	0	(-) 11,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,72,02			
पूरक	0	11,72,02	13,85	(-) 11,58,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				8,50,00

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 6,897.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 0.001 लाख) एवं दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 2,589.00 लाख) एवं ₹ 4,308.00 लाख मार्च 2022 अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 38,224.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 7,690.84 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01.102.2455- न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	पूरक	93.46	93.46	0.00	(-) 93.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2030-02.102.2455- न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री पर व्यय	मूल पूरक	7,200.00 295.54	7,495.54	198.00	(-) 7,297.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2030-02.797.0570.0817- पालिक अधिनियम अंतर्गत पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त राशि का निधि में अंतरण	मूल	62,500.00	62,500.00	45,757.00	(-) 16,743.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2039-001.1470- जिला कार्यपालिक स्थापना	मूल	16,216.27	16,216.27	12,859.52	(-) 3,356.75	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2039-001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल	1,386.58	1,386.58	452.93	(-) 933.65	ई—आबकारी परियोजना अंतर्गत हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर क्रय के प्रदाय एवं सत्यापन न होने के कारण देयकों के भुगतान न होने के कारण बचत हुई।
2043-001.7816- म.प्र. भामाशाह पुरस्कार योजना	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2043-001.8808-सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	2,535.11 (-) 1,207.91	1,327.20	1,327.20	0.00	₹ 1,207.91 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2043-800.9635- भारत सरकार माल एवं सेवा कर विभाग से उपभोक्ता कल्याण निधि हेतु प्राप्तियों का व्यय	मूल	45.00	45.00	0.00	(-) 45.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(4) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि.

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि का गठन किया गया था। प्रत्येक भूधारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क मुख्य शीर्ष 0030—स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस—01—स्टाम्प—न्यायिक एवं 02—स्टाम्प— न्यायिकेत्तर—800—अन्य प्राप्तियां—0035—मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टाम्प शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030—स्टाम्प एवं पंजीकरण—02—स्टाम्प—न्यायिकेत्तर—797—आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण—6002—मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229—विकास एवं कल्याण निधि—200—अन्य विकास एवं कल्याण निधियां—पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टाम्प शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर समाप्त

1 अप्रैल 2021 को निधि का प्रारंभिक शेष ₹ 1,78,992.48 लाख था। वर्ष के दौरान कोई भी राशि इस निधि में जमा नहीं की गई तथा वर्ष के दौरान निधि में कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2022 को निधि में जमा शेष ₹1,78,992.48 लाख था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2021-22 के विवरण संख्या 21 एवं 22 में सम्मिलित है।

प्रभारित

- (5) सम्पूर्ण विनियोग ₹ 11.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2039-001.1470-जिला कार्यपालिक स्थापना	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण विनियोग ₹ 10.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:
दत्तमत

- (7) ₹ 1,158.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 850.00 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.1267-वाणिज्यिक कर कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल	850.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 850.00 लाख के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 850.00				
4059-01.051.0101.7382-जिला उप पंजीयक कार्यालय, भवन निर्माण विस्तार	मूल	322.00	322.00	13.85	(-) 308.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (9) नियत तिथि दिनांक 10.05.2022 के उपरांत 17.05.2022 को प्राप्त होने के कारण एवं स्वीकृति आदेश के अभाव में समर्पण राशि ₹ 7,16,02,72,609 स्वीकृति आदेश क्रमांक 1358/2345/2021/2/पांच भोपाल दिनांक 09.05.2021 को लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 08—भू राजस्व तथा जिला प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4058- लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,42,68,35			
पूरक	16,23,35	20,58,91,70	17,37,80,83	(-) 3,21,10,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,74,32,00

राजस्व दत्तमत अनुभाग में (₹ 17,37,80,83,000) के कुल व्यय में आकस्मिकता निधि से दिनांक 26.08.2021 को स्वीकृत अग्रिम से व्यय की गई राशि ₹ 9,82,00,000 सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,03,54			
पूरक	9,82,00	13,85,54	10,80,23	(-) 3,05,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				97,98

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,71,40,02			
पूरक	0	1,71,40,02	1,24,03,00	(-) 47,37,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				8,06,10

अनुदान संख्या 08—भू राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था, ₹ 1,623.35 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 2.25 लाख एवं दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया ₹ 1,621.10 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 32,110.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 17,432.00 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-001-0456- आयुक्त भू-अभिलेख का कार्यालय	मूल पुनर्वि	987.81 (-) 397.84	589.97	584.04	(-) 5.93	समर्पण के रूप में ₹ 397.84 लाख की प्रत्याशित बचत आहरण अधिकारी द्वारा मांग न होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2029-103.1472- जिला खर्च	मूल पुनर्वि.	92,460.88 (-) 12,868.13	79,592.75	79,860.37	+ 267.62	समर्पण के रूप में ₹ 12,868.13 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2029-103.0101.5390- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 584.91	15.09	15.09	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 584.91 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 08—भू राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-099.3657- राजस्व बोर्ड	मूल पुनर्वि.	712.96 (-) 283.83	429.13	432.07	+2.94	₹ 283.83 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 353.83 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 283.83 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अगले तीन माह के वेतन एवं एलटीसी के देयकों के भुगतान के कारण हुई। जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-094.0441- आदेशिका वाहक स्थापना	मूल	13,860.20	13,860.20	11,541.60	(-) 2,318.60	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-094.0619- उप संभागीय स्थापना	मूल	34,424.86	34,424.86	30,869.27	(-) 3,555.59	इस प्रावधान के अंतर्गत समान राशि ₹ 330.00 लाख की कमी एवं वृद्धि हुई है। वृद्धि कम बजट आवंटन के कारण एवं कमी 2021-22 में कम खर्च के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-094.6924- प्रमुख राजस्व आयुक्त (स्थापना)	मूल पूरक	1,220.32 2.25	1,222.57	409.22	(-) 813.35	इस प्रावधान के अंतर्गत समान राशि ₹ 4.50 लाख की कमी एवं वृद्धि हुई है। वृद्धि वर्ष 2021-22 के लंबित देयकों के भुगतान के कारण एवं कमी 2021-22 में यात्रा भत्ता देयकों के भुगतान न होने के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—भू राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-094.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	885.01	885.01	344.13	(-) 540.88	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2058-001.2286-नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय	मूल पुनर्वि.	330.24 (-) 120.46	209.78	208.89	(-) 0.89	समर्पण के रूप में ₹ 120.46 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पद, सेवानिवृत्ति, कम मांग तथा मितव्ययता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2058-001.4202-शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय	मूल पूरक पुनर्वि.	4,864.33 21.10 (-) 1,468.69	3,416.74	3,390.28	(-) 26.46	₹ 1,468.69 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59.60 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,528.29 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59.60 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,468.69 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट आवंटन, लंबित देयकों के भुगतान के लिए तथा भोपाल प्रेस के उन्नयन के कारण हुई। जबकि कमी आवश्यकतानुसार व्यय तथा मितव्ययता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित

- (4) ₹ 305.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 97.98 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-099.3657-राजस्व बोर्ड	मूल पुनर्वि.	182.40 (-) 95.48	86.92	96.83	+ 9.91	समर्पण के रूप में ₹ 95.48 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 08—भू राजस्व तथा जिला प्रशासन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.1509-जिला स्थापना	मूल पूरक	209.99 982.00	1,191.99	983.40	(-) 208.59	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 4,737.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 806.10 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0103.5160-कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	170.64	170.64	0.00	(-) 170.64	सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21, 2019—20 एवं 2018—19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0103.6664-तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	2,680.00	2,680.00	1,120.14	(-) 1,559.86	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21, 2019—20 एवं 2018—19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0102.5160-कम आबादी वाली तहसीलों में आवासीय परिसर का निर्माण	मूल	218.00	218.00	14.73	(-) 203.27	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4059-01.051.0102.6664-तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	मूल	3,890.00	3,890.00	2,553.20	(-) 1,336.80	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4070-800-3657-राजस्व बोर्ड	मूल पुनर्वि.	40.00 (-) 40.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 08—भू राजस्व तथा जिला प्रशासन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4070-800-6846-भू-प्रबंधन	मूल पुनर्वि	1,000.00 (-) 900.08	99.92	211.48	+111.56	₹ 900.08 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में (समर्पण के रूप में ₹ 765.08 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 135.00 लाख) कमी कम देयकों के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4058-103.0101.3427-मशीनों और उपकरण छपाई की मशीनों की खरीद	मूल पुनर्वि.	612.00 133.99	745.99	745.99	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 133.99 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 135.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 1.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भोपाल प्रेस के उन्नयन के लिए हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष 2810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	39,66,78			
पूरक	0	39,66,78	33,76,24	(-) 5,90,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 590.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2810-105.2304- निदेशन और प्रशासन	मूल	186.77	186.77	80.45	(-) 106.32	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 09—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2810-02.101.0101.7312- सौर ऊर्जा पार्क विस्तार	मूल	60.00	60.00	0.00	(-) 60.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2810-60.800.0101.5683- उद्योग संवर्धन नीति 2014 में पूंजी अनुदान	मूल	95.00	95.00	0.00	(-) 95.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2810-60.800.0101.5694- उद्योग संवर्धन नीति 2014 में ब्याज अनुदान	मूल	161.19	161.19	0.00	(-) 161.19	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 10-वन

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2216-आवास, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,91,38,63			
पूरक	26,55,18	18,17,93,81	15,24,73,57	(-) 2,93,20,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,84,46

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	80,00			
पूरक	0	80,00	52,90	(-) 27,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	11,15,46,85			
पूरक	सांकेतिक	11,15,46,85	9,81,44,71	(-) 1,34,02,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 10—वन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में ₹ 2,655.18 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 29,320.24 लाख की उपलब्ध अत्यधिक बचत के विरुद्ध, केवल ₹ 284.46 लाख राशि 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.001.0703.5317- गहन वन प्रबंधन	मूल	0.03	70.63	0.00	(-) 70.63	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	70.60				
2406-01.001.0702.5317- गहन वन प्रबंधन	मूल	0.03	84.52	0.00	(-) 84.52	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	84.49				
2406-01.001.0101.3555- मुख्यालय स्थापना	मूल	6,025.01	6,005.01	4,155.60	(-) 1,849.41	₹ 20.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 62.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 82.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत तथा वृद्धि अंशतः कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पुनर्वि	(-) 20.00				

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0101.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि	1,00,940.82 (-) 1,150.00	99,790.82	84,640.26	(-) 15,150.56	₹ 1,150.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 360.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,510.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत तथा वृद्धि अंशतः स्थायी कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-01.190.0703.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन)	मूल पुनर्वि	931.00 (-) 317.80	613.20	87.75	(-) 525.45	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 317.80 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.190.0702.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन)	मूल पुनर्वि	1,000.00 (-) 326.15	673.85	118.69	(-) 555.16	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 326.15 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-02.110.0703.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि	100.00 (-) 40.00	60.00	0.00	(-) 60.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-02.110.0702.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल	2,651.04	2,651.04	1,393.47	(-) 1,257.57	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-02.110.0701.3730- वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	मूल पुनर्वि	4,856.02 (-) 578.77	4,277.25	1,932.43	(-) 2,344.82	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 578.77 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2406-01.001.0704.5317- गहन वन प्रबंधन	पूरक पुनर्वि	0.01 112.36	112.37	0.00	(-) 112.37	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 112.36 लाख की आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-01.003.0101.4462- वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन	मूल	1,966.71	1,966.71	1,342.58	(-) 624.13	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-01.004.0101.2330- वन मानचित्रों का डिजिटাইजेशन	मूल	600.00	600.00	367.59	(-) 232.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-01.101.0801.0664- इको सिस्टम सर्विसेस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट	मूल	2,000.00	2,000.00	1,573.40	(-) 426.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.101.0103.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि	5,355.81 1,700.00	7,055.81	5,283.05	(-) 1,772.76	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,700.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में ₹ 2,400.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 700.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। जबकि वृद्धि स्थाई कर्मचारी के वेतन भुगतान के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-01.101.0102.0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना	मूल पुनर्वि	6,043.04 (-) 600.00	5,443.04	4,439.21	(-) 1,003.83	₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,400.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत तथा वृद्धि अंशतः स्थाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-01.190.0705.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन)	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 326.15	326.15	0.00	(-) 326.15	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 326.15 लाख आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.190.0704.7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन)	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 180.65	180.65	44.14	(-) 136.51	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 180.65 लाख की प्रत्याशित बचत निधि में वृद्धि भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के अनुसार, प्रथम अनुपूरक अनुदान 2021—22 में केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के राज्य हिस्से की निकासी के लिए एक अलग बजट लाइन तैयार की गई थी, केन्द्र के हिस्से और राज्य के हिस्से की राशि योजना के दिशा—निर्देशों के अनुसार आनुपातिक नहीं थी, मध्य प्रदेश सरकार ने बजट नियंत्रण अधिकारी को निर्धारित राशि को बजट लाइनों में दिए गए राज्य के हिस्से के 60:40 के अनुपात में पुनः विनियोग करने की शक्ति प्रदान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-02.110.0705.3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	पूरक	0.01	0.01	1,033.64	+ 1,033.63	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-02.110.0704.3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास	पूरक	0.01	0.01	1,198.06	+ 1,198.05	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-02.110.0704.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	पूरक	0.01	0.01	374.41	+ 374.40	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2406-02.110.0701.8862-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों में वन्य प्राणियों का रहवास विकास	पूरक पुनर्वि	0.01 553.73	553.74	563.80	+ 10.06	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 553.73 लाख की आवर्धन के कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित

- (5) ₹ 27.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

अनुदान संख्या 10—वन जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2406-01.001.0101.3555-	मूल	30.00	30.00	9.85	(-) 20.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
मुख्यालय स्थापना						

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 13,402.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.101.0702.7488-	मूल पुनर्वि	1,500.00 (-) 600.00	900.00	497.67	(-) 402.33	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4406-01.102.0703.3730-	मूल पुनर्वि.	3,850.00 (-) 1,540.00	2,310.00	0.00	(-) 2,310.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,540.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4406-01.800.9664-	मूल पुनर्वि.	21,099.01 10,366.50	10,732.51	9,839.06	(-) 893.45	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,366.50 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक बजट प्रावधान के कारण हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
केम्पा प्रतिपूरक वनीकरण						

अनुदान संख्या 10—वन समाप्त

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4406-01.800.9665- केम्पा आवाह क्षेत्र उपचार प्रभार	मूल पुनर्वि.	438.94 366.50	805.44	630.12	(-) 175.32	₹ 366.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 463.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 97.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अधिक आवंटन के कारण अनुमानित बजट में कमी को जिम्मेदार ठहराया गया था। जबकि वृद्धि कम बजट आवंटन प्राप्त होने के कारण स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन, ए.पी.ओ. राज्य स्तरीय संचालन समिति और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4406-01.800.9667- केम्पा निवल वर्तमान मूल्य	मूल पुनर्वि.	38,849.01 9,000.00	47,849.01	44,560.02	(-) 3,288.99	₹ 9,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोग के रूप में ₹ 9,800.00 लाख की वृद्धि और ₹ 800.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कम बजट आवंटन प्राप्त होने के कारण स्वीकृत कार्यों के कार्यान्वयन, ए.पी.ओ. राज्य स्तरीय संचालन समिति और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (10) ₹ 42,700.49 लाख का समर्पण आदेश क.03/B-1/F/Surr./2022/1924 दिनांक 20.05.2022 नियत तिथि दिनांक 10.05.2022 के उपरांत 03.06.2022 को प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 11—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

(मुख्य शीर्ष- 2230-श्रम तथा रोजगार कौशल विकास, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 6856-पेट्रो-केमिकल उद्योगों के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,20,97,75			
पूरक	4,00,00,00	14,20,97,75	14,18,57,55	(-) 2,40,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,39,24

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25			
पूरक	0	25	0	(-) 25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				25

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,26,00,02			
पूरक	0	8,26,00,02	5,33,22,00	(-) 2,92,78,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,92,78,02

अनुदान संख्या 11—औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 240.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 239.24 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (2) सम्पूर्ण बचत ₹ 29,278.02 लाख 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4875-60.190.0101.9842- औद्योगिक क्षेत्रों का लैंड पूलिंग योजना अंतर्गत विकास	मूल पुनर्वि.	9,500.00 (-) 9,500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4875-60.800.0101.7879- औद्योगिकीकरण अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	48,000.00 (-) 14,778.00	33,222.00	33,222.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 14,778.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 12-ऊर्जा

(मुख्य शीर्ष- 2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2801-बिजली, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,53,35,92			
पूरक	86,94,70,00	1,86,48,05,92	1,86,38,80,79	(-) 9,25,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				9,27,16

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-)1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	21,61,13,02			
पूरक	11,23,30,00	32,84,43,02	19,87,80,78	(-) 12,96,62,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				14,40,54,42

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 925.13 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 8,69,470.00 लाख का अनुपूरक अनुदान दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 1,10,000.00 लाख) एवं मार्च 2022 में प्राप्त किया गया (₹ 7,59,470.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 925.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 927.16 लाख राशि अभ्यर्पित की गई जो उपलब्ध बचत से अत्यधिक एवं अवास्तविक था।
- (3) निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय किया गया :-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2801-80.101.0101.7313- टैरिफ अनुदान	मूल पूरक	25,000.00 23,800.00	48,800.00	61,300.00	+12,500.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(4) विद्युत ऊर्जा विकास निधि:-

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिये विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043-विद्युत पर कर एवं शुल्क 800-अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है। तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103-संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-3218-मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2021 को ₹ 3,24,459.62 लाख का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान ₹ 88,445.00 लाख राशि निधि में जमा की गई एवं निधि से कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। 31 मार्च 2022 को निधि में ₹ 4,12,904.62 लाख के अंतशेष था।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा जारी

इस निधि के लेन-देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110-विद्युत विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित हैं, जिसका लेखा वित्त लेखे 2021-22 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,12,330.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) दिनांक 31 मार्च 2022 को ₹ 1,44,054.42 लाख का किया गया अभ्यर्पण ₹ 1,29,662.24 लाख की उपलब्ध बचत से अत्यधिक एवं अवास्तविक था।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-02.190.0101.5332- म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कम्पनी के वर्तमान विद्युत गृहों में सोलर पैनल की स्थापना	मूल	5,390.00	5,390.00	0.00	(-) 5,390.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-02.190.0101.6323- 2 गुना 660 मेगावाट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 10,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4801-05.190.0103.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल पुनर्वि.	4,400.00 (-) 4,400.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है।
4801-05.190.0102.7837- 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल पुनर्वि.	16,000.00 (-) 16,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.0101.7837-15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार करने पर सहायता	मूल पुनर्वि.	79,600.01 (-) 79,600.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है।
6801-205.1201.9655-स्मार्ट मीटर एवं स्काडा योजना हेतु ऋण	मूल पुनर्वि.	17,100.00 (-) 17,100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कम्पनी से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
6801-190.0101.5336-विद्युत ग्रहों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 2,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-05.190.0410.7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	मूल	12,500.00	12,500.00	21,743.00	+ 9,243.00	अत्याधिक आधिक्य ₹ 9,243.00 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
6801-190.1201.5523-कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	पूरक पुनर्वि.	17,816.00 (-) 421.09	17,394.91	31,431.97	+ 14,037.06	समर्पण के रूप में ₹ 421.09 लाख की प्रत्याशित बचत कम्पनी द्वारा वित्त विभाग से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने से समायोजन न होने के कारण हुई है। अंतिम अत्याधिक आधिक्य ₹ 14,037.06 लाख के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2801-बिजली, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,49,40,78,63			
पूरक	10,49,66,61	1,59,90,45,24	1,53,88,84,58	(-) 6,01,60,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				6,00,69,06

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	45,00			
पूरक	0	45,00	8,42	(-) 36,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				36,58

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 60,160.66 लाख की अंतिम बचत के समक्ष ₹ 1,04,966.61 लाख का प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान दिसम्बर 2021 (₹ 4,734.18 लाख), अगस्त 2021 (₹ 1,00,000.00 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 232.43 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 60,160.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 60,069.06 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) ₹ 60,160.66 लाख की कुल बचत, सम्पूर्ण बजट प्रावधान के 5 प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी

(मुख्य शीर्ष— 2059-लोक निर्माण कार्य, 2403-पशुपालन, 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,55,95,80			
पूरक	44,04,09	10,99,99,89	9,07,31,65	(-) 1,92,68,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,92,63,84

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,88			
पूरक	0	13,88	9,65	(-) 4,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,23

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,17,65			
पूरक	सांकेतिक	10,17,65	6,62,02	(-) 3,55,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				3,39,85

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 4,404.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 1,404.09 लाख) एवं दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 3,000.00 लाख) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 19,268.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 19,263.84 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-001.0702.7595-राष्ट्रीय पशुधन मिशन	मूल पुनर्वि.	488.00 (-) 195.20	292.80	292.80	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 195.20 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग भारत सरकार से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.5393-डेरी साइंस एंड फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की डीपीआर की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0703.1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि.	65.61 (-) 65.61	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान ₹ 65.61 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः समर्पण के रूप में ₹ 39.37 लाख भारत सरकार से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एवं ₹ 26.24 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में वित्त विभाग से जारी आदेश के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0701.0752-पी.पी.आर. रोग नियंत्रण	मूल पुनर्वि.	82.88 (-) 82.88	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान ₹ 82.88 लाख की प्रत्याशित बचत अंशतः समर्पण के रूप में ₹ 49.73 लाख भारत सरकार से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एवं ₹ 33.15 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में वित्त विभाग म.प्र. से जारी आदेश के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0701.1458- महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	मूल पुनर्वि	488.90 (-) 367.57	121.33	121.30	(-) 0.03	₹ 367.57 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5.54 लाख की वृद्धि चिकित्सा एवं वेतन देयकों के भुगतान न होने तथा ₹ 373.11 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 147.34 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 225.78 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग के आदेश से संभावित बचत एवं भारत सरकार से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0103.3786- माता महामारी उन्मूलन	मूल पुनर्वि	223.26 (-) 50.87	172.39	172.02	(-) 0.37	समर्पण के रूप में ₹ 50.87 लाख की प्रत्याशित बचत आधिक्य बचत होने के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2403-101.0103.7647- 109- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल पुनर्वि	234.80 (-) 234.80	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 234.80 लाख की प्रत्याशित बचत मोबाइल यूनिट बंद होने के कारण हुई है।
2403-101.0102.7647- 109- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल पुनर्वि	227.33 (-) 227.33	0.00	0.00	0.00	₹ 227.33 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 81.83 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 145.50 लाख) की सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः योजना के अंतर्गत वाहन उपयोग बंद किये जाने के कारण हुई है। समर्पण के रूप में ₹ 145.50 लाख की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-101.0101.6998- पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	मूल पुनर्वि.	1209.09 (-) 213.58	995.51	993.93	(-) 1.58	₹ 213.58 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 12.76 लाख की वृद्धि एवं ₹ 226.34 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 43.64 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 182.70 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। जबकि वृद्धि चिकित्सा देयक एवं भत्तों के लंबित देयकों के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-101.0101.7647-109- चलित पशु कल्याण सेवाएं	मूल पुनर्वि.	1,587.35 (-) 1,561.84	25.51	25.51	0.00	₹ 1,561.84 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,021.17 लाख + समर्पण द्वारा ₹ 540.67 लाख) योजना में वाहन उपयोग बंद किये जाने के कारण एवं मोबाइल यूनिट बंद होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-102.0103.1108- गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि.	8,405.75 (-) 1,229.78	7,175.97	7,166.74	(-) 9.23	₹ 1,229.78 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,295.54 लाख की कमी एवं ₹ 65.76 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। संभावित बचत खर्च की सीमा निर्धारण के कारण हुई। जबकि वृद्धि लंबित देयकों एवं वाहन मरम्मत के देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-102.0101.1108- गहन पशु विकास परियोजना	मूल पुनर्वि	46,076.70 (-) 9,217.00	36,859.70	36,882.25	+22.55	₹ 9,217.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 609.50 लाख की वृद्धि तथा ₹ 9,826.50 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 111.72 लाख +समर्पण के रूप में ₹ 9,714.78 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन भुगतान, वाहनों के रखरखाव एवं जमे हुए वीर्य तथा द्रवित नाईट्रोजन का कृत्रिम गर्भाधान में प्रयोग के कारण हुई। जबकि कमी संभावित बचत, लंबित देयकों के भुगतान एवं वाहन मरम्मत के देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-109.9512- मण्डला में वेटनरी डिप्लोमा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल पुनर्वि	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत योजना की डीपीआर की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2403-800.0801.6625- पशु संगणना की योजना	मूल पुनर्वि	185.05 (-) 176.98	8.07	8.07	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 176.98 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है।
2403-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि	4270.00 (-) 1,092.01	3,177.99	3,177.99	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,092.01 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2403-102.2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र	मूल पुनर्वि.	1,188.26 136.16	1,324.42	1,322.10	(-) 2.32	₹ 136.16 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 598.17 लाख की वृद्धि तथा समर्पण के रूप में ₹ 462.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी त्रुटि पूर्ण शीर्ष में आवंटन होने एवं देयकों की अनुपलब्धता के कारण हुई। जबकि वृद्धि आउटसोर्स, अनाज अग्रिम, पशु प्रजनन वेतन इत्यादि के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 355.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल राशि ₹ 339.85 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-01.0701.1926-पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	27.00 (-) 27.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 27.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से जारी राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई है।
4403-01.0103.6750-पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	129.85 (-) 26.00	103.85	103.85	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 26.00 लाख की प्रत्याशित बचत बीसीओ द्वारा व्यय न करने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4403-01.0102.6750-पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	281.80 (-) 134.49	147.31	131.53	(-) 15.78	समर्पण के रूप में ₹ 134.49 लाख की प्रत्याशित बचत बीसीओ द्वारा व्यय न करने के कारण हुई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन एवं डेयरी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4403-800.0101.6750- पशु चिकित्सालय एवं अन्य भवनों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	401.00 (-) 102.43	298.57	298.57	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 102.43 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य बीसीओ द्वारा व्यय न करने के कारण हुई है।
4403-800.0101.7482- गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	मूल पुनर्वि.	178.00 (-) 49.93	128.07	128.07	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 49.93 लाख की प्रत्याशित बचत अन्य बीसीओ द्वारा व्यय न करने के कारण हुई है।

अनुदान संख्या 15— विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2801-बिजली, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	28,35,40			
पूरक	1,04,00	29,39,40	15,32,43	(-) 14,06,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,16,07			
पूरक	0	6,16,07	3,11,32	(-) 3,04,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 15— विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण समाप्त

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 104.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,406.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.196.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	500.02	500.02	83.48	(-) 416.54	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2225-01.196.0103.8050- विभिन्न छात्रवृत्तियां	मूल	29.90	29.90	3.96	(-) 25.94	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2225-01.277.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	1,861.56	1,861.56	971.36	(-) 890.20	₹ 4.20 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा समान राशि की कमी एवं वृद्धि की गई। वृद्धि बजट प्रावधान में कमी के कारण जबकि कमी कोविड महामारी के कारण छात्रावास बंद होने के कारण हुई है। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 304.75 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.7393- विमुक्त जाति छात्रावास	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 15— विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध-घुमक्कड़ जनजाति कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.800.0103.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	125.00	125.00	64.40	(-) 60.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4225-01.800.0101.7397- विमुक्त जातियों की बस्तियों का विकास	मूल	225.00	225.00	126.92	(-) 98.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास

(मुख्य शीर्ष— 2405-मछली उद्योग, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,95,60,93			
पूरक	1	1,95,60,94	1,56,17,61	(-) 39,43,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,44			
पूरक	0	1,44	0	(-) 1,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

(1) ₹ 3,943.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास जारी

(2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0162- मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल	4,627.99	4,627.99	3,676.12	(-) 951.87	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2405-101.0703.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल पुनर्वि.	1,560.00 (-) 394.94	1,165.06	682.45	(-) 482.61	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 394.94 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत आवश्यकतानुसार वास्तविक व्यय के कारण हुई है।
2405-101.0702.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल पुनर्वि.	2,280.00 (-) 443.42	1,836.58	1,205.12	(-) 631.46	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 443.42 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत आवश्यकतानुसार वास्तविक व्यय के कारण हुई है।
2405-101.0701.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	मूल पुनर्वि.	8,160.00 (-) 2,164.23	5,995.77	5,793.02	(-) 202.75	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 2,164.23 लाख (₹ 834.71 लाख एवं ₹ 1,329.52 लाख) की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत आवश्यकतानुसार वास्तविक व्यय के कारण हुई है।
2405-800.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	164.00 (-) 36.88	127.12	64.92	(-) 62.20	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 36.88 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत आवश्यकतानुसार वास्तविक व्यय के कारण हुई है।
2405-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	621.50 (-) 131.56	489.94	215.22	(-) 274.72	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 131.56 लाख की प्रत्याशित बचत साथ ही साथ अंतिम बचत आवश्यकतानुसार वास्तविक व्यय के कारण हुई है।

(3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

अनुदान संख्या 16—मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0706.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 394.94	394.94	281.20	(-) 113.74	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 394.94 लाख का आवर्धन वित्त विभाग द्वारा कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2405-101.0705.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 443.42	443.42	321.05	(-) 122.37	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 443.42 लाख का आवर्धन वित्त विभाग द्वारा कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2405-101.0704.7858- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 2,164.23	2,164.23	1,646.87	(-) 517.36	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 2,164.23 लाख (₹ 834.71 लाख एवं ₹ 1,329.52 लाख) का आवर्धन वित्त विभाग द्वारा कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

प्रभारित

- (4) ₹ 10.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2405-101.0162- मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) ₹ 1.44 लाख सम्पूर्ण प्रावधान की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

(मुख्य शीर्ष- 2425-सहकारिता, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,48,14,65			
पूरक	0	13,48,14,65	12,03,58,15	(-) 1,44,56,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,32,37,72

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,00			
पूरक	0	12,00	0	(-) 12,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				12,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	26,66,56			
पूरक	5,00,00,00	5,26,66,56	5,07,65,00	(-) 19,01,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				19,01,56

अनुदान संख्या 17—सहकारिता जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 14,456.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 13,237.72 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0103.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	1,441.09 (-) 1,441.09	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना में बजट की आवश्यकता न होने के कारण हैं ।
2425-107.0103.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	16,000.00 (-) 14,358.39	1,641.61	1,641.61	0.00	₹ 14,358.39 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,477.45 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,880.94 लाख) कमी योजना में बजट की आवश्यकता न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी ।
2425-107.0102.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	23,000.00 (-) 17,835.36	5,164.64	5,164.64	0.00	₹ 17,835.36 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,989.44 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 3,845.92 लाख) कमी योजना में बजट की आवश्यकता न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी ।
2425-108.2352- प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 2,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत आवश्यकता न होने के कारण हैं। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी ।

अनुदान संख्या 17-सहकारिता समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-800.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	480.00 (-) 288.00	192.00	0.00	(-) 192.00	समर्पण के रूप में ₹ 288.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के कृषि विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हैं।
2425-800.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	690.00 (-) 414.00	276.00	0.00	(-) 276.00	समर्पण के रूप में ₹ 414.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के कृषि विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2425-800.0701.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,830.00 (-) 1,098.00	732.00	0.00	(-) 732.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,098.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के कृषि विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हैं। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-107.0102.2341- मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना	मूल पुनर्वि.	2,071.56 1,441.09	3,512.65	3,512.65	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 1,441.09 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई।
2425-107.0101.2091- मुख्यमंत्री कृषक सहकारी ऋण सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	4,300.00 557.90	4,857.65	4,857.65	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 557.90 लाख का आवर्धन मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना में कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई।
2425-107.0101.9254- सहकारी बैंको के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान	मूल पुनर्वि.	61,000.00 25,908.99	86,908.99	86,908.99	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 25,908.99 लाख का आवर्धन योजना में कम राशि का प्रावधान किये जाने के कारण हुई।

- (4) संपूर्ण विनियोग ₹ 12.00 लाख को 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किए गए।

अनुदान संख्या 18—श्रम

(मुख्य शीर्ष— 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2230-श्रम तथा रोजगार तथा कौशल विकास)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	9,21,52,04			
पूरक	7,30,00,00	16,51,52,04	16,01,76,62	(-) 49,75,42
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				39,15,25

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,50			
पूरक	0	6,50	0	(-) 6,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				6,50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 4,975.42 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 73,000.00 लाख (अगस्त 2021 में ₹ 25,000.00 लाख, दिसम्बर 2021 में ₹ 10,500.00 लाख एवं मार्च 2022 में ₹ 37,500.00 लाख) प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,975.42 लाख को उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 3,915.25 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 4,975.42 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	75,29,68,79			
पूरक	24,99,09,94	1,00,28,78,73	93,65,39,10	(-) 6,63,39,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	40,50			
पूरक	0	40,50	10,73	(-) 29,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,15,67,05			
पूरक	1,35,81,01	6,51,48,06	3,53,62,22	(-) 2,97,85,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 66,339.63 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 2,49,909.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में (₹ 1,56,605.02 लाख) एवं दिसम्बर 2021 में (₹ 93,304.92 लाख) प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ
- (2) ₹ 66,339.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

(3) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.7833- स्वास्थ्य संस्थाओं का अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	3,300.00 (-) 600.00	2,700.00	1,304.47	(-) 1,395.53	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 60.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.1301.9922- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान	पूरक	92,279.92	92,279.92	62,324.00	(-) 29,955.92	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0703.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	49,600.01	49,600.01	40,102.03	(-) 9,497.98	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0702.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल	68,903.06	68,903.06	56,122.30	(-) 12,780.76	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0701.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	मूल पूरक पुनर्वि.	1,85,000.01 1,45,724.00 (-) 11,884.37	3,18,839.64	2,82,693.53	(-) 36,146.11	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 11,884.37 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के आदेशानुसार राज्यांश को 0701 से 0704 में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0103.6105- पेंशनर्स को दवाईयों की सुविधा	मूल	317.54	317.54	52.99	(-) 264.55	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0102.6105- पेंशनर्स को दवाईयों की सुविधा	मूल	236.24	236.24	53.74	(-) 182.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0102.7892-	मूल	443.40	443.40	112.33	(-) 331.07	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
चिकित्सा गारंटी योजना						
2210-01.110.0101.6105-	मूल	795.51	795.51	245.04	(-) 550.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
पेंशनर्स को दवाईयों की सुविधा						
2210-01.110.0101.7892-	मूल	972.00	972.00	309.32	(-) 662.68	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
चिकित्सा गारंटी योजना						
2210-01.196.0102.1473-	मूल	18,764.32	18,064.32	16,730.04	(-) 1,334.28	₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,000.00 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	पुनर्वि.	(-) 700.00				
2210-01.196.0101.1473-	मूल	61,192.36	58,218.36	53,968.96	(-) 4,249.40	₹ 3,174.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 59.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 3,233.00 लाख कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। वृद्धि कम राशि उपलब्ध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय	पूरक	200.00				
	पुनर्वि.	(-) 3,174.00				

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-03.103.0103.2777- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	मूल पुनर्वि.	31,226.46 (-) 1,330.00	29,896.46	27,276.36	(-) 2,620.10	₹ 1,330.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 170.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। वृद्धि कम राशि उपलब्ध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-03.103.0102.2777- स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	मूल पुनर्वि.	27,783.31 (-) 760.00	27,023.31	24,945.38	(-) 2,077.93	₹ 760.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 240.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,000.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। वृद्धि अंशतः चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति एवं कम राशि उपलब्ध होने के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-03.103.0102.7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन	मूल	363.31	363.31	19.36	(-) 343.95	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-03.103.0101.2777-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक)	मूल पूरक पुनर्वि.	42,025.90 500.00 (-) 1,645.00	40,880.90	37,040.90	(-) 3,840.00	₹ 1,645.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 88.10 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,733.10 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा कमी का निवल प्रभाव था। कमी बचत एवं आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बचत उपलब्ध होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-05.105.0102.2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण	मूल	429.36	429.36	27.86	(-) 401.50	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-06.003.0101.4224-शिक्षा और प्रशिक्षण	मूल	73.50	73.50	15.39	(-) 58.11	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-06.196.0101.4245-शीत ज्वर	मूल पुनर्वि.	9,883.79 (-) 147.00	9,736.79	8,417.81	(-) 1,318.98	₹ 147.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 44.88 लाख की वृद्धि एवं ₹ 191.88 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण हुई। वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान, काविड 19 एवं वेतन के भुगतान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2211.198.0803.0621- उप स्वास्थ्य केन्द्र	मूल पुनर्वि.	9,236.29 (-) 119.00	9,117.29	8,075.59	(-) 1,041.70	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 119.00 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0706.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	पूरक	सांकेतिक	0.00	9,480.80	+ 9,480.80	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0705.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	पूरक	सांकेतिक	0.00	12,780.75	+ 12,780.75	अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0704.5724- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 11,884.37	11,884.37	48,029.55	+ 36,145.18	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 11,884.37 लाख का आवर्धन वित्त विभाग के आदेशानुसार राज्यांश को 0701 से 0704 में पुनर्विनियोजन के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.110.0103.7659- कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	0.01 2,500.00	2,500.01	2,500.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,500.00 लाख का आवर्धन कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन की आवश्यकता के कारण हुई।
2210-01.110.0102.7659- कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन	मूल पुनर्वि.	0.01 2,000.00	2,000.01	2,000.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन की आवश्यकता के कारण हुई।
2210-01.110.0101.7659- कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन	मूल पूरक पुनर्वि.	0.01 10,766.00 3,000.00	13,766.01	13,766.00	(-) 0.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,000.00 लाख का आवर्धन कोविड-19 का उपचार एवं प्रबंधन की आवश्यकता के कारण हुई।
2210-03.103.0101.5507- मुख्यमंत्री सुषेण संजीवनी योजना	मूल पुनर्वि.	404.02 1,600.00	2,004.02	1,799.58	(-) 204.44	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,600.00 लाख का आवर्धन वित्त विभाग द्वारा प्रावधान की स्वीकृति किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-06.104.0706.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 50.00	50.00	50.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख का आवर्धन राज्य शासन से राज्यांश प्राप्ति के कारण हुआ।
2210-06.104.0705.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 72.00	72.00	72.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 72.00 लाख का आवर्धन राज्य शासन से राज्यांश प्राप्ति के कारण हुआ।
2210-06.104.0704.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 191.95	191.95	191.95	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 191.95 लाख का आवर्धन राज्य शासन से राज्यांश प्राप्ति के कारण हुआ।

प्रभारित

- (5) ₹ 29.77 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.2283- निदेशन और प्रशासन	मूल	40.00	40.00	10.73	(-) 29.27	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 29,785.84 लाख की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 13,581.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में (₹ 956.08 लाख) एवं दिसम्बर 2021 में (₹ 12,625.00 लाख) प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ
- (8) ₹ 29,785.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.001.0103.7835- स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुदृढीकरण	मूल	2,008.00	2,008.00	886.76	(-) 1,121.24	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.001.0102.7835-	मूल	2,449.00	2,449.00	160.60	(-) 2,288.40	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुदृढीकरण						
4210-01.001.0101.7835-	मूल	5,543.00	5,543.00	2,014.76	(-) 3,528.24	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुदृढीकरण						
4210-01.110.0103.1320-	मूल	500.00				
नर्सिंग अंधोसंरचना का उन्नयन एवं सुदृढीकरण	पुनर्वि.	(-) 200.00	300.00	0.00	(-) 300.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक राशि होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-01.110.0102.1320-	मूल	500.00				
नर्सिंग अंधोसंरचना का उन्नयन एवं सुदृढीकरण	पुनर्वि.	(-) 400.00	100.00	0.00	(-) 100.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक राशि होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-01.110.0102.1473-	मूल	760.00	760.00	70.15	(-) 689.85	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय						
4210-01.110.0101.1473-	मूल	1,450.00	1,450.00	258.21	(-) 1,191.79	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
जिला/सिविल अस्पताल एवं औषधालय						
4210-02.103.0101.5056-	मूल	62.00	62.00	0.00	(-) 62.00	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण						
4210-02.104.1401.6882-	मूल	3,148.16				
सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)	पुनर्वि.	(-) 200.00	2,948.16	1,435.43	(-) 1,512.73	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक राशि होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-02.104.0103.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	3,894.82 (-) 200.00	3,694.82	3,247.41	(-) 447.41	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत अधिक राशि होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-02.104.0102.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,392.85 (-) 2,400.00	2,992.85	708.10	(-) 2,284.75	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,400.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-02.104.0101.5056- सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	4,793.64 (-) 700.00	4,093.64	3,759.72	(-) 333.92	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत संभावित बचत होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-04.107.0702.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	115.00 (-) 46.00	69.00	69.00	0.00	प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-04.107.0102.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	पूरक	51.91	51.91	0.00	(-) 51.91	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-04.107.0101.1070- खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोग शाला सहित)	मूल पूरक	210.00 956.00	1,166.00	47.79	(-) 1,118.21	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-01.110.1703.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 1,300.00	1,300.01	970.34	(-) 329.67	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,300.00 लाख का आवर्धन वार्षिक बजट में केवल ₹ 0.01 लाख आवंटन के कारण एवं स्वीकृति कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-01.110.1702.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 900.00	900.01	822.97	(-) 77.04	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख का आवर्धन वार्षिक बजट में केवल ₹ 0.01 लाख आवंटन के कारण स्वीकृति कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-01.110.0704.9923- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन	मूल पुनर्वि.	सांकेतिक 5,050.00	5,050.00	1,263.00	(-) 3,787.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,050.00 लाख का आवर्धन वित्त विभाग के आदेशानुसार राज्यांश को 0701 से 0704 में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-01.110.0103.7648- अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,122.52 2,300.00	4,422.52	4,286.26	(-) 136.26	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,300.00 लाख का आवर्धन स्वीकृत कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-04.107.0705.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 46.00	46.00	46.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 46.00 लाख का आवर्धन राज्य शासन से राज्यांश प्राप्ति के कारण हुआ।
4210-04.107.0704.5305- ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 120.00	120.00	120.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.00 लाख का आवर्धन राज्य शासन से राज्यांश प्राप्ति के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष- 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,43,62,96			
पूरक	14,77,89	8,58,40,85	7,83,93,88	(-) 74,46,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				41,15,00

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,25,00			
पूरक	0	3,25,00	11,82	(-)3,13,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,00,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	77,78,76,44			
पूरक	23,00,52,41	1,00,79,28,85	89,19,58,37	(-) 11,59,70,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				10,75,65,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 1,477.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

- (2) ₹ 7,446.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 4,115.00 लाख की राशि अभ्यर्पित गई।
- (3) प्रावधान में आधिक्य मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,005.23 (-) 400.00	3,605.23	3,233.58	(-) 371.65	₹ 400.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 24.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 424.00 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 24.00 लाख + ₹ 400.00 लाख समर्पण के रूप में) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी आंशिक रूप से संभावित बचत के कारण एवं वृद्धि कम बजट प्रावधान और कोविड-19 के कारण कम बजट था। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.101.0102.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	701.22 (-) 12.00	689.22	533.87	(-) 155.35	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 12.00 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड-19 के कारण वर्ष 2021-22 के मजदूरी शीर्ष में कम बजट प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2215-01.101.0101.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल पूरक पुनर्वि.	16,059.59 793.00 (-) 703.00	16,149.59	14,810.46	(-) 1,339.13	₹ 703.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 747.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,450.00 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 735.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 715.00 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी आंशिक रूप से संभावित बचत के कारण और वृद्धि को कोविड-19 के कारण 2021-22 के दौरान मजदूरी शीर्ष में कम बजट प्रावधान था। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(4) <u>उचंत लेन देन:-</u>
इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2021-22 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रेनीत किया जाता है। उचंत शीर्ष के अन्तर्गत चार उप-खण्ड होते हैं।
(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।
प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-
(i) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उप शीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रेनीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।
(ii) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।
(iv) कार्यशाला उचंत-किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।
वर्ष 2021-22 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उप शीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंत शेष नामे +जमा (-)
2215—जल पूर्ति तथा सफाई (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 4,410.17	0.00	0.00	(-) 4,410.17
(ii) भण्डार	+ 943.73	0.00	0.00	+ 943.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 20,309.20	0.00	0.00	+ 20,309.20
योग	+ 16,842.76	0.00	0.00	+ 16,842.76

प्रभारित

- (5) ₹ 313.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 200.00 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष		कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2215-01.001.2294-संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि. 300.00 (-) 200.00	100.00	11.82	(-) 88.18	समर्पण के द्वारा ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2215-01.101.0101.0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण	मूल 25.00	25.00	0.00	(-) 25.00	सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 1,15,970.48 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2021 (₹ 0.02 लाख), दिसम्बर 2021 में (₹ 30,000.00 लाख) एवं मार्च 2022 में (₹ 2,00,052.39 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,30,052.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (8) ₹ 1,15,970.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 1,07,565.00 लाख अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

(9) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215.01.001.1854- ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन/वर्कशाप/एयर कम्प्रेसन	मूल पूरक पुनर्वि.	5,373.42 52.39 (-) 600.00	4,825.81	4,226.60	(-) 599.21	₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 387.50 लाख की वृद्धि और ₹ 987.50 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 387.50 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 600.00 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी आंशिक रूप से संभावित बचत के कारण हुई। जबकि वृद्धि मजदूरी शीर्ष में कम बजट प्रावधान एवं 2021-22 के दौरान कम बजट प्रावधान के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.101.0702.3862- लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	मूल पुनर्वि.	420.00 (-) 275.00	145.00	68.04	(-) 76.96	₹ 275.00 लाख (₹ 200.00 लाख समर्पण एवं ₹ 75.00 लाख पुनर्विनियोजन के द्वारा) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.101.0701.3862-लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	मूल पुनर्वि.	1,730.00 (-) 1,205.00	525.00	312.29	(-) 212.71	₹ 1,205.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 855.00 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 350.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में) केंद्र प्रायोजित योजना के तहत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने से हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.1203.2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	14,050.00 (-) 13,700.00	350.00	263.60	(-) 86.40	समर्पण के रूप में ₹ 13,700.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.1202.2316-ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	19,300.00 (-) 16,100.00	3,200.00	3,128.11	(-) 71.89	समर्पण के रूप में ₹ 16,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.1201.2316- ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	54,400.00 (-) 39,100.00	15,300.00	15,249.61	(-) 50.39	समर्पण के रूप में ₹ 39,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0703.5468- जल जीवन मिशन	मूल पूरक पुनर्वि	75,600.00 19,500.00 (-) 19,524.80	75,575.20	75,575.20	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 19,524.80 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों में दी गई थी, राज्यांश के लिये खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4215-01.102.0702.5468- जल जीवन मिशन	मूल पूरक पुनर्वि	1,08,000.00 25,500.00 (-) 25,799.80	1,07,700.20	1,07,700.20	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 25,799.80 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों में दी गई थी, राज्यांश के लिये खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0702.9029- सौर ऊर्जा आधारित पेयजल योजना (एन.सी.ई.एफ.)	मूल पुनर्वि	1,000.00 (-) 950.00	50.00	9.60	(-) 40.40	₹ 950.00 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 900.00 लाख समर्पण के रूप में + ₹ 50.00 लाख पुनर्विनियोजन के रूप में) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.102.0701.5468- जल जीवन मिशन	मूल पूरक पुनर्वि	2,89,000.00 70,000.00 (-) 1,18,602.86	2,40,397.14	2,40,397.14	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,18,602.86 लाख की प्रत्याशित बचत आंशिक रूप से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के कारण हुई, राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने से हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.800.1702.7301- पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि	1,230.00 (-) 1,100.00	130.00	32.14	(-) 97.86	समर्पण के रूप में ₹ 1,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4215-01.800.0702.7163- सहायक गतिविधियां	मूल पुनर्वि	890.00 (-) 650.00	240.00	127.74	(-) 112.26	₹ 650.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4215-01.800.0701.7163- सहायक गतिविधियां	मूल पुनर्वि	2,600.00 (-) 1,150.00	1,450.00	792.65	(-) 657.35	₹ 1,150.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(10) उपरोक्त टिप्पणी (9) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.101.0705.3862- लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 75.00	75.00	45.36	(-) 29.64	₹ 75.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के निर्देशानुसार राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.101.0704.3862- लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग प्रयोगशालाएं	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 350.00	350.00	209.85	(-) 140.15	₹ 350.00 लाख का आवर्धन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के निर्देशानुसार राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4215-01.102.0706.5468- जल जीवन मिशन	पूरक पुनर्वि.	19,500.00 19,524.80	39,024.80	39,010.00	(-) 14.80	प्रावधान में ₹ 19,524.80 लाख की वृद्धि आंशिक रूप से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4215-01.102.0705.5468- जल जीवन मिशन	पूरक पुनर्वि	25,500.00 25,799.80	51,299.80	51,295.00	(-) 4.80	प्रावधान में ₹ 25,799.80 लाख आवर्धन आंशिक रूप से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। शेष आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4215-01.102.0704.5468-जल जीवन मिशन	पूरक पुनर्वि	70,000.00 1,18,602.86	1,88,602.86	1,85,694.00	(-) 2,908.86	प्रावधान में ₹ 1,18,602.86 लाख का आवर्धन आंशिक रूप से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। शेष आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4215-01.800.0705.7163-सहायक गतिविधियां	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 150.00	150.00	85.16	(-) 64.84	₹ 150.00 लाख का आवर्धन पुनर्विनियोजन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के निर्देशानुसार किया गया था, राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4215-01.800.0704.7163-सहायक गतिविधियां	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 650.00	650.00	533.29	(-) 116.71	₹ 650.00 लाख का आवर्धन पुनर्विनियोजन केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त विभाग के निर्देशानुसार किया गया था, राज्यांश के लिए खुली बजट लाइन में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 21-लोक सेवा प्रबंधन

(मुख्य शीर्ष- 2053-जिला प्रशासन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	55,26,02			
पूरक	सांकेतिक	55,26,02	47,46,67	(-) 7,79,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				7,78,72

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20			
पूरक	0	20	0	(-) 20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				20

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	0	1,00,00	2,36	(-) 97,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				97,64

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 779.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान केवल ₹ 778.72 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-093.0101.6483- अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान	मूल पुनर्वि.	1,300.00 (-) 300.00	1,000.00	1,000.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 300.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2053-094.9079- म.प्र. लोक सेवा अभिकरण की स्थापना	मूल पुनर्वि.	510.00 (-) 238.69	271.31	271.31	0.00	₹ 238.69 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 138.69 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख) की कमी अंशतः संभावित बचत, निविदा प्रक्रिया पूर्ण न होना, एजेंसी द्वारा कार्य पूर्ण न किया जाना, निधि की आवश्यकता न होना एवं देयकों का समय पर भुगतान के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2053-800.1923- मॉय एम.पी. प्रकोष्ठ के क्रियान्वयन हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	160.00 (-) 103.57	56.43	56.43	0.00	₹ 103.57 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में ₹ 23.57 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख) की कमी अंशतः योजना की समाप्ति के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

अनुदान संख्या 21—लोक सेवा प्रबंधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2053-800.0101.5722- कॉल सेन्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,300.00 180.00	2,480.00	2,480.00	0.00	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 180.00 लाख की आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजीगत:

(4) 25 मार्च 2022 को ₹ 97.64 लाख की सम्पूर्ण बचत अभ्यर्पित की गई।

(5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.6783- लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 97.64	2.36	2.36	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 97.64 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य पूर्ण होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2217-शहरी विकास, 3054-सड़कें तथा सेतु, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,04,92,67			
पूरक	2,07,52,97	1,01,12,45,64	99,39,77,80	(-) 1,72,67,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,62,91

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,90,02,02			
पूरक	0	8,90,02,02	8,90,00,00	(-) 2,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	22,03,96,69			
पूरक	20,31,53,00	42,35,49,69	32,46,61,05	(-) 9,88,88,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				29,89

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,10,00,00			
पूरक	0	2,10,00,00	2,00,00,00	(-) 10,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 17,267.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 462.91 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) यद्यपि ₹ 17,267.84 लाख की समग्र बचत कुल विनियोग के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2070.108.2633- अग्निशमन सेवा	मूल पुनर्वि.	2,040.91 (-) 462.91	1,578.00	1,571.89	(-) 6.11	समर्पण के रूप में ₹ 462.91 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217.05.193.1301.9638- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	9,840.00	9,840.00	0.00	(-) 9,840.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217.05.800.0701.7839- शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0	मूल	20,000.00	20,000.00	0.00	(-) 20,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.191.1303.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	17,350.00	17,350.00	13,880.00	(-) 3,470.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217-05.191.1302.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	12,590.00	12,590.00	10,072.00	(-) 2,518.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217-05.191.1301.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	30,050.00	30,050.00	24,040.00	(-) 6,010.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217-05.192.1302.9638-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	5,830.00	5,830.00	0.00	(-) 5,830.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217-05.800.0701.7838-जल जीवन मिशन (शहरी)	मूल	20,000.00	20,000.00	8,900.00	(-) 11,100.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217-05.800.0101.9488-मुख्यमंत्री अद्योसंरचना योजना (फेज-3)	मूल	10,300.00	10,300.00	6,439.17	(-) 3,860.83	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0701.1237-हाउसिंग फॉर ऑल	मूल	80,000.00	80,000.00	1,22,185.20	+ 42,185.20	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2217-05.800.0101.1947-रियल एस्टेट रेगुलेशन एवं विकास अपीलीय अधिकरण	मूल	120.00	120.00	330.00	+ 210.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2217-05.800.0701.1238-अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन	मूल	61,000.00	61,000.00	68,948.14	+ 7,948.14	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 98,888.64 लाख की अत्यधिक उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 29.89 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.051.0101.7715-नवीन विधायक विश्राम गृह का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 650.00	350.00	55.36	(-) 294.64	पुनर्विनियोजन के द्वारा ₹ 650.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4217-03.190.0702.7705-स्मार्ट सिटी	मूल पूरक	16,200.00 10,980.00	27,180.00	16,200.00	(-) 10,980.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4217-03.190.0701.7705-स्मार्ट सिटी	मूल पूरक	45,000.00 50,136.00	95,136.00	60,000.00	(-) 35,136.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6217-60.191.5728-पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को ऋण	मूल	325.00	325.00	0.00	(-) 325.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6217-60.191.1203.1262- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (के.एफ. डब्ल्यू.)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6217-60.192.1203.1262- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (के.एफ. डब्ल्यू.)	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6217-60.193.5728- पेयजल पूर्ति के लिये नगरीय निकायों को ऋण	मूल	150.00	150.00	0.00	(-) 150.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6217-60.193.1203.1262- म.प्र. अर्बन सनीटेशन एण्ड एनवायरमेंट सेक्टर प्रोग्राम (एम.पी.यू.एस.ई.पी.) (के.एफ. डब्ल्यू.)	मूल	50.60	50.60	0.00	(-) 50.60	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6217-60.800.0101.9935- नगरीय निकायों को कार्यशील पूंजी ऋण	पूरक	1,00,000.00	1,00,000.00	70,000.00	(-) 30,000.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4216-01.700.6989- विधायक विश्राम गृहों का रखरखाव एवं अनुरक्षण	मूल पुनर्वि.	200.00 150.00	350.00	200.00	(-) 150.00	₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4217-01.050.0101.7218- मंत्रालय भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,130.05 (-) 200.00	930.05	643.70	(-) 286.35	₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4217-03.190.0703.7705- स्मार्ट सिटी	मूल पूरक	28,800.00 8,784.00	37,584.00	28,800.00	(-) 8,784.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
6217-60.800.1201.7711- एम.पी. अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट (विश्व बैंक)	मूल	25,000.99	25,000.99	18,200.00	(-) 6,800.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 22—नगरीय विकास एवं आवास समाप्त

- (6) उपरोक्त टिप्पणी (5) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217-01.051.0101.4339-सड़के एवं पुल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,500.00 800.00	3,300.00	3,427.60	+ 127.60	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित

- (7) वित्त वर्ष के दौरान ₹ 1,000.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (8) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4217.01.050.0101.3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	1,000.00	1,000.00	0.00	(-) 1,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (9) रु. 5,79.87 लाख का समर्पण आदेश क्र. 1425/NGNI/Budget/2022 दिनांक 01.04.2022 एवं राशि रु. 2,482.28 लाख का समर्पण आदेश क्रमांक 01/B-1.11.21 भोपाल दिनांक 01.04.2022, नियत तिथि 31.03.2022 के पश्चात् दिनांक 01.04.2022 को जारी किये जाने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

(मुख्य शीर्ष-2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र का विकास, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,59,25,61			
पूरक	4	12,59,25,65	10,13,34,70	(-) 2,45,90,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,96,28,80

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	20,25			
पूरक	0	20,25	0	(-) 20,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				25

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	51,75,39,39			
पूरक	11,59,50,01	63,34,89,40	55,89,13,95	(-) 7,45,75,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				7,11,21,35

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20,00			
पूरक	0	1,20,00	1,12,39	(-) 7,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				7,60

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में प्राप्त ₹ 0.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 24,590.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 19,628.80 लाख अभ्यर्पित किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-11.101.0102.2894- बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	2,333.31 (-) 329.26	2,004.05	1,216.82	(-) 787.23	₹ 329.26 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 900.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,229.26 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 901.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 328.26 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई।
2700-17.101.0102.2894- बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	81.08 (-) 46.08	35.00	30.84	(-) 4.16	₹ 46.08 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 20.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 26.08 लाख) कमी वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-28.101.1574- उर्मिल परियोजना	मूल पुनर्वि.	99.71 (-) 52.71	47.00	44.32	(-) 2.68	₹ 52.71 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 57.71 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 32.71 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। शेष वृद्धि एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2700-37.101.0101.2894- बौध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	101.12 (-) 66.12	35.00	31.98	(-) 3.02	₹ 66.12 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 36.12 लाख) अंशतः संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2701-80.001.0101.0815- कार्यपालिक स्थापना	मूल पुनर्वि.	38,616.65 (-) 7,808.92	30,807.73	30,824.40	+ 16.67	₹ 7,808.92 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 7,883.92 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,615.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 6,268.92 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः संभावित बचत के कारण हुई जबकि वृद्धि चिकित्सा व्यय के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.001.0101.3300-मण्डल स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,133.34 (-) 894.96	3,238.38	3,169.19	(-) 69.19	₹ 894.96 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 178.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 716.96 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः रिक्त पदों के कारण हुई। शेष कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.001.0101.3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट—एक	मूल पुनर्वि.	9,782.61 (-) 2,355.79	7,426.82	7,297.32	(-) 129.50	₹ 2,355.79 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 24.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,379.79 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 443.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,936.79 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः रिक्त पदों के कारण एवं मंहगाई भत्ते में वृद्धि न होने के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2701-80.052.0101.0693-औजार और संयंत्र	मूल पुनर्वि.	4,365.00 (-) 1,013.44	3,351.56	3,342.82	(-) 8.74	₹ 1,013.44 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15.32 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,028.76 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 195.32 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 833.44 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः रिक्त पदों के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2701-80.799.0101.4056- विविध-लोक निर्माण पेशगियाँ	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2701-80.800.0101.2250- नहरें तथा तालाबें	मूल पुनर्वि.	9,925.56 (-) 1,197.11	8,728.45	7,836.97	(-) 891.48	₹ 1,197.11 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,800.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 2,997.11 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,164.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,833.11 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः मंहगाई भत्ते में वृद्धि न होने से एवं वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2702-80.800.0102.0207- अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	2,109.41 (-) 381.71	1,727.70	1,365.98	(-) 361.72	₹ 381.71 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 167.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 548.71 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 433.71 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः मंहगाई भत्ते में वृद्धि न होने से एवं वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई। शेष कमी एवं वृद्धि के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2702-80.800.0102.6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 370.00	230.00	228.62	(-) 1.38	समर्पण के रूप में ₹ 370.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2705-800.0101.6544-सिंचाई समितियों को अनुदान एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	63.50 (-) 49.30	14.20	14.20	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 49.30 लाख की प्रत्याशित बचत किसानों द्वारा योगदान राशि जमा न करने के कारण हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2700-13.101.0102.2894-बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	158.73 93.35	252.08	246.59	(-) 5.49	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 93.35 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 36.65 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई। जबकि वृद्धि मरम्मत कार्य के भुगतान के लिए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2700-21.101.0101.2894-बाँध तथा नहरें	मूल पुनर्वि.	201.10 88.90	290.00	288.77	(-) 1.23	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 88.90 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 11.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी अंशतः वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई। जबकि वृद्धि मरम्मत कार्य के भुगतान के लिए। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

(5) उचंत लेन—देन:—

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2021-22 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किये गये हैं। उचन्त के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप—शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंत शेष नामे + जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई		(₹लाख में)		
(i) क्रय	(-) 2,309.78	0.00	0.00	(-) 2,309.78
(ii) भण्डार	+ 533.63	0.00	0.00	+ 533.63
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 3,759.12	0.00	2.28	+ 3,756.84
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 664.04	0.00	0.00	+ 664.04
योग	+ 2,647.01	0.00	2.28	+ 2,644.73

प्रभारित

(6) ₹ 20.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 0.25 लाख अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत

(7) ₹ 74,575.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 71,121.35 लाख अभ्यर्पित किया गया।

(8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	2,990.00 (-) 2,240.00	750.00	750.00	0.00	₹ 2,240.00 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 740.00 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रगति कम होने एवं वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-11.800.0101.6596- सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 150.00	0.00	0.00	0.00	₹ 150.00 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 50.00 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रगति कम होने एवं वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई।
4700-13.800.0103.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	10,990.00 (-) 10,958.55	31.45	31.44	(-) 0.01	₹ 10,958.55 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,600.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 358.55 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रगति कम होने एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4700-20.800.0101.6596- सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 199.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1.00 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रगति कम होने एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।
4700-54.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	8,500.00 (-) 5,227.17	3,272.83	3,272.83	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 5,227.17 लाख की (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,490.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,737.17 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रगति कम होने एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-60.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पूरक पुनर्वि.	20,000.00 7,500.00 (-) 15,203.15	12,296.85	12,297.51	+0.66	₹15,203.15 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹11,500.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 3,703.15 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रगति कम होने एवं पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4700-78.800.0103.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	240.00 (-) 240.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 240.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य में कोई रुकावट न होने के कारण हुई।
4700-78.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	250.00 (-) 250.00	0.00	0.00	0.00	सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 250.00 लाख की प्रत्याशित बचत कार्य में कोई रुकावट न होने के कारण हुई।
4700-84.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 8,971.23	1,028.77	1,028.77	0.00	₹ 8,971.23 लाख (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,700.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,271.23 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई।
4700- C3.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	5,000.00 2,164.00	7,164.00	0.00	(-) 7,164.00	₹ 2,164.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा द्वारा ₹ 2,650.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 486.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण निर्माण कार्य के भुगतान के लिए हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-43.800.0103.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	490.00 (-) 450.66	39.34	39.34	0.00	₹ 450.66 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 449.50 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1.16 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-54.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 300.00	0.00	0.00	0.00	₹ 300.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 299.90 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 0.10 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-66.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 600.00	0.00	0.00	0.00	₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 599.90 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1.00 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0102.1910- डिण्डोरी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 990.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई।
4701-80.800.0102.1911- करंजिया मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1.00 लाख) निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0102.3366- मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत अनुसूचित जाति सर्वे में योजना न होने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.0638- हिरन मध्यम परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि.	5,000.00 7,500.00 (-) 6,735.32	5,764.68	5,764.72	+0.04	₹ 6,735.32 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,005.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,730.32 लाख) की कमी निर्माण कार्य कम होने एवं वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.0639- जूडी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 4,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,489.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 511.00 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.1905- कैथ मध्य सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 2,500.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,300.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.5586- बनेटा मध्यम परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 10.00 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण एवं कार्य की स्वीकृति राशि पूर्ण होने के कारण हुई।
4701-97.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 4,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,300.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 700.00 लाख) की निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-A9.800.0101.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 2,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,970.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 30.00 लाख) निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4702-101.0702.3828- लघु सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹1,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा इस मद में योजना स्वीकृत न करने के कारण हुई।
4702-101.0701.3803- लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 4,995.00 लाख) की कमी भारत सरकार द्वारा इस मद में योजना स्वीकृत न करने के कारण हुई।
4702-101.0701.7819- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी)	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार द्वारा इस मद में योजना स्वीकृत न करने के कारण हुई।
4702-800.0103.3828- लघु सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	1,005.00 (-) 1,005.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,005.00 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 999.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 6.00 लाख) की कमी भारत सरकार द्वारा इस मद में योजना स्वीकृत न करने के कारण हुई।
4702-800.0102.3828- लघु सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	19,000.00 (-) 10,000.78	8,999.22	8,998.13	(-) 1.09	₹ 10,000.78 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,500.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,500.78 लाख) निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4711-01.103.0101.5455- ग्वारीघाट से तिलवारा घाट तक घाटों का निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-01.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	10.00 (-) 10.00	0.00	7,164.00	+7,164.00	समर्पण के रूप में ₹10.00 लाख की प्रत्याशित बचत राशि अल्प होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4700-27.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	300.00 1,200.00	1,500.00	1,500.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,200.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.8695- पूर्ण योजनाओं के देनदारियों हेतु	मूल पुनर्वि.	500.00 621.12	1,121.12	1,121.12	0.00	₹ 621.12 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 78.88 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी लंबित देयक के भुगतान के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-B4.800.0801.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	पूरक पुनर्वि	7,500.00 7,000.00	14,500.00	14,500.00	0.00	₹ 7,000.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4700-B4.800.0103.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	पूरक पुनर्वि	सांकेतिक 5,999.99	5,999.99	5,999.99	0.00	₹ 5,999.99 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,565.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 3,565.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4700-C4.800.0102.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	9,447.00 5,000.00	14,447.00	14,447.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में भूमि अधिग्रहण के भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4701-10.800.0101.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि.	500.00 1,580.00	2,080.00	2,080.00	0.00	₹ 1,580.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,719.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 139.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-25.800.0102.3366-मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	440.50 203.04	643.54	638.83	(-) 4.71	₹ 203.04 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 450.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 246.96 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-36.800.0101.7076-माचक नहर विस्तार	मूल पुनर्वि	1.00 86.98	87.98	87.98	0.00	₹ 86.98 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 3.02 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी राशि मर्ज होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4701-48.800.0102.3366-मध्यम परियोजनाओं निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	6,170.00 4,098.53	10,268.53	10,268.53	0.00	₹ 4,098.53 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,100.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 1,001.47 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4701-80.800.0102.1913-हिरवार सूक्ष्म सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	750.00 547.39	1,297.39	1,297.39	0.00	₹ 547.39 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,099.90 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 552.51 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी धीमे निर्माण कार्य होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-80.800.0101.5450- कान्था खेडी मध्यम सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि	3,000.00 4,249.92	7,249.92	7,249.92	0.00	₹ 4,249.92 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,250.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.08 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी राशि मर्ज होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान किये जाने के कारण इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4701-80.800.0101.5592- सीप कोलार लिंक व्यपवर्तन योजना	मूल पुनर्वि	250.00 123.11	373.11	373.11	0.00	₹ 123.11 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 26.89 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.6599- रुंझ परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि	5,000.00 1,500.00 946.65	7,446.65	7,446.65	0.00	₹ 946.65 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 53.35 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी वित्त विभाग द्वारा सीमा निर्धारित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।
4701-80.800.0101.7818- झिन्ना मध्यम परियोजना	मूल पूरक पुनर्वि	500.00 750.00 549.99	1,799.99	1,800.05	+ 0.06	₹ 549.99 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 250.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य कम होने के कारण हुई जबकि वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4701-99.800.1401.2897- बाँध तथा संलग्न कार्य	मूल पुनर्वि	5,000.00 1,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,040.00 लाख का आवर्धन निर्माण कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4701-A4.800.0101.2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1,500.00 247.31	1,747.31	1,747.31	0.00	₹ 247.31लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 2.69 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी राशि मर्ज होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान किये जाने के कारण।
4701-A6.800.0101.2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल पुनर्वि.	1.00 48.96	49.96	49.96	0.00	₹ 48.96 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 1.04 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण कार्य प्रारंभ न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि नरौधी सेंचुरी का पर्यावरण आकलन और कार्यवाही किये जाने के कारण हुई।
4705-800.0704.6648-वृहद एवं मध्यम परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र विकास, फील्ड चैनल का निर्माण, करेक्सन आफ सिस्टम डिफिशियेंसी	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,707.00	1,707.00	1.00	(-) 1,607.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹1,707.00 लाख का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(10) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत 2021-22 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) में की गई हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन समाप्त

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष नामे+जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंत शेष नामे +जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-)2,289.29	0.00	0.00	(-)2,289.29
(ii) भण्डार	+ 4,022.86	0.00	0.00	+ 4,022.86
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 1,187.16	0.00	0.00	+ 1,187.16
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)211.06	0.00	0.00	(-)211.06
योग	+ 2,709.67	0.00	0.00	+ 2,709.67
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
(i)क्रय	(-)12.92	0.00	0.00	(-)12.92
(ii)भण्डार	+ 62.67	0.00	0.00	+ 62.67
(iii)विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	0.00	0.00	+ 12.74
(iv)कार्यशाला उचंत	+ 2.22	0.00	0.00	+ 2.22
योग	+ 64.71	0.00	0.00	+ 64.71

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

(मुख्य शीर्ष- 3053-नागर विमानन, 3054-सड़कें तथा सेतु, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	15,02,49,54			
पूरक	1,50,00,00	16,52,49,54	13,89,93,53	(-) 2,62,56,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,34,33,17			
पूरक	24,24,00,01	74,58,33,18	69,54,82,05	(-) 5,03,51,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,04,60,00			
पूरक	0	5,04,60,00	1,37,43,46	(-) 3,67,16,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 26,256.01 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 15,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

- (2) ₹ 26,256.01 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3054-01.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पूरक	2,376.24 700.00	3,076.24	566.89	(-) 2,509.35	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-01.337.0102.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पूरक	11,409.01 1,300.00	12,709.01	10,162.08	(-) 2,546.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.337.0101.0134- अनुरक्षण और मरम्मत— साधारण मरम्मत	मूल पूरक	68,401.01 3,500.00	71,901.01	59,384.35	(-) 12,516.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-04.800.0102.7081- मुख्य जिला मार्गों तथा अन्य का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण	मूल पूरक	5,300.00 1,500.00	6,800.00	5,978.34	(-) 821.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3054-80.001.2418- निष्पादन	मूल	28,094.05	28,094.05	22,973.83	(-) 5,120.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
3054-80.001.3300- मण्डल स्थापना	मूल	2,824.65	2,824.65	2,287.69	(-) 536.96	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3054-80.001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल	5,723.37	5,723.37	4,233.94	(-) 1,489.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 50,351.13 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 2,42,400.01 लाख (अगस्त 2021 में ₹ 0.01 लाख एवं दिसम्बर 2021 में ₹ 2,42,400 लाख) का अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया जो कि अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 50,351.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(6) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता:

भारत सरकार, विशेष सड़क परियोजनाओं पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार को (सी.आर.एफ.) के तहत वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराती है। मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, मुख्य शीर्ष-1601—'सहायता अनुदान' के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में अनुदानों को प्रारंभ में दर्ज किया जाता है। तत्पश्चात प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा राजस्व व्यय मुख्यशीर्ष 3054—'सड़क एवं पुल' के माध्यम से मुख्यशीर्ष-8449—'अन्य जमा' - 103—'केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंशन' के तहत लोक लेखा को हस्तांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अनुदान प्राप्ति, लेखा में राजस्व आधिक्य को अधिक करके या राजस्व घाटे को कम करके नहीं दर्शाता है। सी.आर.एफ. के अंतर्गत निर्धारित सड़क निर्माण पर व्यय प्रथमतः राजस्व व्यय अथवा पूँजीगत व्यय अनुभाग (मुख्य शीर्ष 5054 या 3054) के तहत दर्ज किया जाएगा। तत्पश्चात लोक लेखे में से उसकी प्रतिपूर्ति मु.शी. 8449 के अंतर्गत एवं संबंधित मुख्यशीर्ष 5054 या 3054 जो भी संबंधित हो) में से व्यय को घटाकर की जायेगी।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार को सी.आर.एफ. के लिए ₹ 622.93 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ जिसे राज्य सरकार ने जमा शीर्ष 8449—अन्य जमा—103—केन्द्रीय सड़क निधि से सबवेंशन को हस्तांतरित नहीं किया क्योंकि केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.), लोक लेखे के माध्यम से संचालित नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 577.74 करोड़ का व्यय लोक लेखा के माध्यम से नहीं करते हुए मुख्यशीर्ष 5054 से प्रत्यक्ष रूप से किया अतएव केन्द्र सरकार द्वारा दिये गए अनुदान में से ₹ 45.19 करोड़ की राशि खर्च हुए बिना शेष रह गयी जिससे राजस्व एवं राजकोषीय घाटा (पैरा 8 में) को कम करके दिखाया गया।

- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.1401.5225- पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल	3,000.00	3,000.00	1,601.45	(-) 1,398.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.101.0703.6651- रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	मूल	160.00	160.00	0.00	(-) 160.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.101.0702.6651- रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	मूल	240.00	240.00	0.00	(-) 240.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.101.0701.6651- रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	मूल	600.00	600.00	0.00	(-) 600.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.101.0103.6651- रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	मूल पुनर्वि.	400.00 395.00	795.00	0.00	(-) 795.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 395.00 लाख का आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.337.1203.5003- म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित)	मूल पूरक	15,000.00 4,000.00	19,000.00	10,400.00	(-) 8,600.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.337.1202.5003- म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी. वित्त पोषित)	मूल पूरक	10,000.00 3,500.00	13,500.00	6,600.00	(-) 6,900.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.337.0802.0948- केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पूरक	4,600.00 1,500.00	6,100.00	2,987.25	(-) 3,112.75	पुनर्विनियोजन द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि ₹ 30.00 लाख की कमी और वृद्धि हुई है। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.337.0801.0948- केन्द्रीय सड़क निधि	मूल पूरक पुनर्वि.	52,400.00 19,500.00 (-) 13,000.00	58,900.00	53,900.00	(-) 5,000.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.337.0101.5139- मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन	मूल पूरक	10,600.00 2,500.00	13,100.00	11,599.48	(-) 1,500.52	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.1401.5226- ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल पूरक पुनर्वि.	9,000.00 2,500.00 (-) 6,695.00	4,805.00	3,685.53	(-) 1,119.47	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,695.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0423.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 700.00	100.00	0.00	(-) 100.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0420.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	मूल पुनर्वि.	6,300.00 (-) 3,500.00	2,800.00	2,246.14	(-) 553.86	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0103.4416- सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 200.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0102.4416- सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-04.337.0102.4557- सुदृढ़ीकरण	मूल पूरक पुनर्वि.	2,382.13 1,000.00 (-) 1,700.00	1,682.13	661.41	(-) 1,020.72	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,700.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0101.4416- सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	2,875.00 (-) 2,750.00	125.00	125.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,750.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0101.4557- सुदृढ़ीकरण	मूल पूरक पुनर्वि.	14,375.00 2,400.00 (-) 9,000.00	7,775.00	4,248.76	(-) 3,526.24	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-05.337.1201.7368- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (सड़क निर्माण)	मूल पूरक पुनर्वि.	34,000.00 28,200.00 13,800.00	76,000.00	61,046.35	(-) 14,953.65	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-80.800.0103.5632- जन निजी भागीदारी अंतर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-80.800.0103.6738- वार्षिकी	मूल पूरक	15,000.00 2,500.00	17,500.00	15,000.00	(-) 2,500.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-80.800.0102.5632- जन निजी भागीदारी अंतर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-80.800.0101.5632- जन निजी भागीदारी अंतर्गत अद्योसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	400.00	400.00	0.00	(-) 400.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-80.800.0101.5701- बी ओ टी सड़क का विकास और पर्यवेक्षण	मूल	2,000.00	2,000.00	0.00	(-) 2,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-80.800.0101.6738- वार्षिकी	मूल पूरक	46,200.00 26,500.00	72,700.00	43,700.00	(-) 29,000.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-80.800.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी सम्बन्धी कार्य	मूल पुनर्वि.	501.00 (-) 350.00	151.00	149.75	(-) 1.25	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 350.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

(8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.1403.5225- पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	मूल	300.00	300.00	799.93	+ 499.93	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.101.1202.2342- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल पूरक पुनर्वि.	4,000.00 3,500.00 1,300.00	8,800.00	8,741.13	(-) 58.87	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,300.00 लाख का आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.101.1201.2342- एन.डी.बी. से वित्त पोषण (पुल निर्माण)	मूल पूरक पुनर्वि.	11,000.00 10,000.00 6,000.00	27,000.00	24,808.96	(-) 2,191.04	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 6,000.00 लाख का आवर्धन के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5054-03.101.0103.4149- वृहद पुलों का निर्माण	मूल पूरक	200.00 1,000.00	1,200.00	1,589.19	+ 389.19	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.101.0101.4149- वृहद पुलों का निर्माण	मूल पूरक पुनर्वि.	9,300.00 2,500.00 1,300.00	13,100.00	21,799.71	+ 8,699.71	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,300.00 लाख का आवर्धन के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.337.1203. 5337- म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	मूल पूरक	7,200.00 5,000.00	12,200.00	16,000.00	+ 3,800.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-03.337.1201. 5337- म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	मूल पूरक	23,500.00 23,000.00	46,500.00	52,690.00	+ 6,190.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.1403.5226- ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,000.00 500.00 600.00	2,100.00	3,354.44	+ 1,254.44	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 600.00 लाख का आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0102.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)	मूल पूरक पुनर्वि.	8,400.00 6,000.00 1,700.00	16,100.00	19,002.43	+2,902.43	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,700.00 लाख का आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-04.337.0101.2457- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित)	मूल पूरक पुनर्वि.	35,500.00 30,000.00 13,800.00	79,300.00	99,299.91	+19,999.91	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 13,800.00 लाख का आवर्धन के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
5054-80.800.0101.9686- बी ओ टी परियोजना के पूरा होने पर भुगतान	मूल	2,500.00	2,500.00	4,000.00	+1,500.00	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित

(9) ₹ 36,716.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(10) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-02.102.0101.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	460.00	460.00	0.00	(-) 460.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-80.800.0103.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	8,000.00	8,000.00	0.00	(-) 8,000.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-80.800.0102.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	11,500.00	11,500.00	0.92	(-) 11,499.08	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020.21 के दौरान भी बचत हुई थी।
5054-80.800.0101.3115- भू-अर्जन हेतु मुआवजा	मूल	30,500.00	30,500.00	13,742.53	(-) 16,757.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020.21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (11) समर्पण ₹ 8,74,99.05 लाख की समर्पण स्वीकृति आदेश क्रमांक आर-174/बी/19/2010/94, दिनांक 31.03.2022 को नियत तिथि 10.05.2022 के उपरांत 14.06.2022 को प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

(मुख्य शीर्ष—2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	59,24,37			
पूरक	0	59,24,37	37,37,64	(-) 21,86,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,50,05,00			
पूरक	88,43,63	7,38,48,63	7,38,43,63	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,50,07			
पूरक	0	8,50,07	0	(-) 8,50,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,186.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2853-02.001.1701.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल	100.00	100.00	0.00	(-)100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2853-02.001.0101.2294- संचालनालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,102.15 (-) 56.34	4,045.81	2,562.66	(-) 1,483.15	₹ 56.34 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7.98 लाख की वृद्धि एवं ₹ 64.32 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2853-02.102.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,615.63 41.34	1,656.97	1,071.80	(-) 585.17	₹ 41.34 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 42.34 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1.00 लाख की कमी निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 850.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4853-01.004.0420.2713- प्रयोगशाला स्थापना	मूल	50.06	50.06	0.00	(-) 50.06	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4853-01.800.0420.0182- खनिजों का सर्वेक्षण की स्थापना	मूल	800.01	800.01	0.00	(-) 800.01	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,07,86,64			
पूरक	1,45,00	2,09,31,64	1,58,76,53	(-) 50,55,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				6,84,29

राजस्व दत्तमत अनुभाग में हुए व्यय (₹ 1,58,76,53,257) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 04.02.2022 को कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 1,25,00,000 में से ₹ 1,25,00,000 खर्च की गई राशि भी शामिल है, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	51			
पूरक	0	51	0	(-) 51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				50

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,04,85,08			
पूरक	0	1,04,85,08	9,33,69	(-) 95,51,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, में ₹ 145.00 लाख का अनुपूरक अनुदान दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 20.00 लाख) एवं मार्च 2022 में प्राप्त किया गया (₹ 125.00 लाख) का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,055.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 684.29 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	मूल	115.00	115.00	54.08	(-) 60.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.7982-संगीत महाविद्यालय	मूल	962.00	962.00	651.79	(-) 310.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2205-102.0101.0749-वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल	1,000.00	1,000.00	200.00	(-) 800.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2205-102.0101.6368-अशासकीय संस्थाओं को पोषण अनुदान	मूल	200.00	200.00	0.00	(-) 200.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2205-102.0101.7060-सांची बौद्ध एवं भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय	मूल	3,000.00	3,000.00	740.00	(-) 2,260.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2205-102.0101.7876-स्वाधीनता संग्राम संबंधी गतिविधियों का संकलन / दस्तावेजीकरण / प्रदर्शन	मूल	100.00	100.00	53.59	(-) 46.41	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-103.0101.5483- डॉ.वी.एस. वाकणकर सृजनपीठ की स्थापना	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 188.39	11.61	11.61	0.00	₹ 188.39 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 34.08 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 154.31 लाख) कोविड-19 के कारण काम पूरा न होना, यात्रा न करना, कर्मचारियों की कमी, अधिक आवंटन, प्रदर्शनी और व्याख्यान की कमी को होना था।
2205-102.6379- संस्कृति संचालनालय का स्थापना व्यय	मूल पुनर्वि.	314.99 10.00	324.99	222.56	(-) 102.43	₹ 10.00 लाख की निधियों को आवर्धन प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 5.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वाहन खरीद और मशीन रखरखाव शीर्ष में निधि की आवश्यकता होना था। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3454-02.110.0101.6041- जिला विचरणिका पुनरीक्षण	मूल पुनर्वि.	111.85 (-) 12.00	99.85	52.44	(-) 47.41	₹ 12.00 लाख की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-102.0101.6042- रविन्द्र भवन का स्थापना व्यय	मूल पूरक पुनर्वि.	165.00 20.00 165.53	350.53	257.45	(-) 93.08	₹ 165.53 लाख की निधियों को आवर्धन में कम प्रावधान (₹ 153.53 लाख) वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 9,551.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति समाप्त

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04.800.0701.6941- रवीन्द्र भवन परिसर का उन्नयन	मूल	385.00	385.00	194.34	(-) 190.66	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-04.800.0101.0749- वेदान्त पीठ की स्थापना	मूल	9,000.02	9,000.02	0.00	(-) 9,000.02	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-04.800.0101.7982- संगीत महाविद्यालय	मूल	500.00	500.00	162.90	(-) 337.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)

(मुख्य शीर्ष— 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,99,35,07,15			
पूरक	2	1,99,35,07,17	1,83,91,67,90	(-) 15,43,39,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				16,37,47,93

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	0	(-) 5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,85,88,99			
पूरक	1	3,85,89,00	3,69,10,10	(-) 16,78,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				16,78,90

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,63,747.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,54,339.27 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0703.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	76,769.04 (-) 35,575.24	41,193.80	41,193.80	0.00	₹ 35,575.24 लाख संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के रूप किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-01.101.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	2,03,604.85 (-) 62,099.42	1,41,505.43	1,41,505.43	0.00	₹ 62,099.42 लाख संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के रूप किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-01.101.0103.3491- माध्यमिक शालायें	मूल पुनर्वि.	5,126.00 (-) 2,583.63	2,542.37	2,542.74	0.37	₹ 2,583.63 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-01.101.0103.4396- सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल पुनर्वि.	11,779.00 (-) 7,418.77	4,360.23	4,360.23	0.00	₹ 7,418.77 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.4396-सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना	मूल पुनर्वि.	16,932.00 (-) 6,134.08	10,797.92	10,797.90	(-) 0.02	₹ 6,134.08 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0101.0729-स्काउट गाईड गतिविधियां	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 80.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹15.42 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 64.58 लाख हुई। समर्पण द्वारा कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.102.0102.9949-अशासकीय शालाओं को अनुदान	मूल पूरक	4,600.00 (-) 1,420.26	3,179.74	3,179.74	0.00	₹ 1,420.26 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण द्वारा आवश्यकतानुसार आहरण किये जाने के कारण हुई।
2202-01.102.0101.1235-मदरसा बोर्ड को अनुदान एवं मदरसों का अधोसंरचना विकास	मूल पुनर्वि.	1,300.00 (-) 934.22	365.78	365.78	0.00	₹ 934.22 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)
2202-01.102.0101.9949-अशासकीय शालाओं को अनुदान	मूल पुनर्वि.	12,200.00 (-) 3,826.73	8,373.27	8,373.66	+ 0.39	₹ 3,826.73 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण करने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.108.0103.2267-निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	100.64 (-) 100.64	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 95.08 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 5.56 लाख हुई, कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई (₹ 5.56 लाख)। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.108.0102.2267- निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	144.67 (-) 144.67	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.74 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 28.53 लाख हुई, कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई (₹28.53 लाख)। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.108.0101.2267- निःशुल्क पाठ्य सामग्री का प्रदाय	मूल पुनर्वि.	383.69 (-) 383.69	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत, पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 306.95 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 76.74 लाख हुई, कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई (₹76.74 लाख)। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.101.0101.1233- वर्तमान शालाओं को अंग्रेजी माध्यम की शालाओं में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	60.00 (-) 60.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण द्वारा आवश्यकता न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-02.105.0701.7657- पढ़ना लिखना अभियान	मूल पुनर्वि.	452.01 (-) 143.63	308.38	308.38	0.00	₹ 143.63 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	707.40 (-) 234.44	472.96	472.96	0.00	₹ 234.44 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-03.103.0701.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	1,876.15 (-) 704.80	1,171.35	1,171.35	0.00	₹ 704.80 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.7734- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये शिक्षण एवं आवास व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 1,100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,100.00 लाख के संपर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (₹ 604.13 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा + ₹ 495.87 लाख समर्पण) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (3) उपरोक्त टिप्पणी (2) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0705.5330- समग्र शिक्षा अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 23,680.27	23,680.27	23,680.27	0.00	₹ 23,680.27 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-01.101.0702.5330- समग्र शिक्षा अभियान	मूल पुनर्वि.	53,404.55 5,785.84	59,190.39	59,190.39	0.00	₹ 5,785.84 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,710.74 लाख की वृद्धि एवं ₹ 9,924.89 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-01.800.0706.9675- स्टार परियोजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 307.09	307.09	307.09	0.00	₹ 307.09 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-01.800.0705.9675- स्टार परियोजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 427.31	427.31	427.31	0.00	₹ 427.31 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 432.95 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 5.64 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी केंद्रांश की राशि के आहरण पश्चात शेष राशि को समर्पित किये जाने से हुई। वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा) समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.800.0703.9675- स्टार परियोजना	मूल पुनर्वि.	250.00 210.64	460.64	460.64	0.00	₹ 210.64 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 296.74 लाख की वृद्धि एवं ₹ 86.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2022)।
2202-01.800.0702.9675- स्टार परियोजना	मूल पुनर्वि.	250.00 390.96	640.96	640.96	0.00	₹ 390.96 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 414.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 23.04 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2022)।
2202-02.105.0706.7657- पढ़ना लिखना अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 59.20	59.20	59.20	0.00	₹ 59.20 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2022)।
2202-03.103.0706.5330- समग्र शिक्षा अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 112.77	112.77	112.77	0.00	₹ 112.77 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2022)।
2202-03.103.0705.5330- समग्र शिक्षा अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 153.65	153.65	153.65	0.00	₹ 153.65 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

(मुख्य शीर्ष- 2011-संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,23,37			
पूरक	0	1,00,23,37	78,18,77	(-) 22,04,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				21,82,35

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	65,94			
पूरक	0	65,94	28,03	(-) 37,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				37,71

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,204.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 2,182.35 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल—जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.4007-विधायक	मूल पुनर्वि.	4,475.89 (-) 969.06	3,506.83	3,506.95	+ 0.12	₹ 969.06 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,073.06 लाख की कमी (समर्पण ₹ 882.62 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 190.44 लाख) एवं ₹ 104.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी का कारण वास्तविक व्यय और कोविड-19 के कारण कम राशि के दौरों को देखते हुए एवं सहायता अनुदान के तहत ब्याज अनुदान के लिए सरकारी आदेश जारी न करना था। वृद्धि का कारण कोविड-19 के रोगियों को भुगतान, नए कंप्यूटर उपकरणों की खरीद और वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2011-02.101.6801-माननीय विधायकों को लेपटॉप का क्रय	मूल पुनर्वि.	75.00 (-) 58.13	16.87	16.87	0.00	₹ 58.13 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में माननीय विधायकों द्वारा लेपटॉप का क्रय न किये जाने से हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2011-02.103.6546-पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना के लिये सहायक अनुदान	मूल पुनर्वि.	170.01 (-) 47.61	122.40	122.40	(-) 0.00	₹ 47.61 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन के रूप में संभावित बचत के कारण हुई।
2011-02.103.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 300.84	99.16	99.16	(-) 0.00	₹ 300.84 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में संभावित बचत के कारण हुई।

प्रभारित

- (3) ₹ 37.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 37.71 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (4) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल—समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2011-02.101.0125- अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते	मूल पुनर्वि.	65.64 (-) 37.61	28.03	28.03	0.00	₹ 37.61 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में माननीय उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2014-न्याय प्रशासन, 2015-निर्वाचन, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियाँ अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास कार्य पर पूंजीगत परिव्यय एवं 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	16,53,29,66			
पूरक	4,23,07	16,57,52,73	12,21,74,39	(-) 4,35,78,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (29 एवं 31 मार्च 2022)				4,28,73,74

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,84,84,64			
पूरक	6,48,11	1,91,32,75	1,41,12,78	(-) 50,19,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				49,25,53

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,37,50,01			
पूरक	सांकेतिक	2,37,50,01	1,41,76,48	(-) 95,73,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				95,76,94

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 423.07 लाख का अनुपूरक अनुदान दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 43,578.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 42,873.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-103.0701.9634- पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत फास्टट्रेक कोर्ट की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,227.73 (-) 1,694.19	2,533.54	2,519.18	(-) 14.36	₹ 1,694.19 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,780.19 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 1,694.19 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 86.00 लाख) एवं ₹ 86.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि का कारण डी.टी.ए भोपाल द्वारा जारी पत्र के अनुसार न्यायिक अधिकारियों के वेतन की निकासी और जिला न्यायालयों की स्थापना था और कमी वित्त मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या क. 487/7571/4-1/4 दिनांक 30-06-2019 के निर्देशानुसार हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.4497-सामान्य स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,01,583.04 (-) 27,199.52	74,483.52	73,955.03	(-) 528.49	₹ 27,199.52 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 28,540.81 लाख की कमी लाख (समर्पण के रूप में ₹ 27,199.52 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,341.29 लाख) एवं ₹ 1,341.29 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, पद रिक्त रहना, अंतिम रिपोर्ट को लागू न करना / द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश, संविदा कर्मचारियों को काम पर रखने की मंजूरी न देना, डी.डी.ओ द्वारा मांग न करना, 18-001 को 18-031 के बजाय आई.एफ.एम.आई.एस में मैप किये जाने से हुई। जबकि वृद्धि लिंग संवेदीकरण आंतरिक शिकायत समिति, कम प्रावधान, लैपटॉप की खरीद से संबंधित खर्चों के भुगतान के अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई मांग को पूरा करने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022). इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.5446-अधीनस्थ न्यायालयों के आवास गृहों का अनुरक्षण कार्य	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 177.54	122.46	102.46	(-) 20.00	समर्पण के रूप में ₹ 177.54 लाख की प्रत्याशित बचत 20 प्रतिशत कटौती, वित्त विभाग द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और कोविड-19 के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.6020- ग्राम न्यायालय	मूल पुनर्वि.	4,028.51 (-) 1,480.06	2,548.45	2,536.12	(-) 12.33	₹ 1,480.06 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,588.06 लाख की कमी लाख (समर्पण के रूप में ₹ 1,480.06 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 108.00 लाख) एवं ₹ 108.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, 18-001 को 18-031 के बजाय आई.एफ.एम.आई.एस में मैप किये जाने से हुई। जबकि वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.6211- केन्द्रीय जांच ब्यूरो हेतु गठित विशेष न्यायालय	मूल पुनर्वि.	816.40 (-) 521.96	294.44	292.19	(-) 2.25	₹ 521.96 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 537.96 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 521.96 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16.00 लाख) एवं ₹ 16.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी रिक्त पद, वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित करने, संभावित बचत, 18-001 को 18-031 के बजाय आई.एफ.एम.आई.एस में मैप किये जाने से हुई। जबकि वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता एवं मकान किराया भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,630.81	369.19	369.19	0.00	₹ 1,630.81 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पद एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित करने से हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-105.0101.1486-स्टेक होल्डर की सुविधाओं का उन्नयनीकरण	मूल पुनर्वि.	250.00 (-) 197.51	52.49	52.49	0.00	₹ 197.51 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पद एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित करने से हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.0101.2450-न्यायालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	300.00 (-) 166.22	133.78	133.77	(-) 0.01	₹ 166.22 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पद, 20 प्रतिशत की कटौती, वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित करने एवं कोविड-19 के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-105.0101.9065-अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 468.26	431.74	431.74	0.00	₹ 468.26 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पद एवं वित्त विभाग द्वारा प्रतिबंधित करने से हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-114.6251-उच्च न्यायालय/ उच्चतम न्यायालय के अभिभाषकों की फीस एवं अन्य भुगतान	मूल पुनर्वि.	116.00 (-) 60.35	55.65	55.64	(-) 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 60.35 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-103.3307-मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण	मूल पुनर्वि.	7,728.00 (-) 2,624.41	5,103.59	5,124.92	+ 21.33	₹ 2,624.41 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,699.41 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 373.91 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,325.50 लाख) एवं ₹ 75.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)।
2052-800.1950- राज्य विधि आयोग का पुनर्गठन	मूल पुनर्वि.	167.45 (-) 161.11	6.34	6.32	(-) 0.02	समर्पण के रूप में ₹ 161.11 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01.800.0703.5171- विशेष न्यायालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,347.00 (-) 1,453.91	2,893.09	2,883.34	(-) 9.75	₹ 1,453.91 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,543.91 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 1,453.91 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 90.00 लाख) एवं ₹ 90.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, 18-001 को 18-031 के बजाय आई.एफ.एम.आई. एस में मैप किये जाने से हुई। जबकि वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)।
2235-60.200.0101.1489- ए.डी.आर. सेंटर्स का निर्माण	मूल पुनर्वि.	250.00 (-) 115.89	134.11	84.11	(-) 50.00	समर्पण के रूप में ₹ 115.89 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)।
2235-60.200.0101.5104- स्थायी लोक अदालत	मूल पुनर्वि.	90.00 (-) 77.74	12.26	12.26	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 77.74 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-102.1304- एजुकेशन तथा इलेक्ट्रॉल पार्टिसिपेशन (स्वीप)	मूल पुनर्वि.	600.00 100.28	700.28	700.79	+ 0.51	₹ 100.28 लाख की आर्वधन प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 199.71 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारण/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-105.4311- संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार	मूल पुनर्वि.	522.15 1,208.37	1,730.52	1,782.42	+ 51.90	₹ 1,208.37 लाख की आर्वधन प्रावधान में ₹ 1,565.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 356.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत के कारण हुई, जबकि वृद्धि के कारण/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2015-106.4006- राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल पुनर्वि.	1,481.12 913.62	2,394.74	2,394.74	0.00	₹ 913.62 लाख की आर्वधन प्रावधान में ₹ 1,335.50 लाख की वृद्धि एवं ₹ 421.88 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारण/विशिष्ट के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (5) ₹ 5,019.97 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 4,925.53 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-102.0573- उच्च न्यायालय (भारित)	मूल पूरक पुनर्वि.	16,704.63 648.11 (-) 3,744.50	13,608.24	13,513.80	(-) 94.44	₹ 3,744.50 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 5,193.14 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 3,828.14 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,369.00 लाख) एवं ₹ 1,448.64 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत, पद रिक्त रहना, कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं देने, अंतिम रिपोर्ट को लागू न करना / द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग वेतन आयोग की सिफारिश लागू न किये जाने से हुई। जबकि वृद्धि स्थापना देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता, एम.पी.एल.एस लीस वाईड एरिया नेटवर्क इन्टरनेट एवं चिकित्सा देयकों के भुगतान करने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2014-102.7702- उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराईजेशन	मूल पुनर्वि.	1,160.00 (-) 753.05	406.95	406.95	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 753.05 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)।
2014-102.0101.0573- उच्च न्यायालय (भारित)	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 408.55	191.45	191.45	0.00	₹ 408.55 लाख (समर्पण ₹ 324.91 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 83.64 लाख) के प्रत्याशित बचत अप्रयुक्त रहने से हुई। समर्पण के रूप में किये गए शेष बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य जारी

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-106.4006- राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार	मूल पुनर्वि.	20.00 (-) 19.42	0.58	0.58	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 19.42 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 9,573.53 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 की ₹ 9,576.94 लाख का किया गया अभ्यर्पण आधिक्य एवं अवास्तविक था।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01.051.0101.9073- महाधिवक्ता कार्यालय का भवन निर्माण एवं उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,000.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत कटौती एवं कोविड-19 के कारण हुई।
4059-01.051.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,500.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,500.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत कटौती एवं कोविड-19 के कारण हुई। इस शीर्ष अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.9511- म.प्र. राज्य न्यायिक अकादमी का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,000.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत कटौती एवं कोविड-19 के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29-विधि और विधायी कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4216-01.106.0701.6222- न्यायाधिशों के आवास गृहों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,500.00 (-) 1,877.62	3,622.38	3,622.37	(-) 0.01	₹ 1,877.62 लाख के संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा 20 प्रतिशत कटौती एवं कोविड-19 के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.106.0101.9074- उच्च न्यायालय का भवन एवं आवासीय परिसर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2216-आवास, 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्रामीण रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	80,19,05,01			
पूरक	61,81,86,02	1,42,00,91,03	1,27,26,17,73	(-) 14,74,73,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (25 एवं 31 मार्च 2022)				11,24,27,94

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,81			
पूरक	0	6,81	0	(-) 6,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				6,81

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	36,32,00,06			
पूरक	1	36,32,00,07	32,26,96,40	(-) 4,05,03,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,04,94,33

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,47,473.30 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में ₹ 6,18,186.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 2,01,486.02 लाख), दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 2,95,600.00 लाख) एवं मार्च 2022 में प्राप्त किया गया (₹ 1,21,100.00 लाख) अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,47,473.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 1,12,427.94 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.198.0703.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	40,000.00 48,000.00 (-) 22,853.84	65,146.16	52,800.00	(-) 12,346.16	₹ 22,853.84 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि गुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2216-03.198.0702.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	57,500.00 69,000.00 (-) 32,557.49	93,942.51	75,457.64	(-) 18,484.87	₹ 32,557.49 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि गुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2216-03.198.0701.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,52,500.00 1,83,000.00 (-) 87,130.27	2,48,369.73	2,01,300.00	(-) 47,069.73	₹ 87,130.27 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि गुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-06.198.0702.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल	10,758.41	9,853.21	8,726.09	(-) 1,127.12	₹ 4,355.20 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 389.75 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,965.45 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि गुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	3,450.00				
	पुनर्वि.	(-) 4,355.20				
2501-06.198.0701.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	मूल	27,257.47	26,326.50	22,416.01	(-) 3,910.49	₹ 10,080.97 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 347.54 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 9,733.43 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि गुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	9,150.00				
	पुनर्वि.	(-) 10,080.97				
2505-01.198.0701.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	मूल	1,22,000.00	2,09,504.36	1,79,004.36	(-) 30,500.00	₹ 71,095.64 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 40,595.64 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 30,500.00 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि गुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	1,58,600.00				
	पुनर्वि.	(-) 71,095.64				

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0703.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	मूल पूरक पुनर्वि.	19,101.80 5,225.60 (-) 7,066.00	17,261.40	11,935.08	(-) 5,326.32	₹ 7,066.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0702.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	मूल पूरक पुनर्वि.	23,015.40 7,511.80 (-) 7,946.96	22,580.24	15,816.86	(-) 6,763.38	₹ 7,946.96 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0701.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	मूल पूरक पुनर्वि.	57,949.80 19,922.60 (-) 17,661.41	60,210.99	43,511.35	(-) 16,699.64	₹ 17,661.41 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-800.0553.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल	5,600.00	5,600.00	0.00	(-) 5,600.00	संपूर्ण बचत के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-800.0552.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल	8,050.00	8,050.00	0.00	(-) 8,050.00	संपूर्ण बचत के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.0550.9216- प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का नवीनीकरण एवं उन्नयन	मूल	21,350.00	21,350.00	0.00	(-) 21,350.00	संपूर्ण बचत के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2216-03.198.0706.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 22,853.84	22,853.84	35,200.00	+ 12,346.16	₹ 22,853.84 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2216-03.198.0705.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 32,557.49	32,557.49	51,042.37	+ 18,484.88	₹ 32,557.49 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2216-03.198.0704.5198- प्रधानमंत्री आवास योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 87,130.27	87,130.27	1,34,200.00	+ 47,069.73	₹ 87,130.27 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2501-06.198.0706.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 2,651.70	2,651.70	3,341.65	+ 689.95	₹ 2,651.70 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2501-06.198.0705.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 3,965.45	3,965.45	5,092.57	+ 1,127.12	₹ 3,965.45 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2501-06.198.0704.6836- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 9,733.43	9,733.43	13,643.92	+ 3,910.49	₹ 9,733.43 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2505-01.198.0706.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 5,037.37	5,037.37	13,037.37	+ 8,000.00	₹ 5,037.37 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,962.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2505-01.198.0704.6923- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 19,204.99	19,204.99	49,704.99	+ 30,500.00	₹ 19,204.99 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 11,295.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0706.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	पूरक पुनर्वि.	1,350.40 7,066.00	8,416.40	13,742.72	+ 5,326.32	₹ 7,066.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0705.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	पूरक पुनर्वि.	1,941.20 7,946.96	9,888.16	16,651.54	+ 6,763.38	₹ 7,946.96 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0704.6931- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	पूरक पुनर्वि.	5,148.40 17,661.41	22,809.81	39,509.45	+ 16,699.64	₹ 17,661.41 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 40,503.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 40,494.33 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-198.0703.6099- मध्याह्न भोजन—किचन शेड का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 1,000.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में भारत सरकार द्वारा कम प्रावधान प्राप्त होने से हुई।
4515-198.0702.6099- मध्याह्न भोजन—किचन शेड का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,600.00 (-) 1,600.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में भारत सरकार द्वारा कम प्रावधान प्राप्त होने से हुई।
4515-198.0701.6099- मध्याह्न भोजन—किचन शेड का निर्माण	मूल पुनर्वि.	3,500.00 (-) 3,500.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में भारत सरकार द्वारा कम प्रावधान प्राप्त होने से हुई।
4515-800.0703.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	46,800.00 (-) 17,873.28	28,926.72	25,893.47	(-) 3,033.25	₹ 17,873.28 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,311.92 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 16,561.36 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4515-800.0702.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	67,275.00 (-) 21,816.38	45,458.62	37,229.73	(-) 8,228.89	₹ 21,816.38 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,881.14 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 19,935.24 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0701.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मूल पुनर्वि.	1,78,425.00 (-) 68,732.23	1,09,692.77	76,101.80	(-) 33,590.97	₹ 68,732.23 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 14,565.36 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 54,166.87 लाख) वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0701, 0702 एवं 0703 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0706.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 15,686.75	15,686.75	18,720.00	+ 3,033.25	₹ 15,686.75 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 16,561.36 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 874.61 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-800.0705.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 18,681.11	18,681.11	26,910.00	+ 8,228.89	₹ 18,681.11 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 19,935.22 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,254.11 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4515-800.0704.7467- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 44,460.84	44,460.84	78,051.81	+ 33,590.97	₹ 44,460.84 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 54,166.87 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 9,706.04 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्रांश की राशि ग्रुप हेड 0704, 0705 एवं 0706 आहरण किये जाने से एवं भारत सरकार केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष- 3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,42,93,46			
पूरक	92,89	1,43,86,35	1,17,54,16	(-) 26,32,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				26,09,76

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 92.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,632.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 2,609.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 31-योजना, आर्थिक और सांख्यिकी-समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3451-101.3686-राज्य योजना मण्डल	मूल पुनर्वि.	524.00 (-) 221.65	302.35	300.81	(-) 1.54	समर्पण के रूप में ₹ 221.65 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचिन नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3451-101.0101.5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	102.02 (-) 102.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 102.02 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचिन नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
3451-101.0101.7613-प्रदेश में क्रियान्वित परियोजनाओं की मानिटरिंग, सलाहकार सेवायें, नवाचार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	मूल पुनर्वि.	1,094.09 (-) 1,000.59	93.50	93.50	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,000.59 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचिन नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.001.8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय	मूल पूरक पुनर्वि.	6,456.35 92.89 (-) 1,207.55	5,341.69	5,321.41	(-) 20.28	₹ 1,207.55 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 1,210.55 लाख (₹ 3.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 1,207.55 लाख समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन शीर्ष अन्तर्गत कम प्रावधान किये जाने से हुई तथा कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
3454-02.201.0512-राज्य सेम्पल सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	59.65 (-) 52.70	6.95	6.95	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 52.70 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचिन नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क

(मुख्य शीर्ष- 2013-मंत्रिपरिषद, 2015-निर्वाचन, 2029-भू-राजस्व, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2041-वाहन कर, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2054-खजाना और लेखा प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2205-कला एवं संस्कृति, 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2220-सूचना तथा प्रचार, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं, 2401-फसल कृषि कर्म, 2403-पशु पालन, 2405-मछली उद्योग, 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन, 2425-सहकारिता, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2810- नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा, 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3054-सड़क तथा सेतु, 3452-पर्यटन, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	3,53,83,84			
पूरक	43,00,00	3,96,83,84	3,69,65,43	(-) 27,18,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00,00			
पूरक	0	5,00,00	22,14	(-) 4,77,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 2,718.41 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 4,300.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2220-01.001.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल पूरक	7,325.25 800.00	8,125.25	6,899.03	(-) 1,226.22	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि ₹ 23.00 लाख की कमी और वृद्धि हुई है। कमी और वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-01.001.8688-मध्यप्रदेश सूचना केन्द्र नई दिल्ली	मूल	169.76	169.76	72.83	(-) 96.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-60.101.0103.5621-जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	मूल	149.26	149.26	0.00	(-)149.26	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2220-60.101.0102.5621-जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार	मूल	134.54	134.54	0.00	(-) 134.54	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 32—जनसंपर्क—समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2220.60.106.7660- कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन	पूरक	500.00	500.00	0.00	(-) 500.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 477.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4220-60.101.0101.0684- कार्यालय भवन निर्माण	मूल	500.00	500.00	22.14	(-) 477.86	बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (5) समर्पण स्वीकृति क्रमांक 2518/बजट/5/7/जएसएस/2022(3), दिनांक 20.05.2022 राशि ₹ 3,169.17 लाख, निर्धारित दिनांक (10-05-2022) के पश्चात दिनांक 24-05-2022 को प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं की गई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	80,45,52,34			
पूरक	1,09,69,81	81,55,22,15	68,65,76,56	(-) 12,89,45,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				13,00,43,96

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	1,09	(-) 3,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	17,51,16,50			
पूरक	0	17,51,16,50	4,98,90,10	(-) 12,52,26,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				12,20,28,84

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 10,969.81 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में प्राप्त (₹ 3,800.00 लाख), मार्च 2022 में प्राप्त किया गया (₹ 7,169.80 लाख) अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2022 को ₹ 1,30,043.96 लाख का समर्पण, ₹ 1,28,945.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध अधिक एवं अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-01.101.0102.2773- प्राथमिक शालाए	मूल पुनर्वि.	2,98,657.00 (-) 37,895.94	2,60,761.06	2,61,686.72	+ 925.66	₹ 37,895.94 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 38,193.64 लाख (समर्पण ₹ 34,342.87 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 3,850.77 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 297.70 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-01.101.0102.3496- माध्यमिक शालाए	मूल पुनर्वि.	1,76,877.57 (-) 24,297.84	1,52,579.73	1,52,740.53	+ 160.80	₹ 24,297.84 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 26,409.48 लाख (समर्पण ₹ 18,542.93 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 7,866.55 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,111.64 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2202-02.109.0102.0581-शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें	मूल पुनर्वि.	71,673.23 (-) 10,558.31	61,114.92	61,109.01	(-) 5.91	₹ 10,558.31 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 10,674.23 लाख (समर्पण ₹ 10,658.31 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 15.92 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 115.91 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.001.0103.2304-निदेशन और प्रशासन	मूल पुनर्वि.	215.36 (-) 72.34	143.02	147.64	+ 4.62	₹ 72.34 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-01.102.0102.8861-जैविक कृषि कार्यक्रम की प्रतिपूर्ति	पूरक पुनर्वि.	3,800.00 (-) 3,800.00	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत के रूप में संपूर्ण प्रावधान की बचत ₹ 3,800.00 लाख (समर्पण ₹ 3,780.00 लाख + ₹ 20.00 लाख पुनर्विनियोजन) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.001.0802.5155-योजनाओं का अनुश्रवण और मूल्यांकन अनुच्छेद 275(1)	मूल पुनर्वि.	700.00 (-) 628.22	71.78	71.78	0.00	₹ 628.22 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में भारत सरकार से राशि विलम्ब से प्राप्त होने संस्था द्वारा कार्य में विलम्ब हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.001.0102.9843- अनुश्रवण और मूल्यांकन इकाईयां	मूल पुनर्वि.	99.13 (-) 54.93	44.20	45.01	+ 0.81	₹ 54.93 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.102.0102.2321- नेतृत्व विकास एवं भारत दर्शन	मूल पुनर्वि.	117.50 (-) 117.50	0.00	0.00	0.00	₹ 117.50 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.2324- आकांक्षा योजना	मूल पुनर्वि.	1,030.02 (-) 521.84	508.18	508.18	0.00	₹ 521.84 लाख (समर्पण ₹ 262.78 लाख + ₹ 259.06 लाख पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.102.0102.7215- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	मूल पुनर्वि.	220.00 (-) 220.00	0.00	0.00	0.00	₹ 220.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.190.0102.9855- वन्या प्रकाशन	मूल पुनर्वि.	550.00 (-) 139.27	410.73	410.73	0.00	₹ 139.27 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.277.1702.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,666.61 (-) 1,666.61	0.00	0.00	0.00	₹ 1,666.61 लाख (समर्पण ₹ 1,363.59 लाख + ₹ 303.02 लाख पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.277.0705.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	पूरक पुनर्वि.	1,764.75 (-) 475.78	1,288.97	1,263.27	(-) 25.70	₹ 475.78 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0422.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,666.61 (-) 1,666.61	0.00	0.00	0.00	₹ 1,666.61 लाख (समर्पण ₹ 1,363.59 लाख + ₹ 303.02 लाख पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.277.0102.0494- आश्रम	मूल पुनर्वि.	18,866.72 (-) 10,253.78	8,612.94	8,608.24	(-) 4.70	₹ 10,253.78 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 11,299.88 लाख (समर्पण ₹ 11,283.88 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 16.00 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,046.10 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.277.0102.0762- म.प्र. स्पेशल एण्ड रेसिडेंसियल एकेडेमिक सोसायटी	मूल पुनर्वि.	10,044.51 (-) 2,616.80	7,427.71	7,453.02	+ 25.31	₹ 2,616.80 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,798.50 लाख (समर्पण ₹ 2,616.80 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 181.70 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 181.70 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.0978- क्रीडा परिसर	मूल पुनर्वि.	1,606.21 (-) 844.32	761.89	761.77	(-) 0.12	₹ 844.32 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 846.32 लाख (समर्पण ₹ 844.32 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2.00 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.2604- मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग	मूल पुनर्वि.	189.89 (-) 65.79	124.10	124.09	(-) 0.01	₹ 65.79 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 66.06 लाख (समर्पण ₹ 65.79 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 0.27 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.27 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.6175- राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 850.72	249.28	249.28	0.00	₹ 850.72 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 995.72 लाख की कमी समर्पण द्वारा एवं ₹ 145.00 लाख की वृद्धि पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के निवल प्रभाव था। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.277.0102.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	2,400.00 (-) 2,400.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,400.00 लाख संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.277.0102.8012- शैक्षणिक संस्थाओ, आश्रम, छात्रावासो हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार	मूल पुनर्वि.	45.00 (-) 45.00	0.00	0.00	0.00	₹ 45.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.8842- विदेशो में शिक्षा प्राप्त करने हेतु अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्याथयो को छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	220.00 (-) 59.04	160.96	160.96	0.00	₹ 59.04 लाख के संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0102.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	1,666.78 (-) 1,666.78	0.00	0.00	0.00	₹ 1,666.78 लाख के संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.800.0334- अनुसूचित जनजाति अन्वेषण संस्था	मूल पुनर्वि.	697.08 (-) 231.71	465.37	466.05	+ 0.68	₹ 231.71 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0602.5211- आई.टी.डी.पी. / माडा पॉकेट / क्लस्टर में स्थानीय विकास कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	15,000.00 (-) 7,841.08	7,158.92	7,158.92	0.00	₹ 7,841.08 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में भारत सरकार से राशि विलम्ब से प्राप्त होने संस्था द्वारा कार्य में विलम्ब हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0102.6462- कोल जनजाति विकास अभिकरण	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	₹ 50.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2225-02.800.0102.7826- कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के परिवहन योजना	मूल पुनर्वि.	750.00 (-) 750.00	0.00	0.00	0.00	₹ 750.00 लाख के संपूर्ण प्रावधान के प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.800.0102.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 617.60	182.40	182.40	0.00	₹ 617.60 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.800.0102.9819- विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह अभिकरण	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 84.30	15.70	15.70	0.00	₹ 84.30 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.102.0102.2326- पीव्हीटीजी आहार अनुदान योजना	मूल पुनर्वि.	27,000.00 3,780.00	30,780.00	30,780.00	0.00	₹ 3,780.00 लाख की निधियों का आवर्धन किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-02.277.0705.6175- राज्य छात्रवृत्ति कक्षा 9वीं एवं 10वीं	पूरक पुनर्वि.	Token 300.00	300.00	300.00	0.00	₹ 300.00 लाख की निधियों का आवर्धन जन संपर्क विभाग को राशि दिये जाने से हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-02.800.0102.9853- अनुसूचित जनजाति संस्कृति का परीक्षण विकास एवं देवठान	मूल पुनर्वि.	80.00 5,888.11	5,968.11	5,968.11	0.00	₹ 5,888.11 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,162.98 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 274.87 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। इंदौर में तांत्या मामा भील के बलिदान दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री के अतिथि में आयोजित कार्यक्रम पर व्यय, माननीय मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय गृह मंत्री के आदिवासी गौरव दिवस एवं आदिवासी अधिवेशन एवं जबलपुर प्रवास पर व्यय हेतु अतिरिक्त आवश्यकता, जबकि कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 1,25,226.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,22,028.84 लाख केवल अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-01.202.0102.0581- शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें	मूल पुनर्वि.	33,000.00 (-) 27,283.63	5,716.37	5,716.37	0.00	₹ 27,283.63 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4225-02.277.1702.9516- सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	11,600.00 (-) 11,600.00	0.00	0.00	0.00	₹ 11,600.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 33—जनजातीय कार्य समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.277.0422.9516-सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	11,600.00 (-) 11,600.00	0.00	0.00	0.00	₹ 11,600.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण हुई।
4225-02.277.0102.1398-सीनियर छात्रावास	मूल पुनर्वि.	20,000.00 (-) 17,701.44	2,298.56	2,298.56	0.00	₹ 17,701.44 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4225-02.277.0102.7912-शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	2,300.00 (-) 2,300.00	0.00	0.00	0.00	₹ 2,300.00 लाख की समर्पण के रूप में प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4225-02.277.0102.9516-सी.एम. राइज	मूल पुनर्वि.	11,800.00 (-) 11,800.00	0.00	0.00	0.00	₹ 11,800.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की समर्पण के रूप में प्रत्याशित वित्त विभाग द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-02.102.0802.8861-जैविक कृषि समर्थन कार्यक्रम (प्रतिपूर्ति)	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00 लाख की निधियों के आवर्धन के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण एवं 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	37,18,20,66			
पूरक	1,38,50,04	38,56,70,70	37,81,25,06	(-) 75,45,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				74,89,62

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,20			
पूरक	0	1,20	0	(-) 1,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,20

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	7,06,00			
पूरक	0	7,06,00	5,90,39	(-) 1,15,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,15,61

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण—जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 7,545.64 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 13,850.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में प्राप्त (₹ 0.04 लाख), दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया (₹ 50.00 लाख) एवं मार्च 2022 में प्राप्त किया गया (₹ 13,800.00 लाख) अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 7,545.64 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को केवल ₹ 7,489.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) यद्यपि ₹ 7,545.64 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण बचत परिलक्षित हुई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.800.0101.6693- कन्या अभिभावक पेंशन योजना	मूल पुनर्वि.	1,220.00 (-) 55.48	1,164.52	2,664.52	+ 1,500.00	₹ 55.48 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कम व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
2235-02.800.0101.6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना)	मूल पुनर्वि.	3,050.00 (-) 465.82	2,584.18	1,068.03	(-) 1,516.15	₹ 465.82 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कम व्यय किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-60.102.0703.7084- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	मूल पुनर्वि.	1,750.00 (-) 982.62	767.38	767.18	(-) 0.20	₹ 982.62 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में राज्यांश का केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में पुनर्विनियोजन किये जाने एवं हितग्राहियों की संख्या कम होने से हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 34—सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण—समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.102.0103.6693- कन्या अभिभावक पेंशन योजना	मूल	320.00	320.00	820.07	+ 500.07	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2235-60.102.0102.6693- कन्या अभिभावक पेंशन योजना	मूल पुनर्वि.	460.00 (-) 328.55	131.45	631.45	+ 500.00	₹ 328.55 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में हितग्राहियों की संख्या कम होने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 115.61 लाख संपूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.101.0802.7569- निःशक्त जनों के लिए बाधारहित वातावरण	मूल पुनर्वि.	162.38 (-) 75.23	87.15	87.15	0.00	₹ 75.23 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कम व्यय के कारण हुई।
4235-02.101.0803.7569- निःशक्त जनों के लिए बाधारहित वातावरण	मूल पुनर्वि.	112.96 (-) 28.53	84.43	84.43	0.00	₹ 28.53 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कम व्यय के कारण हुई।

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

(मुख्य शीर्ष-2851- ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851- ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,24,56,71			
पूरक	2,59,00,00	6,83,56,71	6,54,75,76	(-) 28,80,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				30,74,43

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)
मूल	2			
पूरक	10,26	10,28	10,26	(-) 2
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,34,50,03			
पूरक	0	1,34,50,03	1,27,02,66	(-) 7,47,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				(-) 7,47,37

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) 31 मार्च 2022 को किया गया ₹ 3,074.43 लाख का अभ्यर्पण, ₹ 2,880.95 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (2) हालांकि ₹ 2,880.95 लाख की कुल बचत कुल प्रावधान के 5 प्रतिशत से कम थी, निम्नलिखित उप-शीर्षों के तहत उल्लेखनीय विविधताएं देखी गई हैं:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-111.0101.9921- मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना	पूरक पुनर्वि.	64.00 (-) 11.52	52.48	53.18	+ 0.70	₹ 11.52 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 17.28 लाख की कमी (समर्पण ₹ 11.52 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.76 लाख) एवं ₹ 200.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी कम प्रशिक्षण आयोजित होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)।
2851-800.0101.2124- एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन/सुविधा प्रदाय योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	11,730.02 12,200.00 (-) 681.78	23,248.24	23,456.21	+ 207.96	समर्पण के रूप में ₹ 681.78 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) ₹ 747.37 लाख की संपूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित कि गई।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 35—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851.101.0101.7340- नवीन जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 48.00	152.00	152.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 48.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4851.800.0101.6820- क्लस्टर्स की स्थापना	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 360.00	3640.00	3,640.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 360.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4851.800.0101.7623- वेंचर कैपिटल कंपनी	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 64.00	36.00	36.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 64.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4851.800.0101.7624- एम.एस.एम.ई वेंचर कैपिटल फण्ड में निवेश	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 64.00	36.00	36.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 64.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

(मुख्य शीर्ष- 2041-वाहन कर, 3055-सड़क परिवहन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय एवं 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,03,26,05			
पूरक	2,19,20	1,05,45,25	57,06,95	(-) 48,38,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				47,19,29

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,00			
पूरक	0	4,00	0	(-) 4,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,60,01			
पूरक	2,00,00	15,60,01	99,67	(-) 14,60,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				12,60,34

अनुदान संख्या 36—परिवहन जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 219.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 4,838.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 4,719.29 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-001.3561- मुख्यालय स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,073.68 (-) 424.21	649.47	647.70	(-) 1.77	₹ 424.21 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 434.21 लाख (समर्पण के रूप में ₹ 424.21 लाख + पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख) की कमी का निवल प्रभाव था। कमी का कारण काविड-19 महामारी के कारण सलाहकार सेवाओं में नियुक्ति न होने के कारण हुई।, जबकि वृद्धि स्थापना शीर्ष में औषधीय उपकरणों के रखरखाव मद के भुगतान के लिए उपलब्ध कम बजट के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-2021, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2041-001.7638- स्मार्ट कार्ड योजना	मूल पुनर्वि.	2,595.00 (-) 2,595.00	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
2041-001.8348- राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण	मूल पुनर्वि.	208.45 (-) 5.93	202.52	85.93	(-) 116.59	₹ 5.93 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-2021 के दौरान भी बचत हुई थी।
3055-004.0701. 8858- सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फण्ड)	पूरक पुनर्वि.	219.20 (-) 219.20	0.00	0.00	0.00	प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 36—परिवहन समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 1,460.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 1,260.34 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80.201.0101.7311-कार्यालय भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,360.00 (-) 1,260.33	99.67	99.67	0.00	₹ 1,260.33 लाख प्रावधान में समर्पण के रूप प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—2021, 2019—20 एवं 2018—19 के दौरान भी बचत हुई थी।
5055-800.0701.8858-सार्वजनिक सड़क परिवहन पर महिलाओं की सुरक्षा (निर्भया फण्ड)	पूरक	0.01 200.00	200.01	0.00	(-) 200.01	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 37—पर्यटन

(मुख्य शीर्ष- 3452-पर्यटन, 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	98,27,63			
पूरक	6,24,70	1,04,52,33	1,04,13,94	(-) 38,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				38,39

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,07,14,03			
पूरक	0	1,07,14,03	1,07,14,00	(-) 3
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				3

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

(1) ₹ 38.39 लाख की संपूर्ण उपलब्ध बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 38—आयुष

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,24,67,12			
पूरक	91,05,66	6,15,72,78	5,60,63,16	(-) 55,09,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				46,78,46

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,00			
पूरक	0	8,00	0	(-) 8,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	19,00,00			
पूरक	0	19,00,00	17,10,34	(-) 1,89,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,35,45

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 5,509.62 लाख की बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 9,105.66 लाख का अनुपूरक अनुदान दिसम्बर 2021 (₹ 4,972.99 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 4,132.66 लाख) में प्राप्त किया गया अत्याधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 5,509.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 4,678.46 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0703.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल पूरक पुनर्वि.	200.00 546.98 (-) 125.13	621.85	594.72	(-) 27.13	बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी
2210-02.101.0702.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल पूरक पुनर्वि.	200.00 2,599.19 (-) 853.54	1,945.65	1,936.65	(-) 9.00	बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-02.101.0701.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	मूल पूरक पुनर्वि.	4,085.00 4,282.53 (-) 2,804.53	5,563.00	5,382.26	(-) 180.74	बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
2210-02.101.0103.4194- शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल पुनर्वि.	233.84 (-) 31.15	202.69	179.31	(-) 23.38	₹ 31.15 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी
2210-02.101.0101.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	2,143.61 (-) 357.25	1,786.36	1,751.59	(-) 34.77	₹ 357.25 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0101.4194- शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	मूल पुनर्वि.	271.02 (-) 45.91	225.11	213.78	(-) 11.33	₹ 45.91 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
2210-02.101.0101.4286- संचालक आयुष एवं प्रशासन	मूल पुनर्वि.	836.21 (-) 182.76	653.45	616.65	(-) 36.80	₹ 182.76 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
2210-02.102.0101.4810- होम्योपैथिक औषधालय	मूल पुनर्वि.	2,172.00 (-) 226.13	1,945.87	1,871.95	(-) 73.92	₹ 226.13 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 251.12 लाख (समर्पण ₹ 226.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 25.00 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 25.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि के कारण एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-05-101-0103-0469- आयुष महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	1,438.15 (-) 122.84	1,315.31	1,268.49	(-) 46.82	₹ 122.84 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05-101-0101-0469- आयुष महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	4,459.25 (-) 1,081.95	3,377.30	3,347.77	(-) 29.53	₹ 1081.95 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,541.95 लाख (समर्पण ₹ 858.95 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 683.00 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.60 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि के कारण एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—आयुष जारी

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02.101.0706.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	पूरक पुनर्वि.	469.79 125.13	594.92	594.92	0.00	₹ 125.13 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
2210-02.101.0705.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	पूरक पुनर्वि.	897.29 853.54	1,750.83	1,750.83	0.00	₹ 853.54 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
2210-02.101.0704.1277- राष्ट्रीय मिशन आफ आयुष मेडिसनल प्लांट मिशन सहित	पूरक पुनर्वि.	309.89 2,804.53	3,114.41	3,114.41	0.00	₹ 2,804.53 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 189.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 135.45 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.101.0103.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	70.00 (-) 21.01	48.99	47.74	(-) 1.25	₹ 21.01 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 14.00 लाख + समर्पण ₹ 7.01 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-02.101.0102.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	80.00 (-) 34.08	45.92	44.02	(-) 1.90	₹ 34.08 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 16.00 लाख + समर्पण ₹ 18.08 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 38—आयुष समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.101.0101.0460- आयुष चिकित्सालय एवं औषधालय	मूल पुनर्वि.	400.00 (-) 252.79	147.21	144.47	(-) 2.74	₹ 252.79 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन ₹ 154.39 लाख + समर्पण ₹ 98.40 लाख) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-02.101.0101.0461- आयुष प्रशासन का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	600.00 110.00	710.00	710.00	0.00	₹ 110.00 लाख की निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
4210-03.101.0101.0469- आयुष महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	450.00 93.69	543.69	518.55	(-) 25.14	₹ 93.69 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 98.40 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.71 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। कमी/वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण

(मुख्य शीर्ष- 2408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4408-खाद्य भंडारण और भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय एवं 6408-खाद्य भण्डारण एवं भांडागार के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,53,80,84			
पूरक	3,03,02	10,56,83,86	7,97,47,23	(-) 2,59,36,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,52,83

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	86			
पूरक	0	86	0	(-) 86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				60

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	61,33,37			
पूरक	5,00,00,00	5,61,33,37	4,93,76,75	(-) 67,56,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				9,07

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया, ₹ 303.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 25,936.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 452.83 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.001.0101.1921- मध्यप्रदेश खाद्य आयोग	मूल	209.25	209.25	80.91	(-) 128.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2408-01.101.0102.7566- विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 69.00	1,031.00	783.69	(-) 247.31	₹ 69.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संभावित बचत के कारण हुई।
2408-01.102.9916- मुख्यमंत्री राशन द्वार योजना	पूरक	303.00	303.00	65.22	(-) 237.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2408-01.102.0703.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	7,200.00 (-) 3,630.60	3,569.40	0.00	(-) 3,569.40	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2408-01.102.0702.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	10,350.00 (-) 5,218.99	5,131.01	0.00	(-) 5,131.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2408-01.102.0701.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	27,832.56 (-) 13,841.68	13,990.88	0.00	(-) 13,990.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2408-01.102.0101.7165- खाद्यान्न भण्डारण हेतु गारंटी योजना	मूल पुनर्वि.	1,400.00 (-) 579.35	820.65	508.86	(-) 311.79	₹ 579.35 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संभावित बचत के कारण हुई।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0101.7723- शासकीय उचित मूल्य की दुकानों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	164.00 (-) 28.22	135.78	63.81	(-) 71.97	₹ 28.22 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संभावित बचत के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.800.0701.9253- उपभोक्ता जागरूकता कल्याण योजना	मूल	100.00	100.00	47.55	(-) 52.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-02.190.0101.1275- वेयरहाउसिंग एवं लाजिस्टिक नीति 2012 के अंतर्गत अनुदान	मूल	105.00	105.00	37.80	(-) 67.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0570- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	मूल पुनर्वि.	159.63 249.98	409.61	409.61	0.00	₹ 249.48 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण खाद्यान्न की बिक्री के लिए सहकारी समितियों को हुए नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए हुआ।
2408-01.102.0706.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 3,630.60	3,630.60	3,630.60	0.00	₹ 3,630.60 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण राज्य शेयर निधि का उपयोग करने के लिए हुआ।
2408-01.102.0705.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 5,218.99	5,218.99	5,218.99	0.00	₹ 5,218.99 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण राज्य शेयर निधि का उपयोग करने के लिए हुआ।
2408-01.102.0704.1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 13,841.68	13,841.68	13,841.68	0.00	₹ 13,841.68 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण राज्य शेयर निधि का उपयोग करने के लिए हुआ।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2408-01.102.0701.7367-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन	मूल पुनर्वि.	0.09 188.40	188.49	141.29	(-) 47.20	₹ 188.40 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण जिले में हार्डवेयर एवं कम्प्यूटर कय करने के लिए हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0103.9087-खुली निविदा पद्धति से शकर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	0.01 48.00	48.01	48.00	(-) 0.01	₹ 48.00 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण लंबित बिलों के भुगतान करने के लिए हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0102.9087-खुली निविदा पद्धति से शकर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	0.01 69.00	69.01	69.00	(-) 0.01	₹ 69.00 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण लंबित बिलों के भुगतान करने के लिए हुआ। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2408-01.102.0101.9087-खुली निविदा पद्धति से शकर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान	मूल पुनर्वि.	0.01 183.00	183.01	183.00	(-) 0.01	₹ 183.00 लाख की निधियों का आवर्धन का कारण लंबित बिलों के भुगतान करने के लिए हुआ।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 6,756.62 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2021 में प्राप्त ₹ 50,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 6,756.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 9.07 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4408-01.102.0701.7367-लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कम्प्यूटराईजेशन	मूल	800.00	800.00	0.00	(-) 800.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
6408-02.190.1403.7272-	मूल	800.00	800.00	0.00	(-) 800.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
गोदामों का निर्माण						
6408-02.190.1402.7272-	मूल	1,150.00	1,150.00	0.00	(-) 1,150.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
गोदामों का निर्माण						
6408-02.190.1401.7272-	मूल	3,050.00	3,050.00	0.00	(-) 3,050.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
गोदामों का निर्माण						

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)**

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 2205- कला एवं संस्कृति, 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	43,07,44,25			
पूरक	25,00,00	43,32,44,25	31,80,57,22	(-) 11,51,87,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				11,46,41,81

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	30,00			
पूरक	0	30,00	7,10	(-) 22,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				22,90

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	13,24,13,27			
पूरक	Token	13,24,13,27	3,45,47,10	(-) 9,78,66,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				9,60,07,65

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया, ₹ 2,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,15,187.03 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 1,14,641.81 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.001.9230- संयुक्त संचालक कार्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,689.07 (-) 568.10	2,120.97	2,134.23	+ 13.26	₹ 568.10 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण एवं टोकन प्रावधान किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-02.109.0581- शासकीय हाई/हायर सेकेण्डरी शालायें	मूल पुनर्वि.	2,98,047.52 (-) 75,607.77	2,22,439.75	2,22,786.75	+ 347.00	₹ 75,607.77 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 340.52 लाख की वृद्धि एवं ₹ 75,948.29 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 4,814.38 लाख + समर्पण ₹ 71,133.91 लाख) की कमी एवं का निवल प्रभाव था। कमी आंशिक आवश्यकता अनुसार आहरण किये जाने, अध्यापक के पद भरे जाने में विलम्ब, कोषालय द्वारा बिल पारित न किये जाने, कम हितग्राहियों की संख्या एवं कम प्रावधान किये जाने से हुई (₹ 70,919.53 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.109.0103.0701- अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	5,950.00 (-) 1,620.72	4,329.28	4,356.17	+ 26.89	₹ 1,620.72 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोषालय द्वारा बिल पारित न किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-02.109.0103.2078- हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पढ़ने लिखने की बैठक व्यवस्था एवं प्रयोगशाला हेतु	मूल पुनर्वि.	2,340.02 (-) 2,340.02	0.00	0.00	0.00	₹ 2,340.02 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति न दी जाने से हुई।
2202-02.109.0103.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 1,500.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,500.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति न दी जाने से हुई।
2202-02.109.0102.0701- अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	7,700.00 (-) 1,215.14	6,484.86	6,493.96	+ 9.10	₹ 1,215.14 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोषालय द्वारा बिल पारित न किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-02.109.0101.0701- अतिथि शिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	21,350.00 (-) 4,445.94	16,904.06	16,992.67	+ 88.61	₹ 4,445.94 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोषालय द्वारा बिल पारित न किये जाने से हुई।
2202-02.109.0101.7912- शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं का संधारण एवं अन्य कार्य	मूल पुनर्वि.	4,900.00 (-) 4,900.00	0.00	0.00	0.00	₹ 4,900.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने से हुई।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-80.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	3,658.00 (-) 975.16	2,682.84	2,700.62	+ 17.78	₹ 975.16 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 91.48 लाख की वृद्धि ₹ 1,066.64 लाख की कमी (₹ 11.06 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा + ₹ 1,055.58 लाख समर्पण द्वारा)। कमी आंशिक आवश्यकता अनुसार आहरण एवं देयक प्राप्त न हाने के कारण हुई। (₹ 1,055.58 लाख)। शेष कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-80.001.0101.6813- साइकिलों का प्रदाय	मूल पूरक पुनर्वि.	0.02 2,500.00 (-) 2,500.02	0.00	0.00	0.00	₹ 2,500.02 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में प्रावधान की आवश्यकता न होने से एवं वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन की स्वीकृति न दिए जाने से हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-80.107.0102.5133- विविध छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	233.85 (-) 225.52	8.33	8.33	0.00	₹ 225.52 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में प्रावधान की आवश्यकता न होने से एवं वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन की स्वीकृति न दिए जाने से हुई।
2202-80.107.0101.5133- विविध छात्रवृत्तियां	मूल पुनर्वि.	1,873.00 (-) 490.93	1,382.07	1,382.07	0.00	₹ 225.52 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में आवश्यकता अनुसार आहरण किये जाने से हुई।
2204.101.1797- शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय एवं आवासीय खेलकूद विद्यालय	मूल पुनर्वि.	291.96 (-) 108.75	183.21	183.40	+ 0.19	₹ 108.75 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कमी आंशिक आवश्यकता अनुसार आहरण किये जाने, कम हितग्राहियों की संख्या एवं मांग पत्र प्राप्त न होने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

**अनुदान संख्या 40—स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-102.3755- राष्ट्रीय सैन्य दल—वरिष्ठ संभाग	मूल	4,953.80	4,953.80	3,896.33	(-) 1,057.47	अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2205-105.4395- पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	1,248.05 (-) 162.82	1,085.23	1,086.61	+ 1.38	₹ 162.82 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कमी आंशिक आवश्यकता अनुसार आहरण किये जाने किये जाने से हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02.109.0101.6968- शालाओं का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	0.22 1,877.02	1,877.24	1,877.44	+ 0.20	₹ 1,877.02 लाख की पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन ₹ 2,500.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 622.98 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी पुनर्विनियोजन की स्वीकृति प्राप्त न होने, जबकि वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

प्रभारित:

- (5) ₹ 22.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
(6) विनियोग में मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत बचत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-80.001.3858- लोक शिक्षण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	30.00 (-) 22.90	7.10	7.10	0.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) जारी**

पूँजीगत:

दत्तमत

- (7) ₹ 97,866.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 96,007.65 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.202.0101.7128- मुख्यालय/संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 135.80	64.20	64.20	0.00	₹ 135.80 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में निर्माण संस्था द्वारा आहरण न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-02.103.0422.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	6,600.00 (-) 6,600.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,600.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में पूँजीगत भाग में सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कोषालय सर्वर पर राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-02.103.0420.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	6,800.00 (-) 6,800.00	0.00	0.00	0.00	₹ 6,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में पूँजीगत भाग में सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कोषालय सर्वर पर राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-02.103.0103.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	9,900.01 (-) 9,900.01	0.00	0.00	0.00	₹ 9,900.01 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में पूँजीगत भाग में सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कोषालय सर्वर पर राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।
4202-02.103.0102.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	12,000.00 (-) 12,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 12,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में पूँजीगत भाग में सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कोषालय सर्वर पर राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।

**अनुदान संख्या 40-स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) समाप्त**

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02.103.0101.9516- सी. एम. राइज	मूल पुनर्वि.	33,099.99 (-) 28,099.99	5,000.00	5,000.00	0.00	₹ 28,099.99 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 33,100.00 लाख की कमी (समर्पण ₹ 28,100.00 लाख+ पुनर्विनियोजन ₹ 5,000.00 लाख) एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि ई. पी.सी.ओ को अग्रिम देने से, जबकि कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (9) उपरोक्त टिप्पणी (8) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.202.1702.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	250.00 1,664.56	1,914.56	1,914.56	0.00	₹ 1,664.56 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 335.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण संस्था द्वारा आहरण न किये जाने से हुई, जबकि वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-01.202.1701.6007- मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन	मूल पुनर्वि.	1,000.00 1,376.51	2,376.51	2,376.51	0.00	₹ 1,376.51 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 623.49 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी निर्माण संस्था द्वारा आहरण न किये जाने से हुई, जबकि वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या.41-प्रवासी भारतीय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	90,93			
पूरक	0	90,93	1	(-) 90,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 90.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2852-80.800.0101.1951- म.प्र मित्र निर्वाचिका सभा	मूल	90.93	90.93	0.01	(-) 90.92	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,24,23,96			
पूरक	1,00,00	1,25,23,96	1,14,49,25	(-) 10,74,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				10,16,49

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,01			
पूरक	0	10,01	0	(-)10,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				10,01

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,50,03			
पूरक	सांकेतिक	6,50,03	2,94,80	(-) 3,55,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				3,55,23

अनुदान संख्या 42—भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,074.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 1,016.49 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01.001.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	11,195.02 (-) 893.93	10,301.09	10,243.01	(-) 58.08	₹ 893.93 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,757.58 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 863.65 लाख + समर्पण ₹ 893.93 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 863.65 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत एवं सेवानिवृत्तियों के कारण हुई। वृद्धि कम प्रावधान होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.001.3757- राहत एवं पुनर्वास हेतु जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल में अतिरिक्त अमला	मूल पुनर्वि.	279.25 (-) 78.96	200.29	200.32	+0.03	₹ 78.96 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 79.67 लाख (समर्पण ₹ 78.96 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 0.71 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.71 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत एवं एक कर्मचारी की मृत्यु एवं तीन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण हुई। वृद्धि कम प्रावधान होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 42-भोपाल गैस त्रासदी राहत तथा पुनर्वास समाप्त

प्रभारित

(4) ₹ 10.01 लाख की संपूर्ण विनियोग की बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत

(5) ₹ 355.23 लाख की संपूर्ण बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01.110.0101.0775- स्वास्थ्य सेवाएं गैस राहत	मूल पुनर्वि.	640.00 (-) 345.20	294.80	294.80	0.00	₹ 345.20 लाख की प्रत्याशित बचत कमला नेहरू अस्पताल गैस राहत का संपूर्ण कार्य पी. डब्ल्यू.डी के अधीन सौंपे जाने से कोई व्यय नहीं हो सकने से हुई।
4235-01.201.0101.3171- भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय	मूल पुनर्वि.	10.01 (-) 10.01	0.00	0.00	0.00	₹ 10.01 लाख की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक बचत प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2204-खेल तथा युवा सेवाएं, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,54,78,73			
पूरक	10,69,00	1,65,47,73	1,27,37,27	(-) 38,10,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	72,28,27			
पूरक	5,25,31	77,53,58	72,23,74	(-) 5,29,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 3,810.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,069.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0103.7662- खेलो इंडिया	मूल	450.00	450.00	0.00	(-) 450.00	संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2204-103.0102.7662- खेलो इंडिया	मूल	550.00	550.00	0.00	(-) 550.00	संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण— जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-103.0101.7662-खेलो इंडिया	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2204-800.0103.6975-प्रशिक्षकों का मानदेय	मूल पुनर्वि.	186.30 (-) 40.00	146.30	60.58	(-) 85.72	₹ 40.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.6703-स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल पुनर्वि.	190.00 (-) 18.00	172.00	139.96	(-) 32.04	₹ 18.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा कोविड-19 के कारण पी.पी.पी हेतु सलाहकार की नियुक्ति ने किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.7265-ओलंपिक 2024	मूल	139.00	139.00	93.49	(-) 45.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-800.0102.4938-युवा संधि को अनुदान	मूल पुनर्वि.	172.20 54.00	226.20	219.01	(-) 7.19	₹ 54.00 लाख की निधियों का आवर्धन मजदुरी के भुगतान हेतु किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2204-800.0101.4938-युवा संधि को अनुदान	मूल पुनर्वि.	251.39 243.75	495.14	474.07	(-) 21.07	₹ 243.75 लाख की निधियों का आवर्धन योजना में आश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण— जारी

पूँजीगत:

- (5) ₹ 529.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) चूंकि चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 525.31 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.003.0103.7662- खेलो इंडिया	मूल पुनर्वि.	340.00 (-) 340.00	0.00	0.00	0.00	₹ 340.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा टेंडर प्रक्रिया का कार्य इस वर्ष में पूर्ण होना संभव नहीं हो सकने के कारण हुई।
4202-03.003.0101.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	पूरक	525.31	525.31	0.00	(-) 525.31	संपूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-03.003.0101.7662- खेलो इंडिया	मूल पुनर्वि.	1,220.00 (-) 1,220.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,220.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा टेंडर प्रक्रिया का कार्य इस वर्ष में पूर्ण होना संभव नहीं हो सकने के कारण हुई।

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.800.0103.6703- स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल पुनर्वि.	463.68 170.00	633.68	632.32	(-) 1.36	₹ 170.00 लाख की निधियों का निर्माण कार्य के लंबित देयकों के भुगतान हेतु किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण— समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.800.0102.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	900.65 220.00	1,120.65	1,118.89	(-) 1.76	₹ 220.00 लाख की निधियों का उपकरणों के लंबित देयकों के भुगतान हेतु किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-03.800.0101.5159- खेल अकादमियों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	800.65 610.00	1,410.65	1,409.71	(-) 0.94	₹ 610.00 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 735.93 लाख वृद्धि एवं ₹ 125.93 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी कोविड-19 के कारण हुई, जबकि वृद्धि निर्माण कार्य एवं उपकरणों के लंबित देयकों के भुगतान करने से हुई।
4202-03.800.0101.6703- स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,224.80 610.00	1,834.80	1,840.29	+ 5.49	₹ 610.00 लाख की निधियों का उपकरणों के लंबित देयकों के भुगतान हेतु किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	26,40,05,45			
पूरक	1,69,29,00	28,09,34,45	22,36,36,99	(-) 5,72,97,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,29,77,34

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	2,84	(-) 7,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				7,15

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	8,27,63,02			
पूरक	सांकेतिक	8,27,63,02	5,00,57,46	(-) 3,27,05,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,89,31,71

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 16,929.00 लाख का अनुपूरक अनुदान दिसम्बर 2021 (₹ 2,000.00 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 14,929.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 57,297.46 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 52,977.34 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.1203.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	2,400.00 (-) 1,070.00	1,330.00	1,308.09	(-) 21.91	₹ 1,070.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1202.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	2,500.00 (-) 620.00	1,880.00	1,533.20	(-) 346.80	₹ 620.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.1201.7464- म.प्र. उच्च शिक्षा में सुधार	मूल पुनर्वि.	5,100.00 (-) 1,625.00	3,475.00	3,274.87	(-) 200.13	₹ 1,625.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 1,475.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 150.00 लाख)। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी संभावित बचत के कारण हुई। शेष बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0103.5476- प्रतिभा किरण योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	60.00 97.76 (-) 75.00	82.76	63.71	(-) 19.05	₹ 75.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0102.4699- छात्रों के लिए पुस्तकें/ स्टेशनरी आदि का प्रदाय	मूल पूरक पुनर्वि.	230.00 3,550.00 (-) 3,300.00	480.00	473.29	(-) 6.71	₹ 3,300.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.103.0102.5476- प्रतिभा किरण योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	78.00 140.53 (-) 125.00	93.53	67.96	(-) 25.57	₹ 125.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-03.103.0102.6916- गांव की बेटी योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	1,000.00 1,749.84 (-) 1,200.00	1,549.84	1,481.00	(-) 68.84	₹ 1,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-03.103.0102.8855- पी. एच. डी. अध्ययनरत विद्यार्थियों को सहायता	मूल पुनर्वि.	145.00 (-) 73.00	72.00	62.43	(-) 9.57	₹ 73.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 65.00 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 8.00 लाख)। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी पर्याप्त आवेदन प्राप्त न होने के कारण हुई। समर्पण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.103.0101.0798- कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	1,33,967.05 (-) 31,712.11	1,02,254.94	1,00,694.24	(-) 1,560.70	₹ 31,712.11 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 31,817.11 लाख (समर्पण ₹ 27,166.11 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 4,651.00 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 105.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। पुनर्विनियोजन द्वारा कमी संभावित बचत एवं डी.ए में वृद्धि न होने के कारण हुई। वृद्धि छात्रवृत्ति हेतु आवश्यकता एवं शासकीय महाविद्यालय के संविदा कर्मचारियों को भुगतान हेतु हुई। समर्पण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-03.104.0103.3444- महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,752.58 (-) 2,225.00	527.58	489.43	(-) 38.15	₹ 2,225.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2202-03.104.0102.3444- महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	मूल पुनर्वि.	6,043.42 (-) 5,660.00	383.42	374.07	(-) 9.35	₹ 5,660.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.107.0101.5766- प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	50.02 (-) 50.02	0.00	0.00	0.00	₹ 50.02 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03.001.0701.7599- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान निदेशालय की स्थापना	मूल पुनर्वि.	0.02 93.99	94.01	93.99	(-) 0.02	₹ 93.99 लाख की निधियों का आवर्धन पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 150.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 56.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि रूसा में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2202-03.103.0101.0744- प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	50.00 110.00 41.73	201.73	201.72	(-) 0.01	₹ 41.73 लाख की निधियों का आवर्धन लंबित देयकों के भुगतान हेतु आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 32,705.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 28,931.71 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा जारी

(6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01.203.0703.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	6,000.00 (-) 5,722.50	277.50	277.50	0.00	₹ 5,722.50 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0702.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	5,800.00 (-) 5,613.95	186.05	186.05	0.00	₹ 5,613.95 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0701.7600- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	मूल पुनर्वि.	11,570.00 (-) 10,136.25	1,433.75	1,433.75	0.00	₹ 10,136.25 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4202-01.203.0101.9620- छिंदवाडा विश्वविद्यालय	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-03.102.0103.2329- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को अनुदान	मूल पुनर्वि.	480.00 (-) 480.00	0.00	0.00	0.00	₹ 480.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-03.102.0102.2329- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को अनुदान	मूल पुनर्वि.	690.00 (-) 690.00	0.00	0.00	0.00	₹ 690.00 लाख की संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 44-उच्च शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03.102.0101.2329- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर को अनुदान	मूल पुनर्वि.	1,830.00 (-) 1,800.00	30.00	12.21	(-) 17.79	₹ 1,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2029-भू-राजस्व एवं 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	8,36,08			
पूरक	14,46,00	22,82,08	17,77,21	(-) 5,04,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,04,87

राजस्व दत्तमत अनुभाग में हुए व्यय (₹ 17,77,20,985) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से 08.02.2022 को कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 14,46,00,000 में से ₹ 14,46,00,000 खर्च की गई राशि भी शामिल है, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00,00			
पूरक	0	10,00,00	6,08,19	(-) 3,91,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				3,91,81

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 504.87 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 1,446.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 504.87 लाख की संपूर्ण बचत, 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 45—लोक परिसंपत्ति प्रबंधन—समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2029-104.7656- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन	मूल	836.08	1,777.21	1,777.21	0.00	₹ 504.87 लाख की प्रत्याशित बचत ₹ 804.87 लाख (₹ 300.00 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 504.87 लाख समर्पण) की कमी एवं ₹ 300.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी संभावित बचत तथा वृद्धि प्रावधान में कम आवंटन होने के कारण हुई।
	पूरक	1,446.00				
	पुनर्वि.	(-) 504.87				

पूँजीगत:

- (4) ₹ 391.81 लाख की संपूर्ण बचत, 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
- (5) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-80.051.7875- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग को सौंपी गई संपत्तियों का विकास कार्य	मूल	1,000.00	608.19	608.19	0.00	₹ 391.81 लाख की प्रत्याशित बचत, चूंकी यह विभाग म.प्र सरकार द्वारा नव स्थापित विभाग है अतः वर्तमान में विस्तार प्रक्रियात्मक गतिविधियां चलन में होने से हुई।
	पुनर्वि.	(-) 391.81				

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,38,78,23			
पूरक	13,00	1,38,91,23	1,27,33,38	(-) 11,57,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				11,57,83

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,01,65,00			
पूरक	0	1,01,65,00	83,70,00	(-) 17,95,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				17,95,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में ₹ 13.00 लाख में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,157.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,157.83 लाख अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0103.6874- स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	800.00 (-) 110.00	690.00	690.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 110.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0102.6874-स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 170.00	830.00	830.00	0.00	₹ 170.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3425-60.600.0101.5818-स्टेट डाटा सेन्टर का उन्नयन परिचालन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	1,315.00 (-) 360.00	955.00	955.00	0.00	₹ 360.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में योजना के अंतर्गत निविदा जारी की गई है, कार्य अभी भी प्रचलन/प्रगति में है अर्थात् कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका है जिसके अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है जिससे इस वर्ष योजना का व्यय संभव नहीं हो सकने से बचत हुई।
3425-60.600.0101.6874-स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 320.00	1,180.00	1,180.00	0.00	₹ 320.00 लाख की प्रत्याशित बचत पुनर्विनियोजन द्वारा बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3425-60.600.0101.8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल पुनर्वि.	605.00 (-) 152.00	453.00	453.00	0.00	₹ 152.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में कोरोना महामारी के कारण कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष में कोरोना प्रोटोकाल के अनुपालन में कोई कार्य दुकान या संगोष्ठी का आयोजन नहीं किया गया है और आई. टी. पुरस्कार मुख्य व्यय था, पुरस्कार का आयोजन नहीं किया गया था इसलिए इस वर्ष राशि खर्च करना संभव नहीं होने से हुई।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0101.9521- राज्य कम्प्यूटर सिम्योरिटी इंसीडेंट/रेस्पान्स आपरेशन सेन्टर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 90.00	60.00	60.00	0.00	₹ 90.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण द्वारा में योजना के अंतर्गत कार्य अभी भी प्रचलन/प्रगति में है अर्थात कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका है जिसके अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है जिससे इस वर्ष योजना का व्यय संभव नहीं हो सकने से बचत हुई।
3425-60.600.0101.9522- नेशकॉम के साथ तकनीकी अनुबंध	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 76.00	24.00	24.00	0.00	₹ 76.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नाशकॉम द्वारा किये गए तकनीकी अनुबंध के कारण नाशकॉम को भुगतान किया गया, जिसका भुगतान इसी साल किया जाना था, लेकिन इस साल भुगतान नहीं होने की संभावना से हुई।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0103.7608- सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	50.00 110.00	160.00	160.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 110.00 लाख की निधियों का आवर्धन किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3425-60.600.0102.7608- सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	80.00 170.00	250.00	250.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 170.00 लाख की निधियों का आवर्धन किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 46—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी—समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
3425-60.600.0101.7608- सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	60.00 320.00	380.00	380.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 320.00 लाख की निधियों का आवर्धन किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूंजीगत:

- (5) ₹ 1,795.00 लाख की संपूर्ण बचत 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5425-600.0101.5818- स्टेट डाटा सेन्टर का उन्नयन परिचालन एवं संधारण	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 1,050.00	1,950.00	1,950.00	0.00	₹ 1,050.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में योजना के अंतर्गत निविदा जारी की गई है, कार्य अभी भी प्रचलन/प्रगति में है अर्थात् कार्य वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं किया जा सका है जिसके अगले वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है
5425-800.0101.5261- परिषद के भवन निर्माण हेतु	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 45.00	55.00	55.00	0.00	₹ 45.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार

(मुख्य शीर्ष—2203-तकनीकी शिक्षा, 2230-श्रम तथा रोजगार, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,41,36,36			
पूरक	80,68,04	11,22,04,40	9,08,09,72	(-) 2,13,94,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				60,96,79

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	76	(-) 4,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	3,33,60,80			
पूरक	1,45,48	3,35,06,28	2,19,78,10	(-) 1,15,28,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				17,55,02

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, ₹ 8,068.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अगस्त 2021 (₹ 786.01 लाख) में प्राप्त दिसम्बर 2021 (₹ 192.03 लाख) में प्राप्त मार्च 2022 (₹ 7,090.00 लाख) में प्राप्त किया गया अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 21,394.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 4,596.78 लाख केवल अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-105.0802.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पूरक	0.02 131.55	131.57	57.79	(-) 73.78	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2203-105.0103.9238- डॉ बाबासाहेब अंबेडकर पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	446.70	446.70	264.02	(-) 182.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2203-105.0101.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पुनर्वि.	14,467.06 (-) 1,524.37	12,942.69	10,694.61	(-) 2,248.08	₹ 1,524.37 लाख की प्रत्याशित पुनर्विनियोजन द्वारा संभावित बचत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2203-112.0102.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	120.00	120.00	59.51	(-) 60.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2203-112.0101.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	240.00	240.00	139.86	(-) 100.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-02.001.3795- रोजगार तथा प्रशिक्षण संचालनालय	मूल पुनर्वि.	458.07 12.00	470.07	324.46	(-) 145.61	₹ 12.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-02.101.0801.0644- इंटरलिकिंग ऑफ एम्पलॉयमेंट एक्सचेंजेस	मूल	200.00	200.00	17.70	(-) 182.30	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-02.101.0101.0724-जनभागीदारी के आधार पर रोजगार कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	677.01 (-) 18.40	658.61	417.75	(-) 240.86	₹ 18.40 लाख की प्रत्याशित पुनर्विनियोजन द्वारा किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.001.0801.7490-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	2,244.00	2,244.00	923.81	(-) 1,320.19	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.003.0803.5346-नेशनल स्किल एजुकेशन	मूल	160.00	160.00	0.00	(-) 160.00	संपूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.003.0802.5346-नेशनल स्किल एजुकेशन	मूल	230.00	230.00	0.00	(-) 230.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.003.0801.5346-नेशनल स्किल एजुकेशन	O	610.00	610.00	97.76	(-) 512.24	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.003.0703.1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	900.00 (-) 900.00	0.00	0.00	0.00	₹ 900.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक बजट में अलग से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्यांश के आहरण करने के कारण हुई।
2230-03.003.0702.1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 1,100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,100.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक बजट में अलग से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्यांश के आहरण करने के कारण हुई।
2230-03.003.0701.1232-आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	3,000.00 (-) 3,000.00	0.00	0.00	0.00	₹ 3,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक बजट में अलग से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्यांश के आहरण करने के कारण हुई।
2230-03.003.0103.6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल	4,198.90	4,198.90	2,905.46	(-) 1,293.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2230-03.101.0803.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	1,001.42	1,001.42	150.72	(-) 850.70	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.101.0802.7490- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	मूल	755.00	755.00	167.75	(-) 587.25	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.101.0801.5392- स्ट्राइव योजना	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 1,078.00	922.00	922.00	0.00	₹ 1,078.00 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.101.0102.5142- एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं	मूल	604.48	604.48	411.53	(-) 192.95	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2203-104.0101.8885- स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	मूल पुनर्वि.	7,500.00 1,300.00	8,800.00	8,424.95	(-) 375.05	₹ 1,300.00 लाख की निधियों के आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।
2230-03.003.0704.2327- संकल्प प्रोजेक्ट	पूरक	Token	0.00	131.89	+ 131.89	इस शीर्ष के अंतर्गत शून्य बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 131.89 लाख व्यय करने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2022)।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (5) ₹ 11,528.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 1,755.02 लाख केवल अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 47-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4202-02.104.1401.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल	434.00	434.00	0.00	(-) 434.00	संपूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0801.2667- पोलीटेक्निक संस्थाएं	मूल पूरक	0.01 83.48	83.49	2.48	(-) 81.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0703.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	69.00 (-) 20.70	48.30	0.00	(-) 48.30	₹ 20.70 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक बजट में अलग से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्यांश के आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0702.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	48.00 (-) 14.40	33.60	0.00	(-) 33.60	₹ 14.40 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक बजट में अलग से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्यांश के आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0701.1232- आई.टी.आई. का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उन्नयन	मूल पुनर्वि.	183.00 (-) 54.90	128.10	0.00	(-) 128.10	₹ 54.90 लाख की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक बजट में अलग से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राज्यांश के आहरण करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0103.6215- शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	मूल	243.71	243.71	24.03	(-) 219.68	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0102.6215- शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	मूल	321.00	321.00	16.49	(-) 304.51	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0101.6215- शिक्षा, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	मूल	1,051.61	1,051.61	485.39	(-) 566.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.104.0101.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	6,892.91 (-) 702.26	6,190.65	3,351.87	(-) 2,838.78	₹ 702.26 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4202-02.105.0103.5400- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद	मूल	271.57	271.57	61.29	(-) 210.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-201.0103.6477- व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	मूल पुनर्वि.	2,125.87 (-) 787.24	1,338.63	1,091.98	(-) 246.65	₹ 787.24 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण के रूप में किये जाने के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

(मुख्य शीर्ष- 2055-पुलिस, 2801-बिजली, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	14,04,41			
पूरक	88,00	14,92,41	12,74,37	(-) 2,18,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,13,03

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	36,65,12,89			
पूरक	31,85,48,02	68,50,60,91	47,63,00,74	(-) 20,87,60,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				20,86,65,33

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,00			
पूरक	0	1,00,00	46,26	(-) 53,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				53,74

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया ₹ 88.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 218.04 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 213.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2055-104.0101.4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	मूल पुनर्वि.	1,304.41 (-) 193.52	1,110.89	1,105.88	(-) 5.01	₹ 193.52 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 199.97 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 0.90 लाख + समर्पण ₹ 199.07 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 6.45 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं तेल एवं पेट्रोल के बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होना। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 2,08,760.17 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 3,18,548.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (5) ₹ 2,08,760.17 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 2,08,665.33 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.001.0701.7258- बरगी व्यपवर्तन योजना (सी.ए.डी.प्लान)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,000.00 300.00 (-) 1,200.00	100.00	100.00	0.00	₹ 1,200.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 900.00 लाख + समर्पण ₹ 300.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, अंशत चिकित्सा देयक, तेल एवं पेट्रोल के बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होना। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4700-80.001.1403.1407- छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	3,900.00 (-) 3,342.70	557.30	557.30	0.00	₹ 3,342.70 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 3,300.00 लाख + समर्पण ₹ 42.70 लाख) की प्रत्याशित बचत बरगी एवं परियोजना विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, अंशत चिकित्सा देयक, तेल एवं पेट्रोल के बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होना।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.001.1402.1250-अलीराजपुर उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	20,000.00 (-) 17,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	₹ 17,500.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 15,930.00 लाख + समर्पण ₹ 1,570.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होना।
4700-80.001.1401.1407-छैगांवमाखन उद्वहन सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	10,500.00 (-) 10,418.49	81.51	81.51	0.00	₹ 10,418.49 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 10,400.00 लाख + समर्पण ₹ 18.49 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4700-80.001.1401.2046-चिंकी बौराज बराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 4,986.16	13.84	13.84	0.00	₹ 4,986.16 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 4,850.00 लाख + समर्पण ₹ 136.16 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.001.0101.2046- चिंकी बौराज बराज संयुक्त बहुउद्देशीय माईक्रों सिंचाई परियोजना	पूरक पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4700-80.800.0801.1953- नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंग परियोजना	पूरक पुनर्वि.	11,578.00 (-) 11,578.00	0.00	800.00	+ 800.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 11,578.00 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4700-80.800.0102.9661- कुक्षी उद्वहन माईक्रों सिंचाई परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 950.00 लाख + समर्पण ₹ 5.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.1952- नमामि देवी नर्मदे	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.2333- एन. बी. कम्पनी लिमिटेड का निवेश	मूल पूरक पुनर्वि.	30,000.00 1,50,000.00 (-) 1,50,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 1,50,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.5012- दूधी परियोजना	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 498.65	1.35	1.35	0.00	₹ 498.65 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 495.40 लाख + समर्पण ₹ 3.25 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.5344- खालवा उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	2,800.00 1,000.00 (-) 3,476.05	323.95	323.95	0.00	₹ 3,476.05 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 2,600.00 लाख + समर्पण ₹ 876.05 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.6399- इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट 1)	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 90.00 लाख + समर्पण ₹ 10.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.9662- होशंगाबाद बैराज परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई।
4700-80.800.0101.9663- हाण्डिया बैराज परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.9837- शक्कर पेंच लिंक संयुक्त परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 99.70	0.30	0.30	0.00	₹ 99.70 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 98.00 लाख + समर्पण ₹ 1.70 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4701-45.800.0102.5152- हालोन परियोजना	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 495.17	4.83	4.13	(-) 0.70	₹ 495.17 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 470.00 लाख + समर्पण ₹ 25.17 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4701-46.800.0102.8822- अपर नर्मदा परियोजना	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 199.00	1.00	1.00	0.00	₹ 199.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 117.00 लाख + समर्पण ₹ 82.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4801-01.203.0101.6403- इंदिरा सागर परियोजना यूनिट 1 का हिस्सा एन. एच. डी. सी. को भुगतान	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 90.00 लाख + समर्पण ₹ 10.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4801-01.800.0101.8824- राघवपुर परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 98.00 लाख + समर्पण ₹ 2.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।
4801-01.800.0101.8825- बसानिया परियोजना	मूल पुनर्वि.	100.00 (-) 100.00	0.00	0.00	0.00	₹ 100.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 98.00 लाख + समर्पण ₹ 2.00 लाख) की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

- (7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-41.800.0701.2872- बरगी नहर व्यपवर्तन योजना	मूल	7,000.00	31,188.76	29,986.19	(-) 1,202.57	₹ 11,688.76 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,764.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 75.24 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
	पूरक	12,500.00				
	पुनर्वि.	11,688.76				
4700-43.001.0101.8808- सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	मूल	10.19	56.34	56.34	0.00	₹ 46.15 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 3.85 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
	पुनर्वि.	46.15				

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.800.0702.2884- नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य	मूल	700.00	7,343.95	7,343.71	(-) 0.24	₹ 5,643.96 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,815.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 171.05 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
	पूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	5,643.95				
4700-45.800.0703.9091- ओंकारेश्वर परियोजना	मूल	150.00	450.00	450.00	0.00	₹ 300.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 200.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
	पुनर्वि.	300.00				

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.1401.5427- डही उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	₹ 5,000.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4700-80.800.0801.5427- डही उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना	पूरक पुनर्वि.	9,569.00 11,300.00	20,869.00	20,869.00	0.00	₹ 11,300.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 11,300.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0102.0822- जावर उद्वहन सिंचाई योजना	मूल	1,900.00	3,400.00	3,400.00	0.00	₹ 900.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 600.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई।
	पूरक	600.00				
	पुनर्वि.	900.00				
4700-80.800.0101.1936- पिपरी उद्वहन माइक्रों सिंचाई योजना	मूल	800.00	17,850.00	17,850.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 12,050.00 लाख का आवर्धन लंबित बिलों के भुगतान के लिए प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई।
	पूरक	5,000.00				
	पुनर्वि.	12,050.00				
4700-80.800.0101.1939- नील कुण्ड घाट संरक्षण कार्य	मूल	500.00	1,249.99	1,249.99	0.00	₹ 699.99 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 0.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई।
	पूरक	50.00				
	पुनर्वि.	699.99				

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-80.800.0101.5427- डही उद्वहन माइक्रो सिंचाई योजना	मूल पुनर्वि.	3,000.00 10,307.00	13,307.00	13,307.00	0.00	₹ 10,307.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,607.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 300.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।
4700-80.800.0101.7666- रानी दुर्गावती उद्वहन सिंचाई योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	200.00 500.00 502.00	1,202.00	1,202.00	0.00	₹ 502.00 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 511.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 9.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान प्रावधान राशि का उपयोग करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास जारी

(8) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2021-22 के दौरान उचंत शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी व्यय दर्ज नहीं किये गये हैं। उचन्त के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंत शेष नामे + जमा(-)
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय- (लाख ₹ में)				
(i) भण्डार	+ 13.47	0.00	0.00	+ 13.47
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 3.82	0.00	0.00	(-) 3.82
योग	+ 9.65	0.00	0.00	+ 9.65
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) क्रय	(-) 55.08	0.00	0.00	(-) 55.08
(ii) भण्डार	(-) 2,111.65	0.00	0.00	(-) 2,111.65
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 102.80	0.00	0.00	(-) 102.80
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 258.61	0.00	0.00	(-) 258.61
योग	(-) 2,528.14	0.00	0.00	(-) 2,528.14
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
(i) भण्डार	+ 67.09	0.00	0.00	+ 67.09
(ii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 237.78	0.00	0.00	(-) 237.78
योग	(-) 170.69	0.00	0.00	(-) 170.69

प्रभारित

(9) संपूर्ण बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 53.74 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(10) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास समाप्त

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4700-43.001.0101.4641- स्थापना	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 3.74	46.26	46.26	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 3.74 लाख की प्रत्याशित बचत विभिन्न परियोजनाओं के लंबित बिलों के भुगतान, स्वीकृति पद के अनुसार पदस्थापना न करना, सेवानिवृत्ति, वित्त विभाग द्वारा मासिक निकासी की सीमा प्रतिबंध, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड में निवेश के लिए सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(मुख्य शीर्ष- 2202-सामान्य शिक्षा, 2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,85,42,91			
पूरक	3,03,02,45	15,88,45,36	13,84,32,52	(-) 2,04,12,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,05,49,84

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10,00			
पूरक	0	10,00	0	(-) 10,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2021)				10,00

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,12,20,04			
पूरक	0	2,12,20,04	1,03,73,45	(-) 1,08,46,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,08,29,30

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 20,412.84 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2021 (₹ 0.03 लाख), दिसम्बर 2021 (₹ 9,602.41 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 20,700.00 लाख) में प्राप्त किया गया, ₹ 30,302.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 20,412.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 20,549.84 लाख का किया गया अभ्यर्पण आधिक्य एवं अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.001.9094-समेकित विकास हेतु सर्वेक्षण	मूल पुनर्वि.	100.01 (-) 100.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 100.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आवंटन जारी न होने के कारण हुई।
2225-01.196.0703.0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 214.34	285.66	285.66	0.00	₹ 214.34 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 14.34 लाख) शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग न करने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
2225-01.196.0103.4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	9,000.01 (-) 4,918.81	4,081.20	4,081.20	0.00	₹ 4,918.81 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,470.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 1,448.81 लाख) विभागीय छात्रावास को कोविड के कारण बंद होने के कारण हुई। समर्पण के रूप में शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
2225-01.196.0103.5902-राज्य शासन अनु. जाति/जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9वीं एवं 10वीं)	मूल पूरक पुनर्वि.	450.00 1,000.00 (-) 1,157.29	292.71	292.71	0.00	₹1,157.29 लाख की प्रत्याशित बचत शिक्षा विभाग द्वारा राशि का उपयोग न करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.277.0706.7764- पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय व अन्य)	पूरक पुनर्वि.	3,000.00 (-) 2,159.33	840.67	840.67	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 2,159.33 लाख की प्रत्याशित बचत वर्ष 2021-22 के लिए शैक्षिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति की स्वीकृति विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।
2225-01.277.0603.0538- शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 500.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 500.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आवंटन जारी न होने के कारण हुई।
2225-01.277.0103.8829- शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,001.36 (-) 2,709.55	2,291.81	2,290.82	(-) 0.99	₹ 2,709.55 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,711.35 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 2,709.55 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1.80 लाख) और पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1.80 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि आंशिक रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के कारण हुई। जबकि कमी संविदा शिक्षक के नियमित पद पर विलय, कोविड-19 के कारण छात्रावास बंद एवं जिलों द्वारा राशि का उपयोग न करने के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.800.0703.5191- अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण (आकस्मिकता योजनाद्व नियम 2015 के अंतर्गत राहत)	मूल पुनर्वि.	11,128.51 (-) 2,236.62	8,891.89	8,891.89	0.00	₹ 2,236.62 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 2,246.62 लाख की कमी (समर्पण के रूप में ₹ 9.62 लाख + पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,237.00 लाख) और पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव था। वृद्धि इस खंड कोड में राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई जबकि कमी चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही में व्यय, पिछले वर्ष में लंबित देनदारियों और व्यय एवं विशेष पुलिस स्टेशनों से मांग की प्राप्ति न होने के कारण हुई।
2225-01.800.0603.2040- सावित्री बाई फूले स्वा सहायता	मूल पुनर्वि.	200.00 (-) 200.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान ₹ 200.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से आवंटन जारी न होने के कारण हुई।
2225-01.800.0103.7763- अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को आवास सहायता	मूल पूरक पुनर्वि.	7,400.00 5,700.00 (-) 4,082.20	9,017.80	9,133.72	+ 115.92	समर्पण के रूप में ₹ 4,082.20 लाख की प्रत्याशित बचत 14 मार्च 2022 को तीसरा अनुपूरक बजट प्राप्त होने और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विलंब से अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

(4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.190.0103.3185- म.प्र. अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम	मूल पूरक पुनर्वि.	100.00 500.00 495.83	1,095.83	1,095.83	0.00	₹ 495.83 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 4.17 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वित्त विभाग द्वारा कम बजट प्रावधान, संभावित बचत के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-01.196.0103.8844- कन्याओं को शिक्षण हेतु प्रोत्साहन योजनाएं (कक्षा 11वीं)	मूल पुनर्वि.	1,300.00 1,100.00	2,400.00	2,400.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,100.00 लाख आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2225-01.277.0103.0671- एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान	मूल पुनर्वि.	2,315.73 331.02	2,646.75	2,664.63	+ 17.88	₹ 331.02 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 168.98 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि शैक्षिक एवं अन्य कल्याण प्रवृत्तियों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन का भुगतान एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पांचवें वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान करने के कारण हुई। कमी के साथा ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2225-01.800.0103.8011- सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओ को प्रोत्साहन	मूल पुनर्वि.	210.00 120.37	330.37	330.37	0.00	₹ 120.37 लाख का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 165.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 44.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वर्ष 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन के लिए अतिरिक्त मांग के कारण हुई। जबकि कमी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में आवेदनों की संख्या कम प्राप्त होने के कारण हुई।

प्रभारित

(5) ₹ 10.00 लाख की सम्पूर्ण बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूंजीगत:

दत्तमत

(6) ₹ 10,846.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 10,829.30 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-01.277.0103.4717- अनुसूचित जाति छात्रावास	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 5,411.38	4,588.62	4,588.62	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 5,411.38 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4225-01.277.0103.8829- शासकीय ज्ञानोदय विद्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	2,200.00 (-) 1,130.67	1,069.33	1,069.33	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,130.67 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4225-01.800.0703.1400- आश्रम तथा छात्रावास भवन	मूल पुनर्वि.	1,300.00 (-) 951.25	348.75	348.75	0.00	₹ 951.25 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4225-01.800.0603.4722- अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों का विकास	मूल पुनर्वि.	3,100.00 (-) 3,069.26	30.74	30.74	0.00	₹ 3,069.26 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण

(मुख्य शीर्ष- 2401-फसल कृषि कर्म, 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,63,65,35			
पूरक	97,27,41	7,60,92,76	4,55,16,56	(-) 3,05,76,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	26	(-) 24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	35,00,03			
पूरक	0	35,00,03	7,96,55	(-) 27,03,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 9,727.41 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 30,576.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-109.0701.7692- राष्ट्रीय औषधीय पौधा मिशन	मूल पूरक	0.01 1,094.05	1,094.06	0.00	(-) 1,094.06	संपूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0655- संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय	मूल पुनर्वि.	10,974.99 (-) 500.00	10,474.99	8,475.11	(-) 1,999.88	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख का प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2401-119.0703.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	555.00	555.00	275.66	(-) 279.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2401-119.0703.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल	2,698.00	2,698.00	968.66	(-) 1,729.34	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2401-119.0702.5626- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	810.00	810.00	403.45	(-) 406.55	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2401-119.0702.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल	3,597.33	3,597.33	1,299.10	(-) 2,298.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2401-119.0701.7848- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन	मूल	11,691.33	11,691.33	1,710.00	(-) 9,981.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2401-119.0103.2816- फसल बीमा योजन	मूल	800.00	800.00	5.93	(-) 794.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2401-119.0102.2816- फसल बीमा योजना	मूल	1,150.00	1,150.00	8.03	(-) 1,141.97	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2401-119.0101.5153- उद्योग संवर्धन नीति अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास की योजना	मूल	3,183.00	3,183.00	0.00	(-) 3,183.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022) इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 2,703.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4401-119.0103.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल	320.00	320.00	0.00	(-) 320.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4401-119.0102.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल	460.00	460.00	0.00	(-) 460.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4401-119.0101.5116- राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	मूल	1,500.00	1,500.00	796.55	(-) 703.45	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4401-119.0101.5474- मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना	मूल	1,220.00	1,220.00	0.00	(-) 1,220.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51-अध्यात्म

(मुख्य शीर्ष- 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ, 4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,05,29,69			
पूरक	0	1,05,29,69	46,19,09	(-) 59,10,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				58,05,85

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,50			
पूरक	0	1,50	0	(-) 1,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,50

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	18,00,00			
पूरक	0	18,00,00	0	(-) 18,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				18,00,00

अनुदान संख्या 51-अध्यात्म जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 5,910.60 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 5,805.85 लाख अभ्यर्पित किये गये।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.1477- संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना	मूल पुनर्वि.	218.42 (-) 140.99	77.43	77.49	+ 0.06	₹ 140.99 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2250-800.5384- रामपथ गमन अंचल विकास योजना	मूल पुनर्वि.	1,200.73 (-) 1,150.73	50.00	50.00	0.00	₹ 1,150.73 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2250-800.5805- धर्मशालाओं का निर्माण	मूल पुनर्वि.	90.92 (-) 58.92	32.00	0.00	(-) 32.00	₹ 58.92 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।।
2250-800.6273- तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापन	मूल पुनर्वि.	500.00 (-) 280.00	220.00	220.00	0.00	₹ 280.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्षान्तर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।।
2250-800.6292- धार्मिक आस्था के स्थलों का जीर्णोद्धार	मूल पुनर्वि.	1,500.00 (-) 608.57	891.43	818.58	(-) 72.85	₹ 608.57 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2250-800.0101.1476- आनन्दम	मूल पुनर्वि.	600.00 (-) 306.00	294.00	294.00	0.00	₹ 306.00 लाख की प्रत्याशित बचत कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 51—अध्यात्म समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2250-800.0101.2104- बोली आंचलिक भाषा एवं धार्मिक प्रकाशन	मूल पुनर्वि.	50.00 (-) 50.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान ₹ 50.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2250-800.0101.7227- तीर्थ यात्रा योजना	मूल पुनर्वि.	3,000.72 (-) 2,995.32	5.40	5.40	0.00	₹ 2,995.32 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (3) संपूर्ण विनियोग ₹ 1,800.00 लाख 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित किये गये।
- (4) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-800.5384- रामपथ गमन अंचल विकास योजना	O R	1,800.00 (-) 1,800.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान ₹ 1,800.00 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण के रूप में) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	13,92,26,71			
पूरक	1,54,10,83	15,46,37,54	14,47,79,81	(-) 98,57,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	12,69,54,14			
पूरक	98,51	12,70,52,65	5,86,13,04	(-) 6,84,39,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 9,857.73 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2021 (₹ 735.83 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 15,410.83 लाख) में प्राप्त किया गया, ₹ 15,410.83 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

- (2) 9,857.73 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-01.110.0103.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल पूरक पुनर्वि.	16,805.32 10,500.00 (-) 4,008.00	23,297.32	22,988.03	(-) 309.29	₹ 4,008.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-01.800.0103.6105- पेंशनर्स को दवाईयों की सुविधा	मूल	95.00	95.00	29.80	(-) 65.20	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-05.105.0527- इन्दौर में परिचर्या महाविद्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	517.01 472.00 (-) 8.85	980.16	658.60	(-) 321.56	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 8.85 लाख की प्रत्याशित बचत देयको के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0703.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	278.00	278.00	108.07	(-) 169.93	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0702.1211- पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल	384.00	384.00	9.41	(-) 374.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2210-05.105.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल	50.00	50.00	0.00	(-) 50.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.105.0101.1915- दन्त महाविद्यालय	पूरक	800.00	800.00	0.00	(-) 800.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-05.105.0101.6458- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में वायरोलॉजी लैब की स्थापना ;13वां वित्त आयोगद्व	मूल	190.01	190.01	108.01	(-) 82.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2210-05.105.0101.7502- चिकित्सा महाविद्यालयों में आई.सी.टी./ सपोर्ट/प्रशिक्षण सहायता/स्मार्ट क्लास का उन्नयन	मूल पुनर्वि.	349.85 (-) 170.00	179.85	78.41	(-) 101.44	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 170.00 लाख की प्रत्याशित बचत देयको के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2210-05.105.0102.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पूरक पुनर्वि.	4,100.00 75.00 2,714.85	6,889.85	6,181.99	(-) 707.86	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,714.85 लाख का आवर्धन प्रावधान में कम बजट प्रावधान, वेतन एवं बिजली बिलों के भुगतान, चिकित्सा महाविद्यालय के भुगतान एवं लंबित मजदूरी एवं बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं(जुलाई 2022)

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 (₹ 0.03 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 98.49 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 98.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) ₹ 68,439.61 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

(7) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0801.7280-मानसिक चिकित्सालय इंदौर एवं मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर का उन्नयन	पूरक	98.49	98.49	0.00	(-) 98.49	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-03.105.0703.2061-एम.बी.बी.एस.सीट्स में वृद्धि	मूल पुनर्वि.	4,000.00 (-) 1,097.00	2,903.00	857.00	(-) 2,046.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,097.00 लाख की प्रत्याशित बचत सीएसएस की प्रक्रिया संपादन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.1210-स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जबलपुर की स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,700.00 (-) 494.00	3,206.00	850.00	(-) 2,356.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 494.00 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 1,144.00 लाख की कमी एवं ₹ 650.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी लंबित बिलों के भुगतान, सीएसएस की प्रक्रिया संपादन एवं अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान एवं निर्माण हेतु लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.1211-पी.एम.एस.एस.वाय.परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 (-) 240.00	760.00	0.00	(-) 760.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 240.00 लाख की प्रत्याशित बचत सीएसएस की प्रक्रिया संपादन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0701.2061- एम.बी.बी.एस.सीट्स में वृद्धि	मूल पुनर्वि.	12,500.01 (-) 3,833.00	8,667.01	4,682.12	(-) 3,984.89	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,833.00 लाख की प्रत्याशित बचत सीएसएस की प्रक्रिया संपादन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0701.2064- टरसियरी केयर कैंसर, ग्वालियर	मूल पुनर्वि.	2,500.01 (-) 600.00	1,900.01	0.00	(-) 1,900.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 600.00 लाख की प्रत्याशित बचत सीएसएस की प्रक्रिया संपादन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।
4210-03.105.0701.6460- चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	14,908.01 (-) 7,718.00	7,190.01	0.00	(-) 7,190.01	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 7,718.00 लाख की प्रत्याशित बचत सीएसएस की प्रक्रिया संपादन एवं लंबित बिलों के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0103.7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	4,800.00	4,800.00	0.00	(-) 4,800.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0102.7296- चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में दो हजार बेड्स का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,000.00 (-) 2,000.00	0.00	0.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0102.7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	6,900.00	6,900.00	0.00	(-) 6,900.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-03.105.0102.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 2,444.00	2,556.00	2,299.42	(-) 256.58	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,444.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-03.105.0101.5632- जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल पुनर्वि.	3,500.00 (-) 3,480.00	20.00	0.00	(-) 20.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,480.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0101.7853- नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना	मूल	18,300.00	18,300.00	0.00	(-) 18,300.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-03.105.0101.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	4,800.00 (-) 2,220.00	2,580.00	2,080.90	(-) 499.10	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,220.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 52—चिकित्सा शिक्षा जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.800.0102.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल पुनर्वि.	900.01 (-) 420.00	480.01	315.72	(-) 164.29	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 420.00 लाख की प्रत्याशित बचत लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.800.0101.1353- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय	मूल	1,100.01	1,100.01	559.54	(-) 540.47	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (8) उपरोक्त टिप्पणी (7) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0701.9080- रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय	मूल पुनर्वि.	3,164.41 5,200.00	8,364.41	8,066.31	(-) 298.10	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 5,200.00 लाख का निधियों का आवर्धन निर्माण हेतु लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-03.105.0102.5402- छिंदवाडा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस	मूल पुनर्वि.	300.00 1,500.00	1,800.00	1,188.00	(-) 612.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,500.00 लाख का निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान, मजदूरी एवं अन्य लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4210-03.105.0102.7158- चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर अस्पताल का निर्माण	मूल पुनर्वि.	4,300.00 900.00	5,200.00	5,200.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 900.00 लाख का निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान, निर्माण हेतु लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई।

अनुदान संख्या 52-चिकित्सा शिक्षा समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4210-03.105.0102.9077- सिवनी चिकित्सा महाविद्यालय (पी.पी.पी.)	मूल पुनर्वि.	1.00 2,420.00	2,421.00	477.98	(-) 1,943.02	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,420.00 लाख का निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान, निर्माण हेतु लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4210-03.105.0101.5402- छिंदवाडा इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस	मूल पुनर्वि.	1,010.00 1,500.00	2,510.00	2,194.74	(-) 315.26	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,500.00 लाख का निधियों का आवर्धन कम बजट प्रावधान, मजदूरी एवं अन्य लंबित बिलों के भुगतान कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—लोक निर्माण कार्य—भवन

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2216-आवास, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,22,85,29	3,53,85,29	3,42,84,96	(-) 11,00,33
पूरक	1,31,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	2,10,00	2,10,00	51,90	(-) 1,58,10
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	78,25,00	97,21,00	26,82,95	(-) 70,38,05
पूरक	18,96,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				16,34,14

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 1,100.33 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2021 (₹ 3,300.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 9,800.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,100.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 53—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

- (2) ₹ 1,100.33 लाख के उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-01.053.0183- एफ टाईप से उच्च श्रेणी के शासकीय आवासों का अनुरक्षण	मूल	4,200.00	9,500.00	9,056.54	(-) 443.46	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	5,300.00				
2059-01.053.3383- विशेष मरम्मत—भवन	मूल	460.00	1,460.00	1,793.39	+ 333.39	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	1,000.00				
2059-80.001.7246- परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	6,961.60	6,961.60	6,179.16	(-) 782.44	इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि (₹ 15.00 लाख) का पुनर्विनियोजन के द्वारा कमी एवं वृद्धि हुई है। कमी एवं वृद्धि के कारण सहित अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21, 2019—20 एवं 2018—19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2059-052.7091- विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना	मूल	363.69	363.69	224.10	(-) 139.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21 एवं 2019—20 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

- (4) ₹ 158.10 लाख के उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2059-80.001.7246- परियोजना क्रियान्वयन इकाई	मूल	10.00	10.00	0.00	(-) 10.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2059-80.800.1833- डिक्री धन का भुगतान (भारित)	मूल	200.00	200.00	51.90	(-) 148.10	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 53—लोक निर्माण कार्य—भवन जारी

पूँजीगत:

दत्तमत

- (6) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 1,896.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (7) ₹ 7,038.05 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 1,634.14 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4059-01.051.0701.2450- न्यायालय भवनों का निर्माण	मूल	100.00	100.00	0.00	(-) 100.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4059-01.051.0102.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण /पुनर्स्थापना	मूल	300.00	300.00	145.74	(-) 154.26	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी
4059-01.051.0103.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण /पुनर्स्थापना	मूल	100.00	100.00	3.99	(-) 96.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.7088- सर्वेक्षण कार्य	मूल	300.00	300.00	69.93	(-) 230.07	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.8041- लोक निर्माण विभाग के संभागीय/उपसंभागीय कार्यालय भवन का निर्माण	मूल	400.00	400.00	2.72	(-) 397.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4059-01.051.0101.8042- विश्राम भवन/गृह का निर्माण/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना	मूल	400.00	400.00	214.78	(-) 185.22	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4059-01.051.0101.9494- भोपाल में स्टेट गेस्ट हाऊस का निर्माण	मूल	1,500.00	1,500.00	0.00	(-) 1,500.00	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
4216-01.106.0103.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	600.00	600.00	200.97	(-) 399.03	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 53—लोक निर्माण कार्य—भवन समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4216-01.106.0102.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	1,000.00	1,000.00	370.01	(-) 629.99	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एव 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0101.1938- शासकीय आवास गृहों का निर्माण	मूल	2,400.00	2,400.00	869.41	(-) 1,530.59	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एव 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
4216-01.106.0101.3849- लोक निर्माण कर्मचारियों के लिये आवास गृहों का निर्माण	मूल	200.00	200.00	47.47	(-) 152.53	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,64,42,21			
पूरक	0	1,64,42,21	1,64,42,20	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

(मुख्य शीर्ष- 2059-लोक निर्माण कार्य, 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2236-पोषण, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50,72,43,50			
पूरक	2,06,48,60	52,78,92,10	46,81,73,19	(-) 5,97,18,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				5,36,50,11

राजस्व दत्तमत अनुभाग में हुए व्यय (₹ 46,81,73,18,514) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से दिनांक 25.05.2021 को कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 1,80,00,000 में से ₹ 1,80,00,000 खर्च की गई राशि भी सम्मिलित है जिसकी प्रतिपूर्ति वर्ष के दौरान की जा चुकी है।

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,00			
पूरक	0	5,00	80	(-)4,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				4,20

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,06,76,06			
पूरक	1	1,06,76,07	93,11,07	(-) 13,65,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				13,64,39

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 (₹ 378.70 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 269.90 लाख) एवं मार्च 2022 (₹ 20,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20,648.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 59,718.91 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 53,650.11 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.001.5060- बाल भवन की स्थापना	मूल पुनर्वि.	431.66 (-) 101.26	330.40	329.92	(-) 0.48	₹ 101.26 लाख की प्रत्याशित बचत समर्पण द्वारा ₹ 105.26 लाख की कमी एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी रिक्त पद एवं कोविड-19 के कारण लॉकडाउन होने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.102.0703.0658- ऑगनबाडी सेवार्यें	मूल पुनर्वि.	12,611.37 (-) 2,212.70	10,398.67	10,397.41	(-) 1.26	समर्पण द्वारा ₹ 2,212.70 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण, रिक्त पद एवं भारत सरकार से वर्ष 2021-22 की एपीआईपी में फर्नीचर इक्विपमेंट, एम एण्ड ई तथा आई ई सी गतिविधियों की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02-102.0701.0658- आंगनवाडी सेवायें	मूल पुनर्वि.	76,515.26 (-) 10,568.07	65,947.19	65,938.17	(-) 9.02	₹ 10,568.07 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 12,368.07 लाख (समर्पण ₹ 10,568.07 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 1,800.00 लाख) की कमी एवं पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,800.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वास्तविक व्यय के आधार पर इस योजना में भारत सरकार में प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण, रिक्त पद एवं भारत सरकार से वर्ष 2021-22 की एपीआईपी में फर्नीचर इक्विपमेंट, एम एण्ड ई तथा आई ई सी गतिविधियों की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई, जबकि वृद्धि आंगनवाडी सेविका के मानदेय भुगतान के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.102.0701.0851- राष्ट्रीय झूलाघर योजना	मूल पुनर्वि.	598.50 (-) 468.01	130.49	130.49	0.00	₹ 468.01 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 239.40 लाख + समर्पण ₹ 228.61 लाख) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सीमा में खर्च करने के कारण, कोरोना वायरस के कारण जिलों से प्रस्ताव विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.8681-राज्य महिला आयोग का गठन	मूल पुनर्वि.	316.03 (-) 97.92	218.11	217.65	(-) 0.46	समर्पण द्वारा ₹ 97.92 लाख की प्रत्याशित बचत रिक्त पद एवं कोविड के कारण लॉकडाउन होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-02.103.0701.1326-स्वाधार गृह	मूल पुनर्वि.	250.00 (-) 113.90	136.10	136.10	0.00	₹ 113.90 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 48.60 लाख + समर्पण ₹ 65.31 लाख) की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण, इस योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण जिलों से प्रस्ताव विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0701.2367-महिला शक्ति केन्द्र	पूरक पुनर्वि.	1,430.01 (-) 1,430.01	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 1,430.01 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण, योजना की स्वीकृति न मिलने के कारण राशि का खर्च नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।
2235-02.103.0701.2375-सेफ सिटी कार्यक्रम	पूरक पुनर्वि.	174.50 (-) 74.78	99.72	99.72	0.00	₹ 74.78 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 22.46 लाख + समर्पण ₹ 52.32 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण हुई। पुनर्विनियोजन द्वारा शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0701.6917- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस. वाई.)	मूल पुनर्वि	14,557.20 (-) 7,411.60	7,145.60	7,145.60	0.00	₹ 7,411.60 लाख की प्रत्याशित बचत (₹ 2,037.82 लाख पुनर्विनियोजन द्वारा एवं ₹ 5,373.78 लाख समर्पण के द्वारा) वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण, योजना की स्वीकृति न मिलने के कारण राशि का खर्च नहीं किया गया, इस योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण, इस योजना के अंतर्गत रिक्त पद के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई।
2235-02.103.0103.5033- जाबाली योजना	मूल पुनर्वि	100.00 (-) 73.16	26.84	26.84	0.00	समर्पण द्वारा ₹ 73.16 लाख की प्रत्याशित बचत कोविड के कारण लॉकडाउन होने के कारण एवं इस योजना के अंतर्गत कुछ गैर सरकारी संस्थाएं बंद होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2235-02.103.0101.5067- लाडली लक्ष्मी योजना	मूल पूरक पुनर्वि	55,003.03 20,000.00 (-) 4,558.45	70,444.58	65,925.75	(-) 4,518.83	₹ 4,558.45 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में ₹ 4,632.55 लाख की कमी एवं ₹ 74.10 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वास्तविक व्यय के आधार पर, कोविड के कारण लॉकडाउन एवं राशि वित्त विभाग द्वारा अंतिम कार्य दिवस को जारी होने के कारण हुई। जबकि वृद्धि कम बजट प्रावधान होने के कारण हुई। शेष अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2236-02.101.0703.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	888.92 (-) 888.92	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 888.92 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण राशि का व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0703.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	35,000.02 (-) 6,237.17	28,762.85	28,762.85	0.00	₹ 6,237.17 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 4,807.61 लाख + समर्पण ₹ 1,429.56 लाख) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण, इस योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0702.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	1,333.39 (-) 1,333.39	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 1,333.39 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण राशि का व्यय नहीं किया गया। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2236-02.101.0701.6392- किशोरी बालिका योजना	मूल पुनर्वि.	2,277.67 (-) 2,277.67	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 2,277.67 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण राशि का व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2236-02.101.0701.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	मूल पुनर्वि.	75,000.02 (-) 13,899.13	61,100.89	61,100.80	(-) 0.09	₹ 13,899.13 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 8,434.73 लाख + समर्पण ₹ 5,464.40 लाख) की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण, वास्तविक व्यय के आधार पर एवं कम बजट प्रावधान के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0706.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	पूरक पुनर्वि.	0.01 118.05	118.06	118.06	0.00	₹ 118.05 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 121.69 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण हुई। जबकि कमी भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण हुई। शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.103.0705.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	पूरक पुनर्वि.	0.01 80.91	80.92	80.92	0.00	₹ 80.91 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 84.68 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.78 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण हुई। जबकि कमी भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण हुई। शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-02.103.0704.6103- समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	पूरक पुनर्वि.	0.03 244.28	244.31	244.31	0.00	₹ 244.28 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 247.94 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3.66 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण हुई। जबकि कमी भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण हुई। शेष वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2235-02.103.0704.6917- प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस. वाई.)	पूरक पुनर्वि.	0.01 733.40	733.41	733.41	0.00	₹ 733.40 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,037.82 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,304.42 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण हुई। जबकि कमी भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण, इस शीर्ष के अंतर्गत रिक्त पद होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-02.107.0101.1289- म.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड को अनुदान	मूल पुनर्वि.	138.62 541.38	680.00	680.00	0.00	₹ 541.38 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 553.87 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 12.49 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारी के ग्रेच्युटी भुगतान हेतु कम बजट प्रावधान के कारण हुई। जबकि कमी बोर्ड की मांग के अनुसार राशि जारी करने के कारण हुई।
2236-02.101.0706.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	पूरक पुनर्वि.	Token 4,307.61	4,307.61	4,307.61	0.00	₹ 4,307.61 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,307.61 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.003 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण हुई। जबकि कमी भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण एवं इस शीर्ष के अंतर्गत रिक्त पद होने के कारण हुई।
2236-02.101.0704.9050- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 5,036.88	5,036.88	5,036.88	0.00	₹ 5,036.88 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 5,036.88 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.003 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः वित्त विभाग के निर्देशानुसार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यांश राशि के प्रावधान के कारण हुई। जबकि कमी भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को सीमा के अन्दर खर्च करने के कारण एवं इस शीर्ष के अंतर्गत रिक्त पद होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास जारी

पूँजीगत:—

दत्तमत

- (5) ₹ 1,365.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2022 को ₹ 1,364.39 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.1501.7449- सेक्टर स्तरीय कार्यालय सह प्रशिक्षण केन्द्र के भवनों का निर्माण	मूल पुनर्वि.	1,352.02 (-) 1,352.02	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 1,352.02 लाख की प्रत्याशित बचत इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति न मिलने के कारण राशि का व्यय न करने के कारण हुई।
4235-02.102.0703.0658- आंगनबाड़ी सेवायें	मूल पुनर्वि.	1,440.00 (-) 1,440.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,440.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,439.99 लाख + समर्पण ₹ 0.01 लाख) की प्रत्याशित बचत इस योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण, रिक्त पद एवं भारत सरकार से वर्ष 2021-22 की एपीआईपी में फर्नीचर इक्विपमेंट, एम एण्ड ई तथा आई ई सी गतिविधियों की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।
4235-02.102.0702.0658- आंगनबाड़ी सेवायें	मूल पुनर्वि.	1,980.00 (-) 1,980.00	0.00	0.00	0.00	₹ 1,980.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 1,779.99 लाख + समर्पण ₹ 0.01 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना, इस योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण, रिक्त पद एवं भारत सरकार से वर्ष 2021-22 की एपीआईपी में फर्नीचर इक्विपमेंट, एम एण्ड ई तथा आई ई सी गतिविधियों की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0701.0658- आंगनबाड़ी सेवायें	मूल पुनर्वि.	5,580.00 (-) 5,580.00	0.00	0.00	0.00	₹ 5,580.00 लाख (पुनर्विनियोजन ₹ 5,579.99 लाख + समर्पण ₹ 0.01 लाख) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होना, योजना में भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय अंश के अनुसार राज्य अंश सहित व्यय की गई राशि के कारण, रिक्त पद एवं भारत सरकार से वर्ष 2021-22 की एपीआईपी में फर्नीचर इक्विपमेंट, एम एण्ड ई तथा आई ई सी गतिविधियों की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) उपरोक्त टिप्पणी (6) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान में अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4235-02.102.0102.5360- आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 1,979.99	1,980.00	1,980.00	0.00	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,979.99 लाख निधियों का आवर्धन भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण, राज्य योजना शीर्ष के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु राशि का प्रावधान न होने के कारण हुई।
4235-02.102.0101.5360- आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	0.01 7,013.01	7,013.02	7,012.42	(-) 0.60	₹ 7,013.01 लाख निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,019.98 लाख की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 6.97 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि राज्य योजना शीर्ष के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु राशि का प्रावधान न होने के कारण हुई जबकि कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार वास्तविक व्यय करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग

(मुख्य शीर्ष- 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,05,87,12			
पूरक	5,69,17	1,11,56,29	89,01,41	(-) 22,54,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00			
पूरक	0	1,00	0	(-) 1,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,37,08			
पूरक	0	1,37,08	4,87	(-) 1,32,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, अगस्त 2021 (₹ 369.17 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 200.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 569.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग जारी

- (2) 2,254.88 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-103.0931- केन्द्रीय कार्यालय	मूल	548.15	548.15	364.92	(-) 183.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2851-103.2542- पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल	1,463.56	1,463.56	1,205.23	(-) 258.33	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21 के दौरान भी बचत हुई
2851-104.0101.6524- कालीन पार्क योजना	मूल	50.93	50.93	0.00	(-) 50.93	सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2851-107.3778- रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वन	मूल पूरक	3,356.15 369.17	3,725.32	2,828.63	(-) 896.69	इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि का कमी एवं वृद्धि हुई है। वृद्धि स्थाई कर्मचारियों के 01 जुलाई 2020 और जनवरी 2022 के बकाया भुगतान के कारण हुई। कमी के कारण सहित अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21, 2019—20 एवं 2018—19 के दौरान भी बचत हुई।
2851-107.0103.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल	140.37	140.37	64.26	(-) 76.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2851-107.0102.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल	161.66	161.66	78.38	(-) 83.28	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21, 2019—20 एवं 2018—19 के दौरान भी बचत हुई
2851-107.0102.5146- टसर रेशम विकास एवं विस्तार कार्यक्रम	मूल	174.67	174.67	83.86	(-) 90.81	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020—21, 2019—20 एवं 2018—19 के दौरान भी बचत हुई

अनुदान संख्या 56—कुटीर एवं ग्रामोद्योग समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-107.0101.3777- रेशम उद्योग का विकास कार्य	मूल	827.62	827.62	459.74	(-) 367.88	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2851-105.0101.5491- कुटीर एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का प्रमोशन, ब्रांड बिल्डिंग एवं विपणन अधोसंरचना	पुनर्वि.	150.00	150.00	150.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 150.00 लाख आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) 132.21 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
 (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4851-107.0101.6336- रेशम केन्द्रों पर सिंचाई सुविधाएं एवं अन्य निर्माण कार्य	मूल	137.08	137.08	4.87	(-) 132.21	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई

अनुदान संख्या 57—पर्यावरण

(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2215-जल पूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास एवं 4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	21,00,01			
पूरक	4,00,00	25,00,01	24,77,99	(-) 22,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	25,00			
पूरक	0	25,00	25,00	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे के अन्तर्गत टिप्पणी (5) में की गई है।

2021-22 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

अनुदान संख्या 57-पर्यावरण समाप्त

राजस्व:

विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंत शेष नामे+ जमा (-)
1	2	3	4	5
(लाख ₹ में)				
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) भंडार	(-) 0.27	0.00	0.00	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	0.00	0.00	+ 2.21
योग	+ 1.94	0.00	0.00	+ 1.94
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-) 1,94.83	0.00	0.00	(-) 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	0.00	0.00	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	0.00	0.00	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	0.00	0.00	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	0.00	0.00	+ 18,36.64

- (1) ₹ 22.02 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2021 एवं दिसम्बर 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 400.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 22.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय

(मुख्य शीर्ष- 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 6245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	43,71,48,92			
पूरक	9,50,50,00	53,21,98,92	50,28,16,83	(-) 2,93,82,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				2,86,29,52

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	5,93,90,01			
पूरक	0	5,93,90,01	3,86,41,20	(-) 2,07,48,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				1,96,28,79

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 29,382.09 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, ₹ 95,050.00 लाख का अनुपूरक अनुदान मार्च 2022 में प्राप्त किया गया अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 29,382.09 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 28,629.52 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2235-60.800.1982- दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	मूल पुनर्वि.	264.00 (-) 116.46	147.54	147.55	+ 0.01	समर्पण के रूप में ₹ 116.46 लाख की प्रत्याशित बचत व्यय न करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-01.101.0096- अग्नि पीड़ितों को राहत	मूल पुनर्वि.	4,391.98 (-) 2,224.17	2,167.81	2,167.81	0.00	₹ 2,224.17 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,000.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 224.17 लाख) आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-01.101.6422- सूखा से संबंधित फसल क्षति एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता	मूल पुनर्वि.	2,630.35 (-) 2,614.92	15.43	15.43	0.00	₹ 2,614.92 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,600.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 14.92 लाख) आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2245-01.102.6434- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल परिवहन	मूल पुनर्वि.	1,100.00 (-) 1,068.83	31.17	31.17	0.00	₹ 1,068.83 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,000.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 68.83 लाख) आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21, 2019-20 एवं 2018-19 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-02.122.0989- क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों क मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 (-) 5,000.00	0.00	0.00	0.00	संपूर्ण प्रावधान ₹ 5,000.00 लाख की प्रत्याशित बचत आवश्यकता न होने के कारण हुई।
2245-80.102.6276- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 7,394.07	2,605.93	2,605.93	0.00	₹ 7,394.07 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 510.00 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 6,884.07 लाख) आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)
2245-80.102.7667- १५५वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	मूल पुनर्वि.	13,370.01 (-) 12,186.74	1,183.27	1,183.27	0.00	₹ 12,186.74 लाख की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा 560.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 12,746.74 लाख (₹ 10,954.49 लाख पुनर्विनियोजन + ₹ 1,792.25 लाख समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः प्रशिक्षण के लिए राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। जबकि कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)
2245-80.800.7021- पाला से क्षति पर राहत सहायता	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 9,918.79	81.21	81.21	0.00	₹ 9,918.79 लाख की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 9,918.79 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 468.79 लाख) के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2245-80.102.6436- आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल पुनर्वि.	50.00 906.75	956.75	957.50	+ 0.75	₹ 906.75 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,450.00 लाख वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 543.25 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आपदा संबंधित उपकरणों की क्रय के कारण हुई। शेष कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022) इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुई थी।
2245-80.102.7767- महामारी/रासायनिक, जैविक रेडियोलॉजिकल और परमाणु (CBRN) आपदाओं की रोकथाम हेतु किये जाने वाले कार्यों पर व्यय	मूल पुनर्वि.	0.01 42,085.00	42,085.01	42,085.01	0.00	₹ 42,085.00 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 50,000.00 लाख वृद्धि एवं समर्पण के रूप में ₹ 7,915.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आवश्यकता न होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)
2245-80.800.7249- कीट प्रकोप से फसल क्षति	मूल पुनर्वि.	1,017.90 4,299.58	5,317.48	5,317.48	0.00	₹ 4,299.58 लाख की निधियों का आवर्धन प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 27,000.00 लाख की वृद्धि एवं ₹ 22,750.42 लाख (पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 22,750.02 लाख + समर्पण के रूप में ₹ 0.40 लाख) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि कीटों द्वारा फसल के नुकसान किये जाने के कारण हुई। जबकि कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई। शेष कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी आधिक्य हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(5) अकाल राहत निधि	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)
2245-05-101-0474-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अन्तरण अकाल राहत निधि	0.01	0.00	(-) 0.01
<p>यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई हैं। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।</p>			
<p>वर्ष के दौरान कोई भी राशि मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा नहीं की गई।</p>			

31 मार्च 2022 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :-				(रु. लाख में)
विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2022 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101-अकाल राहत निधि	(-) 5,92.81	0.00	0.00	(-) 5,92.81
(2) 102-अकाल राहत निधि-निवेश लेखा	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	(-) 5,92.81	0.00	0.00	(-) 5,92.81
<p>निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2021-22 के विवरण संख्या-21 में मुख्य शीर्ष 8223-अकाल राहत निधि-101-अकाल राहत निधि तथा 102-अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।</p>				

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय जारी

(6) राज्य आपदा मोचन निधि:-

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू-स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2021-22 हेतु निधि का अंशदान ₹19,41,60.00 लाख निश्चित किया गया, जिसका 75 प्रतिशत (₹14,56,00.00 लाख) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में किया गया। अंशदान लेखा शीर्ष 1601—केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान-07-वित्त मंत्रालय अनुदान-104-राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान" के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत (₹4,85,60.00 लाख) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत-05-आपदा राहत निधि 101-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-115-प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा" के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-भारत की राज्य आपदा राहत निधि" में अंतिम शेष ₹1,02,46.44 लाख था। यह राशि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा निधि में मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों—111—आपदा राहत निधि से अंतरित की गई है। क्योंकि आपदा राहत निधि—14 दिसम्बर 2010 से अस्तित्व में नहीं है। मुख्य शीर्ष "8121-सामान्य एवं आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि" के अन्तर्गत म.प्र. का 1 अप्रैल 2021 को ₹ 4,85,60.00 का शेष था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245-05-101-0475-आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण-प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन मुद्रा निधि-अकाल राहत निधि" में ₹19,41,60.00 लाख एवं मुख्य शीर्ष 2245—80—103—7024 को ₹6,00,50.00 लाख नामे कर, मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों—122—राज्य आपदा मोचन निधि में ₹25,42,10.00 लाख की राशि जमा की गई।

वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया ₹19,05,70.00 लाख का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2022 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत ₹11,21,79.00 लाख का क्रेडिट शेष था। जब निधि मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049—ब्याज अदायगी-05—आरक्षित निधियों पर ब्याज-105—सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि में ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2021-22 के विवरण संख्या-21 में सम्मिलित किया गया है।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय समाप्त

पूँजीगत:

- (7) ₹ 20,748.81 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को केवल ₹ 19,628.79 लाख राशि अभ्यर्पित की गई।
- (8) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4250-101.6276- आपदा प्रबंधन योजनाओं को बनाये जाने हेतु	पूरक पुनर्वि.	38,540.01 (-) 6,230.23	32,309.78	32,309.78	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 6,230.23 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4250-101.7667- १५वे वित्त आयोग के अंतर्गत क्षमता निर्माण	मूल पुनर्वि.	10,600.00 (-) 9,798.56	801.44	801.44	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 9,798.56 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4250-101.1301.8030- -पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु	मूल पुनर्वि.	10,000.00 (-) 3,350.00	6,650.00	5,529.98	(-) 1,120.02	समर्पण के रूप में ₹ 3,350.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
4250-800.6436- - आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय	मूल पुनर्वि.	150.00 (-) 150.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में सम्पूर्ण प्रावधान ₹ 150.00 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-4515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय)

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	6,02,00,00			
पूरक	0	6,02,00,00	6,02,00,00	0
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष- 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	44,65,00			
पूरक	50,00,00	94,65,00	88,38,57	(-) 6,26,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				6,26,86

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	4,53,10,00			
पूरक	0	4,53,10,00	4,03,37,69	(-) 49,72,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				50,59,07

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 626.43 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2021 में प्राप्त किया गया ₹ 5,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 626.86 लाख का अभ्यर्पण ₹ 626.43 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी	
2515-800.0103.5272- विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता	मूल 525.00 पूरक 757.50 पुनर्वि. (-) 221.90	1,060.60	1,051.63	(-) 8.97	समर्पण के रूप में ₹ 221.90 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-800.0102.5272- विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि से आर्थिक सहायता	मूल	705.00	1,376.12	1,376.55	+ 0.43	समर्पण के रूप में ₹ 346.38 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
	पूरक	1,017.50				
	पुनर्वि.	(-) 346.38				

पूँजीगत:

- (4) ₹ 5,059.07 लाख का अभ्यर्पण ₹ 4,972.31 लाख की उपलब्ध बचत से अधिक और अवास्तविक था।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-103.0101.8284- म.प्र. विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	मूल	27,565.00	23,830.75	23,927.49	+ 96.74	₹ 3,734.25 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण ₹ 3,729.25 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 5.00 लाख) के कारण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 3,734.25				

अनुदान संख्या 61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2405-मछली पालन, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 4215-जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	44,80,04			
पूरक	4,38	44,84,42	22,44,38	(-) 22,40,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				22,40,00

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	99,60,05			
पूरक	1,91,00	1,01,51,05	72,31,14	(-) 29,19,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				22,00,03

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 4.38 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 2,240.04 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2021 को ₹ 2,240.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-102.0701.6109-जल संरचनाओं का सुधार, पुनरुद्धार एवं पुनर्भरण	मूल पुनर्वि.	2,240.00 (-) 2,240.00	0.00	0.00	0.00	समर्पण के रूप में संपूर्ण प्रावधान ₹ 2,240.00 लाख की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त न होने के कारण हुई।

पूँजीगत:

- (4) ₹ 2,919.91 लाख उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2022 को ₹ 2,200.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।
- (5) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 191.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (6) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4515-01.102.1501.2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	मूल पुनर्वि.	3,300.00 (-) 2,200.00	1,100.00	906.72	(-) 193.28	समर्पण के रूप में ₹ 2,200.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
4606-102.0101.5110-बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास	मूल पूरक	3,60.00 1,91.00	5,51.00	24.40	(-) 526.60	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 62-पंचायत

(मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	47,67,01,78			
पूरक	5,00,00,00	52,67,01,78	34,41,77,80	(-) 18,25,23,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	50			
पूरक	0	50	0	(-) 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1			
पूरक	0	1	0	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2021 में ₹ 50,000.00 लाख प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 1,82,523.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 62—पंचायत जारी

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0702.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल पुनर्वि.	3,910.00 (-) 1,251.20	2,658.80	1,720.40	(-) 938.40	₹ 1,251.20 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0701.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल पुनर्वि.	10,370.00 (-) 3,318.40	7,051.60	1,705.85	(-) 5,345.75	₹ 3,318.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0703.0647- ग्राम स्वराज अभियान	मूल पुनर्वि.	2,720.00 (-) 870.40	1,849.60	1,191.10	(-) 658.50	₹ 870.40 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.8393- पंचायत गजट	मूल	81.14	81.14	0.00	(-) 81.14	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.0701.8775- प्रशासन योजना जिला स्तर	मूल पुनर्वि.	6,000.00 (-) 2,400.00	3,600.00	2,370.88	(-) 1,229.12	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,400.00 लाख की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 दौरान भी बचत हुई थी।
2515-198.1303.9638- 9५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	47,104.00	47,104.00	23,552.00	(-) 23,552.00	₹ 23,552.00 लाख की बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण हुई।
2515-198.1302.9638- 9५वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	67,712.00	67,712.00	33,856.00	(-) 33,856.00	₹ 33,856.00 लाख की बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 62—पंचायत जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.1301.9638-95वें वित्त आयोग की अनुसंशा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	मूल	1,79,584.00	1,79,584.00	89,792.00	(-) 89,792.00	₹ 89,792.00 लाख की बचत भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण हुई।
3604-197.8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधायें	मूल	531.67	531.67	334.93	(-) 196.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3604-198.0101.4610-अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	मूल पूरक	4,316.86 30,500.00	34,816.86	24,826.42	(-) 9,990.44	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3604-198.0103.6086-राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	172.74	172.74	0.00	(-) 172.74	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3604-198.0102.6086-राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा पर अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	मूल	298.05	298.05	0.00	(-) 298.05	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
3604-198.0103.6087-राज्य वित्त आयोग की अनुसंशा पर अनुरक्षण हेतु अनुदान	मूल	160.00	160.00	0.00	(-) 160.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

- (4) उपरोक्त टिप्पणी (3) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0706.0647-ग्राम स्वराज अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 870.40	870.40	500.00	(-) 370.40	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 870.40 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 62—पंचायत समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2515-198.0704.0647- ग्राम स्वराज अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 3,318.40	3,318.40	1,911.56	(-) 1,406.84	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 3,318.40 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0705.0647- ग्राम स्वराज अभियान	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 1,251.20	1,251.20	666.67	(-) 584.53	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 1,251.20 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
2515-198.0704.8775- प्रशासन योजना जिला स्तर	पूरक पुनर्वि.	सांकेतिक 2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 2,400.00 लाख की निधियों का आवर्धन के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

पूँजीगत:

दत्तमत

- (5) संपूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत ₹ 0.01 लाख के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (6) ₹ 1,70,911.29 लाख का समर्पण, पत्र क्रमांक PR/Budget/vividh/2022-23/7448 दिनांक 27.05.2022 को स्वीकृति तथा पूर्ण विवरण के बिना प्राप्त होने के कारण लेखे में शामिल नहीं किया गया है।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	16,96,26			
पूरक	0	16,96,26	8,71,10	(-) 8,25,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	10			
पूरक	0	10	0	(-) 10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	78,00,00			
पूरक	1,01,15,61	1,79,15,61	19,73,16	(-) 1,59,42,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 825.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (2) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.6609-पोस्ट मैट्रिक अल्प संख्यक कन्या छात्रावास	मूल	68.16	68.16	32.55	(-) 35.61	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2225-03.800.8244-अल्प संख्यक आयोग	मूल	160.74	160.74	64.27	(-) 96.47	इस शीर्ष के अंतर्गत समान राशि (₹ 4.50 लाख) का पुनर्विनियोजन के द्वारा कमी एवं वृद्धि हुई है। कमी पद रिक्त रहने के कारण हुई जबकि वृद्धि वर्ष के दौरान कम बजट प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2225-03.800.9408-मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड, भोपाल को अनुदान	मूल	300.00	300.00	184.91	(-) 115.09	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।
2225-03.800.9410-मध्य प्रदेश हज कमेटी, को अनुदान	मूल	180.00	180.00	90.00	(-) 90.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.9411-चर्च एवं दरगाह इत्यादि को अनुदान	मूल	60.00	60.00	39.57	(-) 20.43	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0801.2082-अल्पसंख्यकों को मदरसा/शिक्षा प्रदान करना	मूल	160.00	160.00	0.00	(-) 160.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.800.0801.2676-11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	20.00	20.00	0.00	(-) 20.00	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.800.0101.6626- अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार	मूल	46.38	46.38	0.00	(-) 46.38	संपूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत

- (3) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जनवरी 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 10,115.61 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (4) ₹ 15,942.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.277.0701.5617- अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	मूल	7,800.00	17,274.13	1,973.16	(-) 15,300.97	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 641.48 लाख की कमी इस शीर्ष के अन्तर्गत हुई। कमी वित्त विभाग के निर्देशानुसार हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं(जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	10,115.61				
	पुनर्वि.	(-) 641.48				

अनुदान संख्या 64-पिछड़ा वर्ग कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण, 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	7,42,28,13	15,51,78,39	13,68,77,23	(-) 1,83,01,16
पूरक	8,09,50,26			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,70	6,70	0	(-) 6,70
पूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

पूंजीगत:

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य + बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,70,02	17,70,02	2,74,77	(-) 14,95,25
पूरक	सांकेतिक			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

अनुदान संख्या 64—पिछड़ा वर्ग कल्याण जारी

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत

- (1) ₹ 18,301.16 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2021 में (₹ 10,050.26 लाख) एवं मार्च 2022 में (₹ 70,900.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 70,766.95 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹ 18,301.16 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.001.1474- जिला कार्यालयों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,946.79 (-) 7.00	1,939.79	1,502.13	(-) 437.66	पुनर्विनियोजन के रूप में ₹ 7.00 लाख की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0801.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल	9,240.00	9,240.00	7,294.99	(-) 1,945.01	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.0496- आश्रम और छात्रावास	मूल	770.67	770.67	344.18	(-) 426.49	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.1385- छात्र गृह योजना	मूल	55.80	55.80	12.06	(-) 43.74	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
2225-03.277.0101.2676- 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति	मूल पूरक	41,900.00 60,200.00	1,02,100.00	87,523.89	(-) 14,576.11	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।

अनुदान संख्या 64-पिछड़ा वर्ग कल्याण समाप्त

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2225-03.277.0101.6890-	मूल	646.90	646.90	328.25	(-) 318.65	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
जिला स्तरीय कन्या छात्रावास की स्थापना						
2225-03.800.8316-	मूल	163.65	163.65	96.51	(-) 67.14	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 के दौरान भी बचत हुई थी।
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग						
2225-03.800.0101.5180-	मूल	1,200.00	1,200.00	879.85	(-) 320.15	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
बेरोजगार युवक.युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण						
2225-03.800.0101.7065-	मूल	40.00	40.00	42.85	+ 2.85	आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)।
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग से परीक्षा						

पूँजीगत:

दत्तमत

- (4) ₹ 1,495.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।
- (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
4225-03.800.0701.5512-	मूल	570.00	570.00	0.00	(-) 570.00	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण						
4225-03.800.0701.6889-	मूल	1,200.00	1,200.00	274.77	(-) 925.23	बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण						

अनुदान संख्या 65—विमानन
(सभी दत्तमत)

(मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 3053-नागर विमानन, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	38,27,86			
पूरक	29,00,00	67,27,86	56,80,27	(-) 10,47,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				20,48,70

राजस्व (दत्तमत) अनुभाग में हुए व्यय (₹ 56,80,27,171) के अंतर्गत आकस्मिकता निधि से (15-07-2021 को ₹ 10,00,00,000 एवं 29-10-2021 को ₹ 12,00,00,000) कुल स्वीकृत अग्रिम ₹ 22,00,00,000 में से ₹ 21,96,59,821.00 खर्च की गई राशि भी शामिल हैं, यह राशि वर्ष के दौरान निधि में प्रतिपूर्ति की गई।

पूंजीगत:

		कुल अनुदान (हजार ₹ में)	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत (-) (हजार ₹ में)
मूल	1,00,02			
पूरक	0	1,00,02	36,00	(-) 64,02
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)				64,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

- (1) ₹ 1,047.59 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अगस्त 2021 (₹ 1,000.00 लाख) एवं दिसम्बर 2021 (₹ 1,900.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,900.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (2) 31 मार्च 2022 को ₹ 2,048.70 लाख का समर्पण, ₹ 1,047.59 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध अधिक एवं अवास्तविक था।

अनुदान संख्या 65—विमानन समाप्त

(3) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल अनुदान (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
2052-091.4043- विमानन संचालनालय	मूल	2,927.85	4,110.50	5,111.61	+ 1,001.11	समर्पण के रूप में ₹ 1,717.35 लाख की प्रत्याशित बचत तकनीकी पदों पर भर्ती न होने के कारण, पदस्थापना न होने के कारण, कोविड के कारण पायलट को विदेश में प्रस्तावित प्रशिक्षण न होने के कारण व्यय पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के कारण एवं वाहन क्रय की अनुमति न मिलने के कारण हुई। अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पूरक	2,900.00				
	पुनर्वि.	(-) 1,717.35				
3053-80.003.0101.0689- क्षेत्रीय संयोजन (रीजनल कनेक्टिविटी)	मूल	900.00	568.66	568.66	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 331.34 लाख की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2022)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 331.34				

पूँजीगत:

- (4) संपूर्ण बचत राशि ₹ 64.02 लाख 31 मार्च 2022 को अभ्यर्पित की गई।
 (5) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष			कुल विनियोग (लाख ₹ में)	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य+ बचत (-) (लाख ₹ में)	टिप्पणी
5053-80.800.0101.0690- अधोसंरचना एवं विमानपत्तन का विकास	मूल	100.00	36.00	36.00	0.00	समर्पण के रूप में ₹ 64.00 लाख की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से स्वीकृति न मिलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2020-21 एवं 2019-20 के दौरान भी बचत हुई थी।
	पुनर्वि.	(-) 64.00				

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक (+) कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)
	(हजार ₹ में)		
01. सामान्य प्रशासन			
राजस्व-			
प्रभारित	15,53,25	0	(-) 15,53,25
03. पुलिस-			
राजस्व-			
दत्तमत	40,00,00	0	(-) 40,00,00
07. वाणिज्यिक कर			
राजस्व-			
दत्तमत	45,00	0	(-) 45,00
09. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा			
राजस्व-			
दत्तमत	25,00,00	0	(-) 25,00,00
10. वन-			
राजस्व-			
दत्तमत	3	0	(-) 3
पूँजीगत-			
दत्तमत	6,14,03,06	0	(-) 6,14,03,06
12. ऊर्जा-			
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,75,20,00	0	(-) 1,75,20,00
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी-			
राजस्व-			
दत्तमत	7,45,00,00	0	(-) 7,45,00,00
22. नगरीय विकास एवं आवास-			
राजस्व-			
दत्तमत	9,13,00,00	0	(-) 9,13,00,00

23. जल संसाधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	42,00,01	40,00,00	(-) 2,00,01
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,00	0	(-) 1,00
24. लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल			
पूँजीगत-			
दत्तमत	98,00,00	0	(-) 98,00,00
25. खनिज साधन-			
राजस्व-			
दत्तमत	25,72,24	11,74,98	(-) 13,97,26
29. विधि और विधायी कार्य-			
राजस्व-			
दत्तमत	68,20,19	0	(-) 68,20,19
30. ग्रामीण विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	4,64,24,00	0	(-) 4,64,24,00
33. जनजातीय कार्य			
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,99,66,61	0	(-) 1,99,66,61
40. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)-			
राजस्व-			
दत्तमत	2,85,61,89	0	(-) 2,85,61,89
48. नर्मदा घाटी विकास-			
राजस्व-			
दत्तमत	13,04,41	0	(-) 13,04,41
पूँजीगत-			
दत्तमत	1,40,22,53	0	(-) 1,40,22,53
52. चिकित्सा शिक्षा			
राजस्व-			
दत्तमत	1	0	(-) 1
55. महिला एवं बाल विकास			
राजस्व-			
दत्तमत	1,65,72,35	0	(-) 1,65,72,35
पूँजीगत-			
दत्तमत	1	0	(-) 1
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय-			
राजस्व-			
दत्तमत	24,27,00,01	22,54,85,81	(-) 1,72,14,20

परिशिष्ट-I-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
(हजार ₹ में)			
योग-	64,57,66,60	23,06,60,79	(-) 41,51,05,81
राजस्व-			
दत्तमत	56,87,86,75	23,06,60,79	(-) 33,81,25,96
प्रभारित	15,53,25	0	(-) 15,53,25
पूँजीगत-			
दत्तमत	7,54,26,60	0	(-) 7,54,26,60
महायोग			
राजस्व	57,03,40,00	23,06,60,79	(-) 33,96,79,21
पूँजीगत	7,54,26,60	0	(-) 7,54,26,60

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ xviii पर संदर्भित)

शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक	किया गया व्यय	8443-सिविल जमा 800-अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(लाख ₹ में)				
निरंक				

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/gwalior-i/hi>